खण्ड-243, अंक-8
शनिवार, 23 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(14 दिसम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 243 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१०८९–१०९२
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भूमि तथा भवन कर लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	१०९३–१०९४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१०९४
श्री बी० पी० मौर्य, एम० पी०, की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (जारी)	१०९४–१०९७
प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (स्थगित)	१०९७–१०९८
नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं	१०९८
डाक्टर श्रीनाथ भार्गव तथा श्री महफूजुर्रहमान के निधन पर शोकोद्गार ..	१०९९–११०३
बिजनौर जिले में तथा गाजीपुर जिले की जमानिया तहसील में धान पर लेवी लगने के सम्बन्ध में वक्तव्य	११०३–१११०
गन्ने के मूल्य, गुड़ तथा खांडसारी पर प्रतिबन्ध, चीनी वितरण तथा रिजर्व एरिया के किसानों के ऊपर दो-तिहाई गन्ना मिल में देने वाले प्रतिबन्ध के विषय पर चर्चा (जारी)	१११९–११५७
श्री बी० पी० मौर्य, एम० पी० की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकृत) ..	११५७
गन्ने के मूल्य, गुड़ तथा खांडसारी पर प्रतिबन्ध, चीनी वितरण तथा रिजर्व एरिया के किसानों के ऊपर दो-तिहाई गन्ना मिल में देने वाले प्रतिबन्ध के विषय पर चर्चा (समाप्त)	११५७–११५८

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १४ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में १०, १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३२३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खैमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह बिष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमन किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री

बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वंद्य श्री
बैजूराम, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भोखालाल, श्री
भोमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मेवालाल, जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री

यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री

रामसूरतप्रसाद, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सरदारसिंह, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपाल सिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—शिक्षा उपमंत्री, श्री रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भूमि तथा भवन-कर लगाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदन, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भूमि तथा भवन पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये टैक्स के संबंध में श्री राम प्रकाश आदि के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित याचिका आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में भूमि तथा भवनों पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये टैक्स के संबंध में श्री राम प्रकाश (लखनऊ नगरमहापालिका में जनसंघ दल के नेता) आदि की याचिका—

याचकगण आदरणीय सदन से निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

१—यह कि सरकार द्वारा प्रदेश के नगर क्षेत्र में एक नया टैक्स भूमि तथा भवन-कर के नाम से लगाया गया है जिसका कि असेसमेंट आजकल हो रहा है।

२—यह कि टैक्स राज्य सरकार द्वारा न लगाकर स्थानीय निकायों के द्वारा लगाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

३—यह कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी तथा लोकल फिनान्स इन्क्वायरी कमेटी ने एक राय से यह सिफारिश की थी कि यह मद नगरपालिकाओं के लिये ही छोड़ दी जाय। टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने १९५३-५४ में अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ २६२ में लिखा है— The following head should be reserved for Local bodies." "Taxes on lands and buildings."

४—यह कि शहरी क्षेत्रों में भवनों पर पहले से ही टैक्स पड़ रहा है। आज प्रदेशीय सरकार द्वारा और बढ़ा देने से जन असन्तोष व्यापक हो रहा है।

५—यह कि इस टैक्स के बढ़ने से जनता में मकान न बनवाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है जिससे कि शहरों में आवास की समस्या और भी भीषण हो जायेगी।

६—यह कि उक्त टैक्स छादक, झोपड़ी तथा साधारण स्थिति में मकानों पर भी लिया जा रहा है।

७—यह कि उक्त टैक्स का भार किरायेदार से वसूल किया जा सकने के कारण इसका भार निम्न तथा मध्यम वर्ग की जनता पर पड़ रहा है।

८—यह कि आपातिक स्थिति में बढ़े हुये खर्चे को पूरा करने के लिये कुछ समय के लिये भवन तथा भूमि-कर एवं लगान पर आपातिक अधिभार बढ़ाया गया था।

९—यह कि लगान पर आपातिक अधिभार सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है और भूमि तथा भवन-कर वापस न लिये जाने के कारण जनता में असन्तोष फैल रहा है।

अस्तु याचकगण की प्रार्थना है कि सरकार को यह आदेश देने की कृपा की जाय कि वह उक्त टैक्स समाप्त कर दे जिससे कि नगरपालिकाओं के अधिभार क्षेत्र में बढ़ता हुआ राज्य सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो सके। इसलिये और भी जो आवश्यक हो आदेश देने की कृपा करें।

भवदीय,
राम प्रकाश,
४६, खुशैंद बाग, लखनऊ।
राजेन्द्र कुमार,
४७—अ, विधायक निवास, लखनऊ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह याचिका याचिका समिति को भेज दी जायगी ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न था माननीय उग्रसेन जी का । माननीय उग्रसेन जी हैं नहीं वैसे भी कल माननीय अली जहीर साहब ने अपना खेद प्रकट कर दिया था। इसलिये यह प्रश्न समाप्त होता है ।

श्री बी०पी० मौर्य, एम० पी०, की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे पास दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें हैं । एक माननीय उग्रसेन जी की है, वह यहां हाजिर नहीं हैं और वह नगरपालिकाओं से सम्बन्ध रखता है, इसलिये उसको मैंने स्वीकार नहीं किया है ।

दूसरी है माननीय श्याम लाल जी और दूसरे और माननीय सदस्यों की ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

निर्णय देने से पूर्व आप सुन लें तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह माननीय मौर्य एम० पी० के अरेस्ट के बारे में है । इस पर शार्ट नोटिस क्वेश्चन भी मेरे पास आया था, वह मैंने स्वीकार कर लिया है, इसलिये इसको.....

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रार्थना है, उसे आप सुन लें । काम रोको प्रस्ताव तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है । उसके ऊपर कोई बात नहीं है, लेकिन माननीय बी० पी० मौर्य की जो अरेस्ट हुई है उस पर राज्य सभा और लोक सभा दोनों जगह यह प्रश्न उठा था और किस परिस्थिति में यह प्रश्न उठाया गया है इसके ऊपर आप विचार कर लें। यह प्रिविलेज का प्रश्न है या नहीं यह तो लोक सभा में प्रश्न उठेगा, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और जो समाचार प्राप्त हुआ उसमें यह है कि ८ महीने पहले श्री बी० पी० मौर्य ने कोई भाषण दिया था जिसको भारतीय सुरक्षा अधिनियम के अनुसार आपत्तिजनक समझा गया । उसके कारण उनकी एरेस्ट हुई है । यह गंभीर प्रश्न है । आप इसको कम से कम दफा ५२ के अन्दर स्वीकार करें और सरकार से उस पर सूचना दिलवायें कि कौन सी ऐसी परिस्थिति थी और ८ महीने पहले कौन सा उन्होंने भाषण दिया था जिससे देश को खतरा था। उनको ८ महीने तक काम करने का मौका दिया गया और ८ महीने के बाद उस भाषण के आधार पर उनकी एरेस्ट हुई । यह सरकार के लिये खुद शर्म की बात है । जहां तक मैं समझता हूं इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है । वह एक पार्टी के नेता हैं और उस पार्टी को बदनाम करने के लिये इस इमरजेन्सी पीरियड में कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिस मंत्री से इस पर बयान दिलाया जाय जिससे माननीय सदस्यों को प्रश्न करने का उस पर मौका मिले ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके ऊपर मैंने शार्ट नोटिस प्रश्न स्वीकार कर लिया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

आप मुझको सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने एक माननीय सदस्य को सुन लिया है। वही बात आप कहेंगे।

श्री नेकराम शर्मा--

मैं दूसरी बात कह रहा हूं। इसी सदन में शाहजहांपुर के माननीय ज्योति प्रसाद एम० एल० सी० को उनके घर पर कन्फाइन किया गया था और उनके आर्म्स जब्त हुये। अध्यक्ष महोदय ने नियम ५२ के अन्तर्गत उस संबंध में सूचना स्वीकार की। यह प्रश्न भी इतना गंभीर है जिसको स्वीकार करना चाहिये। ८ महीने पहले उनका कोई भाषण हुआ और ८ महीने तक उस संबंध में पुलिस सोती रही और उनको डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया। मैं समझता हूं यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इसको स्वीकर होना चाहिये। शार्ट नोटिस क्वेश्चन का यह हाल है कि आज उसको स्वीकार करते हैं और सरकार एक महीने तक उसको टालती रहती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसको आज स्वीकार किया जाय। इसी प्रकार का प्रस्ताव ज्योतिप्रसाद जी का स्वीकार किया जा चुका है। एक एम० पी० ८ महीने के पहले भाषण देने के आधार पर गिरफ्तार किये गये हैं। ८ महीने तक पुलिस कहां सोती रही? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार करना चाहिये और पुलिस मंत्री जी से वक्तव्य दिलाना चाहिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि विभिन्न दल इस मांग का समर्थन कर रहे हैं तो जनसंघ दल भी यह चाहता है कि मौर्य जी के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। यह महत्व-पर्ण प्रश्न है। एक पुरानी घटना को लेकर इनको गिरफ्तार किया गया है इसलिये वक्तव्य दिलाने की कृपा करें। इस बात को सभी दल चाहते हैं कि इस सूचना को स्वीकार किया जाय।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये इस प्रश्न का महत्व और भी बढ़ जाता है कि माननीय ज्योतिप्रसाद, एम० एल० सी० के विषय में अभी कई दिन पहले विचार हुआ है जबकि उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। उसी बात को मद्देनजर रखते हुये मैं यह कहूंगा कि जब हम यहां पर लोकतन्त्र की पद्धतियों का परिपालन कर रहे हैं तो हम इस परिपाटी में न पड़ें। यह प्रश्न ऐसा है कि इस पर विचार होना ही चाहिये, माननीय मौर्य जी इसी प्रदेश की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं। अभी पिछले दिनों मौर्य जी हमारी भारत सरकार की आज्ञा से भारत-अमेरिका मैत्री संघ की तरफ से अमेरिका गये थे और अमेरिका में उन्होंने कई स्थानों पर लेक्चर भी दिये। भारतीय सम्मान व सुरक्षा का उन्होंने वहां भी बराबर पालन किया। वहां पर तमाम अमेरिका के अन्दर उनके भाषण हुये और वहां पर कई स्थानों में घूमने के बाद वह यहां आये। वहां भी उन्होंने सुरक्षा के विरुद्ध कोई ऐसी बात नहीं कही। यह ८ महीने पुराना विषय है जिसके बारे में मुझे यह मालूम पड़ता है कि कुछ मैलिस भावना और बुरी भावना, पार्टी बन्दी की भावना से एक आपोजीशन के एम० पी० को इस तरह से गिरफ्तार किया गया है। माननीय मौर्य जी शोषित और पीड़ित मानवों की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिये आप पुलिस मंत्री की तरफ से इस विषय के ऊपर बयान कराने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इसमें बहुत बड़ी बहस नहीं होगी (व्यवधान) आप बैठ जाइये। जो प्रश्न था उस पर तीन, चार सदस्यों ने अपनी बात कह ली। अब मैं झारखंडे राय जी को मौका और देता हूं, उसके बाद..... (व्यवधान)

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

हमको भी तो मौका दीजिये। हमारी पार्टी को मौका नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है। यह मेरे संतोष की बात है।

श्री लखीसिंह—

हमको दो मिनट का मौका दीजिये।

एक सदस्य—

यह तो आपके मानने की बात है। आप मान जायं तो हम लोग नहीं बोलेंगे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मेरा आप से साग्रह अनुरोध है कि इस मसले को आप दफा ५२ में जरूर स्वीकार कर ल। वैसे तो चेयर का जो आदेश होगा हम मान लेंगे, लेकिन कई बार पहले इससे कम महत्त्व की बातें दफा ५२ में स्वीकार कर ली गई हैं। यह मामला पुलिस और खास कर यू० पी० सी० आई० डी० के निकम्मेपन और निठल्लेपन का उदाहरण है कि ८ महीने पहले जो केस हुआ उस पर आज कार्य-वाही हो और उसके लिये डी० आई० आर० का प्रयोग किया जाय। डी० आई० आर० इसलिये लागू किया गया था कि चीन के हमले के खिलाफ देश की सीमाओं की रक्षा की जाय, इसलिये नहीं कि पुलिस जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करे। इसके दुरुपयोग की निन्दा संसद् में भी हुई है। इसका दुरुपयोग हमारे सूबे में हो रहा है। अगर आप इस पर बयान दिलवा दें तो हम लोगों को भी कुछ कहने का मौका मिले। यह केस डी० आई० आर० के दुरुपयोग की एक ग्लैरिंग एक्जाम्पिल है, इसलिये इसे जरूर स्वीकार करें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

इस सदन की यह परम्परा रही है कि ऐसे प्रश्न को यदि कामरोको में न स्वीकार किया जाय तो नियम ५२ में ले लिया जाय। ऐसे नियम हैं कि हम प्रातः से सायं तक किसी समय ऐसे विषय पर विचार कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। यह दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे महत्त्व के विषय पर विचार होते समय से क्रेटरी साहब आपको हमारी बात सुनने नहीं देते। वह आपसे कोई परामर्श कर रहे हैं। यदि वह परामर्श इस विषय में हो तो ठीक अन्यथा यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। आपने श्रीमन्, पढ़ा होगा कि ब्रिटेन में एक समय में क्रिमिनल आफेंसेज में भी लोग गिरफ्तार नहीं होते थे। वहां बहुत से प्रिविलेजेज थे। भारतीय संविधान में भी सदस्यों को कुछ प्रिविलेजेज प्राप्त हैं और जो नहीं हैं उनके लिये हमें परम्परायें बनानी हैं। लोकसभा के एक सदस्य गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार किये गये, उस संबंध में उनके मित्र कमरोको लाना चाहते हैं और आप न जाने किसकी सलाह से उसे अस्वीकार कर रहे हैं। मेरा आप से आग्रह है कि अगर आप इसे कामरोको में नहीं स्वीकार करते, तो कम से कम नियम ५२ में अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष—

सरकारी पक्ष की ओर से कोई कुछ कहना चाहेगा?

(किसी के न बोलने पर)

श्री लखीसिंह—

यह बहुत ही महत्त्व का सवाल है, इसे स्वीकार होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

तो मैं इसे नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार करता हूं। वक्तव्य की तिथि बाद में सूचित कर दी जायेगी।

श्री रामायणराय—

वक्तव्य कब होगा ? तिथि भी बता दी जाय।

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

वक्तव्य तो आप गृह मंत्री से चाहते हैं, जब उनके पास सूचना जायेगी, वे वक्तव्य के लिये तिथि बता देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

उनको पहले से इसका नोटिस तो था नहीं, तिथि बाद को बता दी जायेगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, जब सदन के अन्दर कोई बात उठाई जाय और संबंधित मंत्री न हों, तो कैबिनेट की ज्वाइंट जिम्मेदारी होने के कारण कोई भी मंत्री जो उपस्थित हो जवाब दे सकता है। इस प्रश्न को टाला जा रहा है, जो मंत्री यहां हैं उन्हें कहना चाहिये कि कब वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके बारे में आज ही आप को मालम करके बता दिया जायेगा।

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेज के छात्रों की हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

एक नियम ५२ की सूचना माननीय उग्रसेन जी की भी है। वह आयुर्वेदिक कालिजों की हड़ताल के बारे में है। इसी तरह की सूचना माननीय लखपतराम जी की भी है। आज माननीय मंत्री जी लखनऊ से संबंधित विषय पर वक्तव्य देने वाले थे। अगर माननीय राम किशोर जी इस बात को पसन्द करें कि इसे आज स्थगित कर दिया जाय और सब के बारे में अन्य किसी दिन बयान हो जाये तो यह हो सकता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

इन सब पर मंत्री जी कब वक्तव्य दे सकेंगे ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मैं चाहता हूं इसके लिये मंत्री जी को ३–४ दिन का समय दे दिया जाय ताकि वे सब जगह से सूचना मंगा सकें। (व्यवधान)

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जो तिथि आप रख दें, उस दिन दे दूंगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

यह केवल एक जगह का मामला नहीं है। यह पूरे सूबे का प्रश्न बन गया है, क्योंकि सारे सूबे में हड़ताल का असर पड़ रहा है। हजारों की संख्या में विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है।

श्री उपाध्यक्ष---

२१ को तो सैटरडे है, २० को रख लें।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

मैं इसका विरोध करता हूं। यह आर्ट्स की बात नहीं है, स्टेट आयुर्वेदिक कालेज बन्द है। माडर्न मैडिसिन, सर्जरी, अनाटामी, फिजियालाजी वगैरह के विद्यार्थी आज ६ महीने से इधर-उधर सड़कों पर घूम रहे हैं और बराबर आश्वासन सरकार की ओर से दिये जा रहे हैं कि यह कर देंगे, वह कर देंगे। तो आप परसों सोमवार को इस पर वक्तव्य दिला दें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसमें ४ कालेज बाहर के भी शामिल हैं।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जिस दिन के लिये आपकी आज्ञा हो।

श्री उपाध्यक्ष---

२० तारीख को यह होगा।

नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

एक माननीय शिवनाथसिंह की नियम ५२ की सूचना है। पहले यह मामला अध्यक्ष महोदय के सामने आया था, ११ तारीख को, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। मैं उसे बदलने की आवश्यकता नहीं समझता। इसलिये यह अस्वीकार है।

माननीय नाथूराम जी की सूचना यह है कि इलाहाबाद जिले में कुछ क्षेत्र में सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और खरीफ की फसल नष्ट हो रही है। इसे मैंने नेसेसरी ऐक्शन के लिये गवर्नमेंट के पास भेज दिया है।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

इसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। पारसाल चैती फसल भी इस क्षेत्र की बरबाद हो गई। सरकार ने कहा कि उन्हें सूचना नहीं दी गयी, तो अब यह समय से सूचना दे दी है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

माननीय रामसुन्दर पांडेय और माननीय रक्षपालसिंह की २ सूचनाएं हैं। उनमें स्पेसिफिक कोई बात नहीं है। वे लखनऊ के सम्बन्ध में है कि पुलिस की व्यवस्था अच्छी नहीं है, जनरल बात है। इन्डेफिनिट होने के कारण और कोई अर्जेंसी भी न होने के कारण मैं इन्हें अस्वीकार करता हूं।

एक सूचना दफा ५३ में है, इस पर विचार कर के बाद में फैसला दूंगा।

डाक्टर श्रीनाथ भार्गव तथा श्री महफूजुर्रहमान के निधन पर शोकोद्गार

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

श्रीमन्, एक दुखद कार्य का उत्तरदायित्व निर्वहन करने के लिए आपकी आज्ञा से खड़ा हुआ हूं। हमारे प्रदेश के दो सार्वजनिक कार्यकर्ता जो हमारे सदन के सदस्य भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में हमारे सैनिक रहे हैं, उनका कुछ दिन पूर्व देहावसान हुआ। आज मैं उनके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

डाक्टर श्रीनाथ भार्गव मथुरा के रहने वाले थे और सन् १९५२ से लेकर सन् १९६२ तक हमारे सदन के सदस्य भी रहे। उनसे हममें से बहुतों का तो घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और हमारे माननीय सदस्यों में से बहुतों का परिचय उनकी सदस्यता के काल में उनसे हुआ होगा। वह बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति थे और अच्छे विख्यात एलोपैथी के एम० बी०, बी० एस० डाक्टर भी थे। वह सन् १९३० तक डाक्टरी की प्रैक्टिस किया करते थे। बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी उनकी मथुरा में और सन् १९३० में सत्याग्रह आन्दोलन में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी। फिर बराबर वह देश की स्वाधीनता के संघर्ष में भाग लेते रहे और जेल जाते रहे। जब नया संविधान लागू हुआ तो वह हमारी विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। १० वर्षों तक वह सदस्य रहे। मथुरा जिले में, विशेषकर नगर में, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और सार्वजनिक सेवी के नाते सार्वजनिक जीवन में उनका बड़ा ऊंचा स्थान था। दो बार मथुरा म्युनिसिपल बोर्ड के वह चेयरमैन भी रह चुके हैं। कुछ समय से उन्हें हृदय की बीमारी थी और अभी हाल में उनका देहान्त हुआ। बहुधा ऐसे लोग जो हमारे पुराने सैनिक रहे हैं अब धीरे-धीरे इस दुनियां को छोड़ कर चले जा रहे हैं, खासकर ऐसे युग में जब की तपे-तपाये लोगों की देश को जरूरत है। उनकी अवस्था भी ज्यादा नहीं थी और जहां तक मेरा ख्याल है ६५-६६ की उम्र रही होगी। लेकिन हृदय की बीमारी थी और डाक्टर होते हुए भी वे स्वयं उसका परिहार न कर सके और उस रोग ने उन्हें अभी हाल में अपने जीवन को त्याग देने के लिये बाध्य किया। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं उनके परिवार के लिये, अपनी और अपने साथियों की ओर से हार्दिक समवेदना प्रकट करता हूं। हमारे प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में और विशेष करके मथुरा जिले के लिये उनके देहान्त से बड़ी क्षति पहुंची है। मैं अपनी तथा सब की ओर से उनके परिवार वालों से समवेदना प्रकट करता हूं और आप से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को हमारी सहानुभूति की सूचना दे दें।

दूसरे श्री महफूजुर्रहमान साहब जिनको सदन के बहुत से सदस्य जानते न होंगे, परन्तु वे इस सदन के सन् १९४६ से १९५२ तक सदस्य रहे। वे उस समय शिक्षा विभाग के सभा सचिव थे जब कि माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द शिक्षा मंत्री थे। उस रूप में इस प्रदेश की उन्होंने ६ वर्षों तक सेवा की। वे आलिम फाजिल आदमी थे। खासतौर से वे अरबी के अच्छे विद्वान् थे, अध्ययनशील थे और पढ़ने-लिखने का उनको शौक था। उस समय जमैयत-उल-उलैमा के नाम से एक संस्था थी। उससे वे लोग पूर्णतया परिचित हैं जिन्होंने विशेष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उस संस्था ने देश के स्वतंत्रता-संग्राम में योगदान दिया और राष्ट्रवादी आधार पर देश में एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न करने की चेष्टा की। महफूजुर्रहमान साहब उसके प्रतिष्ठित कार्यकर्ता थे। मुझे स्मरण है कि सन् १९४६ में वे बहराइच जिले से मुस्लिम लीग से लड़कर इस विधान सभा में चुन कर आये थे। ऐसे बहुत थोड़े लोग थे जिन्होंने उस जमाने में मुस्लिम लीग के साम्प्रदायिकतावाद का सामना किया और राष्ट्रीयतावाद के आधार पर विजय प्राप्त की। यह साधारण बात न थी। आज तो हमारे देश की परिस्थिति बदल चुकी है और उस काल की स्थिति से जो लोग वाकिफ हैं उन्हें मालूम है कि वह कितनी कठोर और कितनी कठिन परिस्थिति थी और कितना कठिन काम था। उस युग में वे मुस्लिमलीग के विरुद्ध राष्ट्रीयता के नाम पर चुन कर आये और सन् १९५२ तक वे शिक्षा विभाग में सभा सचिव रहे। यद्यपि फिर

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

वे विधान सभा में नहीं आये, लेकिन एक धार्मिक ,अध्ययनशील और पढ़ने-लिखने वाले व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताते रहे और सार्वजनिक सेवा करते हुये राष्ट्रीयता के आधार पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते रहे। दुर्भाग्य से उनका भी देहान्त हो गया, जैसे वह आदमी थे और जिन विचारों के वह प्रतीक थे और जिस प्रकार से राष्ट्रीयता के क्षेत्र में और स्वाधीनता के संघर्ष क्षेत्र में उन्होंने काम किया वह हम सबको मालूम है। उनके देहान्त से हमारे एक कमठ सेनानी, देशप्रेमी और राष्ट्रप्रेमी कार्यकर्ता का निधन हुआ है, उससे हमारे प्रदेश की क्षति हुई है। आपकी आज्ञा से मैं उनके परिवार के साथ अपनी समवेदना प्रकट करता हूं और आप से निवेदन करता हूं कि आप उनके परिवार को इसकी सूचना कृपा कर के दे दें।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भी किसी समाजसेवी कार्यकर्ता का निधन होता है तो हमारे लिये वह बड़े दुख का अवसर रहा है। हमारे गिरे हुये समाज को उठाने में जिन कार्यकर्ताओं ने भी प्रेरणा दी है उनका हमारा आज का समाज अभारी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने डाक्टर श्रीनाथ भार्गव तथा श्री महफूजुर्रहमान के बारे में जो विचार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी समवेदना आप उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वर्गीय डाक्टर श्रीनाथ भार्गव तथा श्री महफूजुर्रहमान साहब के निधन पर जो समवेदना प्रकट की है उसके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करना चाहता हूं। आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने अपना शानदार पार्ट अदा किया है उनमें से जब कोई अपने बीच से उठ जाता है तो जाहिर है कि हब सबको बहुत दुख होता है। डाक्टर भार्गव मथुरा में बराबर नगरपालिका के अध्यक्ष रहे और वह दस साल तक सदन के भी सदस्य रहे और सेवा करते रहे। पच्छिमी क्षेत्र में वह बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम जब भी वहां गये तो उनके गुणों का परिचय हमें उनसे मिल कर मिलता रहा और वहां का ऐसा कोई जन-साधारण नहीं है जो उनके कामों से परिचित न हो।

रहमान साहब के भी हमें बहराइच के वह दिन याद हैं जब मैं माननीय वित्त मंत्री जी के साथ गया था, यह वह जमाना था कि जब मुस्लिमलीग ऐसी फैली हुई थी कि किसी मुसलमान का मुस्लिमलीगी को हरा कर चुना जाना कोई साधारण बात नहीं थी, यह वह जमाना था कि जब कायदे आजम जिन्ना साहब के भड़काने पर मुसलमान मुस्लिमलीग का जहर पीकर मस्त हो रहे थे। उस जमाने में जो मुसलमान कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस का काम करता था उसके सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आती थीं, आज वह दिक्कतें नहीं हैं। रहमान साहब बहराइच जैसे पिछड़े इलाके में, उस उजड़े दयार में राष्ट्रीय भावनाओं से मुसलमानों को प्रेरणा देते रहे और आज तक इस प्रदेश का समाज उनका शुक्रगुजार है। अब मैं ज्यादा समय न लेकर आप से प्रार्थना करूंगा कि आप हमारी और हमारे दल की समवेदना संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, जिन दो महानुभावों का देहावसान हुआ है वह देश के बड़े कीमती खिदमतगार थे। ऐसे लोगों का अपने बुढ़ापे की अवस्था में भी जिन्दा रहना हमारे देश के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होता और मैं तो मन में यह सोचता रहता हूं कि ऐसे वयोवृद्ध लोग इस देश में कुछ अधिक दिनों तक बने रहें, चाहे उन्हें स्वयं कष्ट ही क्यों न हो, क्योंकि उनसे इस देश का अभी कुछ सुधार होगा। ऐसे बेमौके जब ऐसे लोगों की मौत होती है तो यह तकलीफ की बात है और वह उनके घर वालों के लिये तकलीफ की बात नहीं है, बल्कि उस इलाके और सारे देश के लिये है, ऐसा मैं महसूस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं। वित्त मंत्री जी ने जिन भावनाओं को व्यक्त किया है मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आप से प्रार्थना है कि हमारे तथा हमारे सभी मित्रों की समवेदना उनके दुखी परिवार तक पहुंचा दें।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, ऐसे मौकों पर समवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करने के इस अवसर पर हमें यह बात याद आती है कि पुरानी पीढ़ी जो आजादी के सिपाहियों और सेनानियों की है वह एक-एक करके खत्म होती जा रही है और थोड़े ही दिनों में वह कतार खत्म हो जायगी और वह जिम्मेदारी उसके बाद की कतार पर पड़ेगी। डाक्टर भार्गव मथुरा के ही नहीं पूरे ब्रज क्षेत्र के जाने-माने कर्मठ राष्ट्रीय नेता थे और उनका सियासी जिन्दगी में ही नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक और कुछ हद तक आध्यात्मिक, मेरा मतलब आर्य समाज से है क्षेत्रों में दखल रहा है। उनके मरने से बहुत बड़ी हानि हुई है। अभी कुछ दिन और रहते तो लोगों की सेवा होती, लेकिन काल ने उन्हें थोड़ा समय से पहले ही हमारे बीच से उठा लिया। मैं अपनी और पार्टी की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके संतप्त परिवार तक हमारी समवदना पहुंचा दें। उनका दुख हम सबका दुख है।

मैं महफूजुर्रहमान साहब को इस रूप में जानता था कि बहराइच शहर और जिले से मेरा बहुत वर्षों तक सम्बन्ध रहा है। विधायक न होने पर भी वहां के जन-जीवन से उनका काफी सम्पर्क था, शहर के लोग उनसे राय और सलाह लेते थे, उनका प्रभाव भी था तथा अनेक रूपों में उनकी सेवायें थीं और जमायत के मेम्बर होने के नाते उस संस्था से सम्बन्ध था जिसने मुस्लिम लीग के सम्प्रदायवादी तूफान में राष्ट्रवादी झंडा लिया और उसको बुलन्द कर सामना किया। जब मौलाना आजाद जैसी हस्ती पर अंडा, टमाटर आदि फेंके जाते थे और जूतों की माला पहनाने का साहस लोग करते थे, मौलाना मदनी ऐसे लोगों की दाढ़ी नोची गई थी उस समय उन हजारों मुसलमानों ने राष्ट्र का अलम उठाया वे महान् श्रद्धा के पात्र हैं, वे बहुमत सम्प्रदाय से भी ज्यादा श्रद्धा के पात्र हैं।

मुझे एक बात याद आती है, १९२६–२७ की बात है काकोरी षड़यंत्र केस में ४ नौजवानों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, राजेन्द्र लाहिड़ी तथा रोशनसिंह को फांसी की सजा हो चुकी थी और वे चार जेलों में अलग-अलग बन्द थे। उनमें भाई अशफाक उल्ला भी थे जो फैजाबाद जल में बन्द थे और वहीं उनको फांसी की सजा हुई, अच्छे मुस्लिम डिप्टी कलेक्टर घराने के थे, उन पर बहुत जोर दिया गया कि वह मरसी पेटीशन दें। उन्होंने फांसी की कोठरी में यही बात कही थी कि "भाई एक मुसलमान को फांसी तो चढ़न दो।" वह प्रथम मुसलमान थ और जहां तक मुझे याद है –आखिरी थे। उस तरह के महान् सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करना अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं चाहता हूं हमारी समवेदना आप उनक दुखी परिवार तक पहुंचा दें।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर श्रीनाथ भार्गव तथा श्री महफूजुर्रहमान के निधन पर अपनी और अपने दल की ओर से समवेदना प्रकट करता हूं और आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारे इस समवेदना के सन्देश को आप उनके संतप्त परिवार वालों को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मथुरा जिले के डाक्टर भार्गव और बहराइच जिले के रहमान साहब के देहावसान पर माननीय वित्त मंत्री तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन विचारों से मैं अपने को और अपने रिपब्लिकन दल को सम्बद्ध करता हूं। वैसे तो, उपाध्यक्ष महोदय, जब डाक्टर भार्गव और रहमान साहब असेम्बली के विधायक रहे थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल]

और स्वतंत्रता-संग्राम में उन्होंने अपना पार्ट अदा किया शायद उस समय मैं प्राइमरी स्कूल अथवा जूनियर हाई स्कूल का विद्यार्थी था, अतः मैं अपने इन महानुभावों से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं हूं, लेकिन इतिहास अमर है, अमिट है। महापुरुष जो काम कर जाते हैं वह इतिहास के पन्ने बताते हैं। वैसे तो जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन महापुरुष जो कार्य कर जाते हैं उनके कार्य की अमिट छाप रह जाती है, जिनके पद चिन्हों पर आने वाली पीढ़ी कार्यरूप में कार्य करती है। मैं एक बार पुनः इन महानुभावों के प्रति अपनी और अपने दल की ओर से समवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे इस समवेदना के सन्देश को उनके संतप्त परिवारों को पहुंचाने की कृपा करेंगे।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भावनाएं डाक्टर भार्गव और रहमान साहब के निधन पर व्यक्त कीं उनके साथ मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्रीमन्, डाक्टर साहब जिला मथुरा के रहने वाले थे और शुरू से आजादी की लड़ाई में जिस तरह से उन्होंने कार्य किया उससे सिद्ध होता है कि वे एक वालंटीयर की तरह से कार्य करते थे। मैंने भी उनके साथ कार्य किया था और यहां भी जब वे असेम्बली में आये बड़ी लगन से कार्य करते थे। वे बहुत कम भाषणों में पार्ट लेते थे, लेकिन उनके दिल में कार्य कर्मठता रहती थी और विधान सभा के सदस्य रहते हुये भी वे नगरपालिका के अध्यक्ष बने क्योंकि वहां की जनता उन्हें बहुत प्यार करती थी और चाहती थी। इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि जिस चुनाव में भी आप खड़े हुए उसमें जीते। अन्त समय में जब कि मथुरा जिले में पुलिस कांड हुए सरकार की नीतियों से उन्हें बहुत दुःख हुआ। सन् १९६२ में जब एलेक्शन में टिकटों का प्रश्न आया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि मैं विधान सभा का सदस्य नहीं होना चाहता और कहा कि श्री केदारनाथ जी को टिकट दे दिया जाय। वे वाकई में ऐसे व्यक्ति थे जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया है। उन्हें पंडित पंत जी बहुत मानते थे और जब कभी पंत जी मथुरा जाते थे वे उनके यहां ही भोजन करते और वहीं ठहरते थे। उनके लड़के सब डाक्टर हैं। उनकी धर्मपत्नी भी बहुत ही सुशील और उनकी सहायक रहती थीं।

यही रहमान साहब के बारे में है। वे नानकम्युनल सच्चे नेशनलिस्ट मुस्लिम थे। जब वे यहां पर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हुए तब उन्हें शिक्षा विभाग सुपुर्द किया गया था।

श्रीमन्, मैंने सोचा था कि ६ दिन से हमारी असेम्बली चल रही है और इन नेताओं की मृत्यु के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार की ओर से नहीं आया, परन्तु मुझे खुशी है कि आज माननीय वित्त मंत्री जी को याद आया और उन्होंने इस प्रस्ताव को पेश किया। मैं आप के द्वारा प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस समवेदना के सन्देश को आप उनके संतप्त परिवारों को पहुंचाने की कृपा करेंगे।

मैं आप के द्वारा अपनी तथा अपने दल की ओर से समवेदनाएं उन दोनों के संतप्त परिवार तक पहुंचाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आज के दिन जिन दो महानुभावों के लिये हम शोक प्रस्ताव पास कर रहे हैं उनमें से दोनों ही बड़े समाजसेवी थे। भार्गव साहब मथुरा जिले के सर्वमान्य नेता थे। जो काम उन्होंने वहां किया वह अनोखा था। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ आन्दोलन में भाग लिया और उसके बाद वह हमारी असेम्बली के मेम्बर हुए। उस समय मैं भी यहाँ का मेम्बर था। मैं देखता था कि उनमें देश प्रेम अधिक था और उन्होंने किस तरह से राष्ट्रीय आन्दोलन में हिस्सा लिया और देश के कार्यों में अपने को लगाया। उनकी जितनी प्रशंसा की जाय वह थोड़ी है। जो अन्य

---

*सभा ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों ने उनके प्रति भाव प्रकट किये हैं, वे सब भावनायें भी उनके उस कार्य के लिये काफी नहीं हैं मैं समझता हूं कि उनके लिये हम लोगों का जो आदर है वह हम सब लोग जानते हैं और हम चाहते हैं कि उनके संतप्त परिवार को समवेदना का समाचार भेजा जाय।

महफूजुर्रहमान साहब भी हमारे साथ थे और मैं उस समय इस सदन का सदस्य था। वह उस वक्त पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे। उन्होंने जिस लगन के साथ यहां काम किया उसे सभी जानते हैं। उस समय मुस्लिम लीग का जोर था। उससे लड़कर वह विजयी हुए। उन्होंने मुसलमानों में जो साम्प्रदायिकता थी उसका बड़े जोर से मुकाबला किया और फिर भी विजयी हुए थे। उन्होंने बड़े ऊंचे दर्जे का देश प्रेम दिखाया था और बड़े ऊंचे काम किये थे। मैं जानता हूं कि उन्होंने अपने कार्यों से देश को बहुत फायदा पहुंचाया था। इन दोनों महानुभावों के निधन से केवल उनके परिवार को ही नहीं, उनके जिले को नहीं, वरन् देश को एक बड़ी क्षति पहुंची है। आप लोगों की जो भावनायें हैं, समवेदना की बातें हैं, उन सब को मैं इस सदन की तरफ से और सभी पार्टियों की तरफ से उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब हम दो मिनट खड़े हो कर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सब सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

बिजनौर जिले में तथा गाजीपुर जिले की जमानिया तहसील में धान पर लेवी लगने के संबंध में वक्तव्य

*रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बिजनौर जिले में चावल को लेवी के अन्दर लाया गया है। माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न उठाया है तो मैं बता दूं कि हम काश्तकारों से कोई लेवी धान में नहीं लेते हैं। वहां पर हलर व शलर धान कूटने की मशीनें होती हैं उनमें ६० परसेंट पर लेवी और ४० परसेंट पर छूट है। पश्चिमी जिलों में चावल बहुत कम खाते हैं, लेकिन वहां पर उसे पीस कर रोटी बनाते हैं। तो हमने पैडी पर कोई लेवी नहीं लगाई है। काश्तकार जितनी चाहे पैदा करे, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो मार्केटेबिल सरप्लस होता है उसी में से हम लेते हैं लाइसेन्स्ड डीलर्स से और हलर व शेलर वालों से। तो इससे जनता या काश्तकारों पर कोई असर पड़ता ही नहीं है। तो यह बात जो उन्होंने लिखी यह मेरी समझ में तो आयी नहीं।

जहां तक गेहूं आदि खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि की बात उन्होंने कही, यह भी मेरी समझ में नहीं बैठी। वैसे तो कल यहां बहस हुई थी, सभी जगह मूल्य बढ़े हैं, लेकिन इससे काश्तकारों का कोई नुकसान नहीं। हम जो लेवी लेते हैं वह फ़ेयर प्राइस शाप्स से जनता में फिर वितरित करते हैं और भावों को नियन्त्रित करते हैं। पिछले साल तो हमने अपने लिये ही १ लाख टन के करीब चावल लेवी ली थी। अब की केन्द्रीय सरकार ने अपने लिये भी ७५ हजार टन चावल मांगा है। ऐसी हालत में नये क्षेत्र जिनमें सरप्लस होता है उन सब को इसके अन्तर्गत ले लिया है और मैं समझता हूं कि इससे कोई हानि नहीं बल्कि लाभ ही होगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

लेवी आप उन क्षेत्रों में लगाते हैं जहां आप समझते हैं कि पैदावार अधिक है। तो गाजीपुर की जमानिया तहसील में जो लेवी का नियम आपने लागू किया है क्या मंत्री जी को यह पता है कि वहां कुल ४३ हजार एकड़ भूमि में धान की खेती होती है और १० मन प्रति एकड़ के हिसाब से वहां साढ़े ४ लाख मन धान की पैदावार होगी जिससे ३ लाख मन चावल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजरसिंह]

पैदा होगा और वहां की आबादी २ लाख ८० हजार है। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति १ मन चावल एक साल में पैदा होता है। तो ऐसे क्षेत्र में लेवी लगाने का क्या आधार है जब कि वह डेफ़िसिट एरिया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

कल माननीय कृष्णानन्दराय जी ने भी इस विषय पर कहा था तो मैंने उसके भी आंकड़े देखने की कोशिश की। लेवी दो दृष्टिकोण से लगायी जाती है। एक तो जो सरप्लस क्षेत्र होता है और दूसरे जहां से स्मगलिंग की सम्भावना होती है। वहां की आबादी २ लाख ७९ हजार के करीब है। इसमें हमने १५ परसेंट लेस कर दिया जो चावल नहीं खाते हैं। आपने तो १० मन के हिसाब से लगाया, लेकिन हमने ६ मन के ही हिसाब से लगाया तो ५,४२,६२८ मन आता है। २ छटांक प्रति व्यक्ति के हिसाब से क्योंकि सब चावल ही चावल थोड़े खायेंगे, और चीजें भी तो खायेंगे, २ लाख ७० हजार मन हुआ। बीज और वेस्टेज वगैरह के लिये ७० परसेंट हमने यह भी लगा लिया तो ९५ हजार मन हुआ। यह सब मिला कर ३ लाख ६५ हजार मन होता है। फिर भी १ लाख ८७ हजार मन के करीब सरप्लस होता है इसलिए जमानिया तहसील में इस दृष्टिकोण से लेवी लगायी गयी क्योंकि हाल में वहां सिंचाई की व्यवस्था भी हो जायगी। पिछली पैदावार में मैंने जमानिया में देखी तो १९६०–६१ में वहां ३ लाख ३७० टन पैदा हुआ और १९६१–६२ में जब फसल कुछ खराब हुई तो १,००,५३० टन पैदा हुआ। इसके अलावा इस एरिया से बिहार को बहुत काफ़ी पैडी चली जाती है गोकि हमने चौकियां वगैरह वहां बना रखी हैं। तो इससे वह इल्लीगल मूवमेंट भी रुक जायगा। तो वहां पर ज्यादा केन्द्रित कर दिया है और फिर उसमें से हम इस बात का आपको एश्योरेंस देते हैं वैसे हम ४० परसेंट पापुलेशन के लिये छोड़ देते है, कि जितनी खपतें होंगी वह हम लाकर फेअर प्राइस शाप्स के जरिये देंगे। इसलिये उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो आंकड़े दिये मैं उनको चैलेंज करता हूं और मेरी यह धारणा है कि आर० एफ० सी० विभाग ने जो आंकड़े दिये हैं उसमें क्रिमिनल नैगलीजेंस का काम किया है और माननीय मैनेजर सिंह जी ने जो आंकड़े दिये है उसको वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा वैरीफाई करा लें। पांच वर्ष से हमारे प्रदेश में लैवी लग रही है, लेकिन आज तक यहां नहीं लगी। लेकिन इस साल जब कि धान की फसल ओले से खराब हो गई है और तकावी के लिये किसान मारे-मारे फिर रहे हैं तो क्या यह लेवी लगाना अन्यायपूर्ण नहीं है और इसको क्या मंत्री जी वापस नहीं करेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, जो विवरण मैंने दिया है उससे तो मैं इसको युक्तिसंगत समझता हूं। अगर इस विषय पर आपको कोई आंकड़े देने हों या बात करनी हो तो मैं आपका स्वागत करता हूं और इस पर विचार-विनिमय हो जायगा?

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि इसका कोई प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ता है। केवल हलर और शेलर वालों से लैवी ली जाती है, लेकिन क्या यह प्रतिबन्ध किसानों पर नहीं है कि वह अपनी फसल लैवी एरिया से बाहर नहीं ले जा सकते है, इसलिये उनको अपनी प्रोड्यूस का उचित मूल्य नहीं मिलता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

ब्लाकों में ऐसा होता है और हमारा प्रदेश कई ब्लाकों में विभाजित है, उसमें मूवमेंट हो सकता है और चावल का मूवमेंट सारे प्रदेश में हो सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मंत्री जी ऐसा विचार क्यों नहीं रखते हैं कि जो ६० परसेंट की लेवी लगा रहे हैं, उसको हटा दें या जो बैरियर्स आपने बढ़ाये हैं उनको हटा दें तो प्राइस अपने आप डाउन हो जायगी ? क्या वह इस पर विचार करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

श्रीमन्, पैडी पर कोई लेवी नहीं है, लेवी चावल पर है। इसमें बड़ा अन्तर है। जब पैडी काश्तकार से खरीदी जाकर बाजार में चली जाती है और आवश्यकता से अधिक होती है और उसके चावल बनने पर हक ६० परसेंट लेते हैं आपने कहा कि हटा दिया जाय तो क्या होगा ? अन्तर्प्रदेशीय मूवमेंट तो हमने चावल पर लगाया नहीं है। प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है। दूसरे प्रदेश में ले जाने पर प्रतिबन्ध है। ब्लाक बाज जगह छोटे होते हैं और बाज जगह ४–५ जिलों को मिला कर एक ब्लाक होता है, वहां जा सकती है। अगर छोटा ब्लाक होगा तो वहां एक आध हलर या शैलर होगा जो मनमानी कीमत ले सकता है। इसी को दृष्टि में रखकर हमने सारी बस्ती को एक कर दिया है। इसको हटाया जा सकता है मगर यह देख लीजिये कि मूवमेंट हटाने से जहां मंहगा होगा वहां चला जायगा और चावल ३०–३५ रुपये मन तक हो जायेगा। तो अपने प्रदेश के अन्दर रहने से हमारी स्थिति यह है कि हम सेंटर को भी देते हैं और अपने आप भी स्वावलम्बी हो गये। चावल के दाम में केवल एक दो रुपये की वृद्धि हुई है, २२–२३–२४ के करीब भाव है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं कि केरल को चला जाय, बंगाल को चला जाय, उड़ीसा में चला जाय और यहां ३०–३२ रुपये मन भाव हो जाय तो दूसरी बात है। लेकिन यह प्रदेश के हित में करना नितांत आवश्यक है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा आशय यह था कि जो बैरियर लगा रहे हैं और प्रदेश के अन्दर ब्लाक्स बना रहे हैं इन ब्लाक्स को हटाकर प्रदेश के अन्दर फ्री मूवमेंट कर दें और प्रदेश के बाहर जाने पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करें इस पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दो-तीन वर्ष हमने यही किया। सारे प्रदेश के अन्दर पैडी का मूवमेंट फ्री कर दिया था। लेकिन उसमें यह बाधा पड़ी कि वह दूसरी जगह निकलने लगा और हमारी वसूलयाबी बहुत कम हो गयी इसलिए उसको बदला। बाद में उन हलर्स और शैलर्स से ब्लाक बनाने के बाद काफी मात्रा में चावल मिलने लगा। जहां पहले हमारी वसूलयाबी ७० हजार टन थी उसके बाद डेढ़ लाख टन हो गयी।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या खाद्य मंत्री अपनी इस जानकारी को सुधारने का प्रयास करेंगे जो उन्होंने कहा कि चावल के मूवमेन्ट पर रोक नहीं है ? जमानिया तहसील में पांच मील का वेस्ट एरिया है उसमें सरकार ने पांच मील के बाहर जाने से रोक दिया है जिससे जमानिया की समस्त मंडी बिलकुल खत्म हो चुकी है। तो लेवी वाले प्रश्न पर क्या खाद्य मंत्री जी इस बात को सोचेंगे कि जब लेवी नहीं लगी थी तब व्यवसायी और मिलवाले किसानों को ११॥ रुपये मन धान का दाम दे रहे थे, जबकि १८–१९ रुपये मन चावल का भाव था ? लेकिन अब लेवी से १५ रुपये मन चावल खरीदने पर बाध्य कर रहे हैं और वह किसान को ९ रुपये मन कीमत देते हैं. लेकिन कर्मनाशा के बाद कोई नेचुरल बार्डर नहीं है वहां पर १३ रुपये मन धान का दाम है। ऐसी परिस्थिति में जहां पर ९ रुपये में धान खरीद रहे हैं उसके दो ही मील बाद जब १३ रुपये में धान बिक रहा है इस नीति से खाद्य मंत्री स्वतः स्मगलिंग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसलिए क्या लेवी को हटा लेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बाडर जहां पर मिलता है वहां पर जरूर पांच मील का कारीडर एरिया है । उसके बाहर व्यवसायी चावल नहीं ले जा सकते, इसलिए कि स्मगिल हो जाता है । वहीं नहीं राजस्थान की तरफ भी है । जमानिया उस पांच मील के अन्दर आता होगा । अगर किसी चीज की प्राइस गिर जाती है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है कि वह प्राइस सपोर्ट देती है । अगर आपके यहां भाव गिर गया है तो उसकी सूचना दें तो हम वहां दूसरी जगह से कम्पेटीटर्स भेज देंगे जिससे काश्तकारों की पैदावार का भाव ऊंचा हो जायगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या खाद्य मंत्री जी बनारस और मिर्जापुर को भी सम्मिलित करके जमानिया तहसील का एक जोन बना देंगे जिससे कम से कम पड़ोस के मिल वाले खरीद मंडी को चालू रखें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हां, हम इस पर सोचेंगे ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में प्रोक्योरमेंट करने का जो फैसला किया है उसके अनुसार चावल के लिए जो प्रोक्योरमेंट की एजेंसीज हैं उनसे किस कीमत पर उसका चावल लेने का फैसला उसने किया है और किस रेट से ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसके अलग-अलग रेट्स हैं । फर्स्ट, सेकन्ड, थर्ड, फोर्थ, स्पेशल सब क्वालिटीज के अलग अलग हैं । किसी के १५, किसी के १६.७५ और किसी के १९ । एक्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो जिसका चाहें आपको बता दूं । जहां सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लेने का सवाल है, हमारे रेट्स फिक्स्ड हैं और गजटेड हैं । उन पर वह लेते हैं और हम उनको देते हैं । किसान से लेने के लिये सब बात तो डिमान्ड और सप्लाई पर होती है । वहां १२ रुपया मन भी ले लेते हैं, ११ भी लेते हैं, १० रुपये भी लेते हैं । अभी रुद्रपुर में जब १० रुपये से नीचे भाव गिरा तो हमने परमिट देकर उसको ऊंचा कर दिया ।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल भी इस बात पर डिबेट थी कि अनाज की कीमतें बढ़ रही हैं । जहां तक उस लेवी की बात है मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्ट सवाल पूछना चाहता हूं कि इस स्थिति को देखते हुये क्या वह यह उचित नहीं समझते कि फूडग्रेन्स में स्टेट ट्रेडिंग शुरू हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चावल पर तो स्टेट ट्रेडिंग है, गेंहूं पर भी स्टेट ट्रेडिंग चल रही थी । मैं और यह सरकार उसके पक्ष में थी मगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जब फारेन से ह्वीट मंगाया तो हमने उस काम को छोड़ दिया क्योंकि उनके स्टाक में फारेन ह्वीट बहुत था । वैसे स्टेट ट्रेडिंग बहुत माकूल चीज है, होनी चाहिये ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने बिहार बार्डर पर कुछ चौकियां स्मगिंलग को रोकने के लिये कायम कर रखी हैं । क्या मैं मंत्री जी से मालूम कर सकता हूं कि वे चौकिया स्मगिंलग रोकने के बजाय उसको बढ़ाने में मददगार हो रही हैं और रोकने में निकम्मी साबित हुई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

अब मैं कैसे कहूं कि निकम्मी साबित हुई हैं । मैंने कल फिगर्स दिये थे कि कितने केसेज पकड़े गये और उनमें कितना अनाज पकड़ा गया । वैसे तो ब्लैकशीप हर जगह होते हैं ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मंत्री महोदय ने अभी सदन में बतलाया है कि लेवी ३ जगह पर लगायी गयी है। एक तो स्मग्लिग रोकने के लिये, दूसरे सरप्लस एरिया में और तीसरे धान पर नहीं, चावल पर लगा ी बयी है। यह तो वैसे ही है कि किसी मुर्गी से कहा जाय कि तुम अंडे मत दो, जो बच्चे होंगे उन पर कर लगेगा। धान पर नहीं, चावल पर है तो धान पर भी हो गयी। खैर, गढ़वाल में तो स्मग्लिग की गुंजायश है नहीं, क्योंकि वह डेफिसिट एरिया हमेशा रहा है और रहेगा। वहां बाहर से ३० हजार मन चावल आता है तो वहां पर क्यों लेवी लगायी गयी है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

उपाध्यक्ष महोदय, वह तो मैंने अपनी कांस्टीट्युएंसी में लगाया है, इनकी कांस्टीट्युएंसी में नहीं है। मैं अर्ज कर दूं कि क्यों लगा है। वहां एरिया सरप्लस एरिया है जहां पर लगा है। वहां के काश्तकारों पर लगा भी नहीं है, उससे उनका कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) वह वहां के हलर और शेलर पर लगा है। मैंने यह अपनी कांस्टीट्युएंसी में काम किया है और वह उनके हित की दृष्टि से ही किया होगा। उनकी बुराई की दृष्टि से नहीं किया होगा।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस लेवी का असर गोरखपुर में मेरी कांस्टीट्युएंसी नौतनवां में बहुत हुआ है? गत वर्ष धान पर प्रतिबन्ध लगा कर जो हजारों मन धान वहां के व्यापारियों से खरीदवाया गया उसके लिए हलर और शेलर का परमिट नहीं दिया गया और जब काश्तकारों से खरीद लिया गया तो उसको बहराइच भेजा गया और मनमानी कीमत पर वहां के लोगों ने उसका लाभ उठाया। इस प्राइस की नीति को देखते हुए यदि वह मूवमेंट पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो गोरखपुर में हलर और शेलर का भी परमिट देकर उस चावल को वहां से लाने की क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री जगमोहन नेगी—

हलर तो नहीं, क्योंकि उससे चावल टूटता है और इस की हानि होती है, शेलर के लिए कोई अप्लाई करे और वहां अगर नहीं है तो जरूर देंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी को जमानिया से ही क्या खास दिलचस्पी है कि जमानियां में ही लेवी वह लगाते हैं और कितने वर्षों से लगातार लगाते चले आ रहे हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मुझे किसी खास जगह से कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है। मेरी तो सब जगह के लिए एक सी दिलचस्पी है। मैंने वहां के लिए कृष्णानन्द राय जी से कहा कि अगर वह अपने आंकड़ों से आकर बता दें या मैनेजर सिंह जी बता दें और उसके ऊपर अगर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हुई तो पुनर्विचार किया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला ऐसा है कि जहां चावल की फसल ही नहीं होती है और उसमें छाता तहसील ऐसी है कि वहां आपने प्रतिबन्ध लगा रखा है, वहां की मंडी कोसी कलां है, इस तरह जो वहां की डेढ़ लाख जनता को चावल से वंचित कर रखा है, उसको देखते हुए क्या इस काले कानून को वह तोड़ेंगे?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

इसमें कोई शक नहीं कि मथुरा जिले की आबादी पकड़ में नहीं आती है और वहां की बात भी पकड़ में नहीं आती है। कोसी कलां बिलकुल बोर्डर पर है गुड़ गांव के और वहां से सारा माल बाहर जाता है। मथुरा में चावल की पैदावार भी काफी है और पश्चिमी जिले में लोग चावल खाते भी नहीं है, तो उसमें लेवी लगाकर पूर्वी जिलों को अगर भेज दिया जाय तो क्या हानि है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रतिबन्ध लगाया गया है इसका सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि वहां किसानों की गल्ले की कीमत गिर जाती है और आस पास कीमतें ज्यादा होती है इसलिए वहां स्मग्लिंग होती है? आपने यह कहा है कि इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी तो हम बाहर से कम्पेटीटर्स और मिल मालिकों को भेजेंगे जो वहां जाकर उचित दाम पर खरीदेंगे। लेकिन आपके कहने से वह जायेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो फायदा इससे होता है कि ऐसी स्थिति बनी रहे और उनको कम कीमत पर मिलता रहे। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये जो वाजिब कीमत है आसपास के जिलों की उस कीमत पर गवर्नमेंट खुद खरीदने की कृपा करेगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने पहले बताया कि केन्द्रीय सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि जहां पर कीमतें धान की गिरेंगी वहां वह उसको परचेज करेंगे। यह आश्वासन उन्होंने बिलकुल दे रखा है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमारे पास भी तरकीब है कि competition between the sellers कराकर और दूसरे जिलों का परमिट देकर के उसकी कीमत को ऊंचा उठवा सकते है और यह किया भी है, अब तक करते आये हैं। कहीं भी अगर ऐसा मौका होता है कि इन उपायों से काम नहीं चलता है तो जैसा मैंने पिछले साल भानुप्रतापसिंह जी को बताया था उसमें क्षेत्र पैडी का बढ़ा दिय और उससे यह काम हो गया।

श्री भानुप्रतापसिंह—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि राइस के मूवमेंट पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका अर्थ यह है क बस्ती जिले के ट्रांस राप्ती एरिया से किसान अपना चावल बिना रोकटोक के किसी भी भाग में ले जा सकता है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

वह उसके कुछ अपवाद हैं। जैसे कारीडोर एरिया का बताया, वैसे ही इसमें राप्ती में भी जरा-सा अपवाद यह है और एक अपवाद और है कि ४० परसेंट रिलीज का ही मूवमेंट हो सकता है लेवी देने के बाद। यह तीन अपवाद हैं। लेवी को वसूलयाबी के लिए बहुत जरूरी था। इसलिए रखना पड़ा।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि जिन लोगों को अमावस के मौके पर या ऐसे ही मौकों पर चावल नहीं मिलता है उनको अपने यहां मकान पर बुला कर दावत करायें?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

दावत के लिये हमने अपने यहां गेस्ट कंट्रोल आर्डर नहीं रखा है, लेकिन हमारा मोरेल यह अपील करता है कि अपने यहां १५, २० आदमियों से ज्यादा आदमियों को अमोज न करें।

श्री छत्रपति अग्निश (जिला आगरा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार अपनी स्मगलिंग रोकने की अक र्ण्यता को क्या लेवी में बदल कर उसकी क्षति पूर्ति करना चाहती है जिससे उस शहर का नुकसान हो ? दूसरी बात यह है कि स्मगलिंग तभी होती है जब बराबर के प्रान्त में भाव ऊंचे हों तो ऐसे समय में लेवी को लगाना कहां तक जस्टिफाइड है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं आगरा वालों की इस बात को समझता हूं। वहां से स्मगलिंग बहुत होता है। अब इसके माने यह हैं कि आगरा में भाव तेज है तो वहां लेवी की क्या जरूरत है। मैं कहता हूं तभी तो लेवी की वहां पर जरूरत है।

श्री छत्रपति अग्निश—

जब कहीं पर भाव तेज होंगे तो स्मगलिंग नहीं होगा। जब सस्ते होंगे तभी स्मगलिंग होगा। आगरा में भाव तेज है तो वहां पर क्या जरूरत है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

स्मगलिंग तभी होगा जब दूसरी जगह भाव तेज होंगे।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि पैडी का जो भाव तय किया गया है वह किस आधार पर किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जरा स्पष्ट कर दीजिये।

श्री भानुप्रतापसिंह—

इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं। जो भाव चावल के निश्चित किये गये हैं, किसानों के उत्पादन के मूल्य किस बेसिस पर निश्चित किये गये हैं ? उनके भाव बहुत कम हैं जिससे किसानों को नुकसान होता है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

यह बात सही है। विचार किया गया और अब इस साल एक रुपया बढ़ा दिया गया। एक एक रुपया हर क्विंटल पर बढ़ा दिया गया है। इस साल बाजार के भाव को देख कर और अपनी सब चीजों को समझ कर भाव निश्चित किये गये हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका पुनः निरीक्षण करती है।

श्री छत्रपति अग्निश—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। आप यदि समझ सके हों तो कृपया आप मुझे समझा दें या मुझे मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप फिर प्रश्न कर लीजिये।

श्री छत्रपति अम्बेश—

मैंने प्रश्न यह किया था कि स्मगलिंग के आधार पर लैवी लगाई गई है। यह उनकी अकर्मण्यता है कि स्मगलिंग को वह रोक नहीं पाये। इस वजह से लैवी लगाई गई। स्मगलिंग, जब भाव ऊंचे हों पास के प्रान्त में तभी होती है। पास के प्रान्त में भाव नीचे हैं तो फिर भी क्या कारण है कि लैवी लगाई जाय ? तो अकर्मण्यता के कारण स्मगलिंग को जो नहीं रोक पाये हैं तो उसको लैवी लगाकर क्यों पूरा करना चाहते हैं, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं पहले ह' निवेदन कर चुका हूं इस बारे में। आप शान्ति से सुनने की कृपा करें। मैंने कहा था कि अगर दूसरे प्रदेशों में भाव ऊंचा है तभी स्मगलिंग करने की प्रवृत्ति होगी, नहीं तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। अगर वहां भाव नीचे हैं तो स्मगलिंग का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यह ठीक है कि राजस्थान में भाव ऊंचे नहीं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का क्या हाल है ? लेवी तो एक दिन में नहीं लगती। उसके लिये नोटिफिकेशन कराना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और इस सब कार्यवाही में समय लगता है। बार्डर एरिया में आप नहीं कह सकते कि कल क्या भाव थे और आगे क्या रहेंगे। बिहार में हमेशा चावल यहां से सस्ता रहा करता था लेकिन इस बार ६, ७ रुपये का फर्क हो गया। तो भावों के अनुसार अगर हम लैवी लगाने की बात सोचें तो उस बीच में चोर अपना काम कर ले जायंगे। इसलिये मैं पहले से ही तैयार रहता हूं और आप मेरी इस कर्मण्यता की तारीफ न कर मेरी अकर्मण्यता की बात करते हैं। यह तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतलायेगी कि गोंडा जिले के राप्ती के कछार में चावल पैदा होता है और वे किसान लैवी भी देते हैं फिर भी उनको चावल लाने की इजाजत नहीं है तो क्या उनको महीने में एक, दो बोरा लाने की इजाजत जिला मैजिस्ट्रेट से दिलाने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

पिछले साल और हर साल कोई काश्तकार अपने खर्च के लिये अगर चावल ले जाना चाहे तो ले जा सकता है। उसे इसकी पूर्ण इजाजत है और अगर इसके लिये कोई व्यवस्था और आवश्यक हो तो की जायगी।

श्री गंगाप्रसाद—

हमको लाने की इजाजत नहीं है। इंस्पेक्टर लाने नहीं देते।

श्री चैतन्यराजसिंह—

आपने फरमाया कि एक रुपया प्रति क्विन्टल प्राइस बढ़ा दी है। यह एक नया पैसा प्रति १० किलोग्राम आती है। तो यह प्राइस किस आधार पर बढ़ाई गयी है और क्या यह मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए जस्टीफाइड है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

बड़ी मुसीबत है। अगर ज्यादा लगाने से भाव बढ़ जाय तो आप ही कहेंगे कि आपने बाजार भाव बढ़वा दिये। अगर आप कहें ४ रुपया जस्टीफाइड है तो आप सोचिये कि उसका असर कंज्यूमर पर ही पड़ेगा। यह तो सोचने की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब कोई सवाल नहीं होगा। यह समाप्त किया जाता है।

गन्ने के मूल्य, गुड़ तथा खन्डसारी पर प्रतिबन्ध, चीनी वितरण तथा रिजर्व एरिया के किसानों के ऊपर दो-तिहाई गन्ना मिल में देने वाले प्रतिबन्ध के विषय पर चर्चा—(क्रमागत)†

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, गुड़ और खंडसारी पर कल से विवाद चल रहा है। श्रीमन्, यहां सरकार ने बड़ी दुहाई दी कि सरकार ने किसानों के गन्ने का भाव २ रुपये मन कर दिया है। सोशलिस्ट पार्टी इसके लिये सरकार को बधाई नहीं दे सकती क्योंकि हमारी पार्टी की तो मांग है कि कम से कम ढाई रुपये मन गन्ने का भाव होना चाहिये।

श्रीमन्, नवम्बर में हमारी एक कमेटी बरेली गयी थी और उसने रामपुर में भी शकर की मिलों के विशेषज्ञों से बात की तथा कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई जो मैं यहां सदन को बतलाना चाहता हूं। बहुत से वक्ताओं ने गुड़, खंडसारी तथा शकर का तो जिक्र किया किन्तु इस तथ्य की ओर जिसे मैं बतला रहा हूं किसी ने कुछ नहीं कहा। श्रीमन्, मैं यह आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि १०·मन गन्ने में एक मन शकर तैयार होती है और उसी गन्ने से २ मन शीरा तैयार होता है। शीरे का भाव बाजार में आजकल ८ रुपये मन है। उसी शीरे को मिल वाले ४ आना मन पर दूसरे मिल को ट्रांसफर कर देते हैं। मिलों के अन्दर मैंने देखा और विशेषज्ञों ने मुझे बताया कि एक मन शीरे में ५ गैलन थी एक्स रम तैयार होती है, लखनऊ में जिसका भाव १६ रुपये बोतल है। उसी से २ एक्स रम भी तैयार होती है जिसका मंडी में भाव २० रुपये बोतल है। तो श्रीमन्, एक मन शीरे में जिसका भाव ४ आना मन है इतनी कीमत की शराब तैयार होती है। एक शराब माल्टा की है उसकी कीमत बाजार में ५–१० रुपये है। इस हिसाब से आप देखें कि २० रुपये प्रति बोतल के हिसाब से २ एक्स रम के ५ गैलन का दाम ६०० रुपये हुये, १६ के हिसाब से ३ एक्स रम ५ गैलन का दाम ४८० रुपया हुआ और माल्टा के ५.७० प्रति बोतल के हिसाब से ५ गैलन के दाम १७१ रुपये होते हैं। इसलिये सोशलिस्ट पार्टी कहती है कि गन्ने का दाम कम से कम ढाई रुपये प्रति मन होना चाहिये। मिल वालों ने यह भी बताया कि इसी से स्पिरिट भी तैयार होती है। उसका भाव तो सभी माननीय सदस्य जानते हैं क्या है। अब आप देखें कि उसी शीरे से यह शराब तैयार होती है, और उसी से रबड़ भी तैयार होती है जिसके टायरों का उपयोग आप अपनी मोटरों में करते हैं। एक टायर का आज भाव क्या है, आपको मालूम है। आज एक ठेले के टायर की कीमत ८०० रुपये आती है और किसानों के ढाई रुपया फी मन दिलाने से सेंटर और लखनऊ की सरकार भागती है और किसानों पर दिन-दहाड़े डाका मारती है।

डालमियां मिल में कुछ सदस्यों के साथ मैं भी गया था वहां पर हमको एक एक थाली जिस पर शराब की बोतल बनी हुई थी मिली जिसकी कीमत लखनऊ में २०·७५ रुपया है। सारे दिन खिलाते-खिलाते बीमार कर दिया। जब अपने जिले में मैं गया तो सोशलिस्ट पार्टी के सभापति ने मुझको फटकार बतायी और उनसे मुझे माफी मांगनी पड़ी और शायद कमेटी से इस्तीफा भी देना पड़े। आप आर्डिनेंस लगा कर जनता से जबरदस्ती गन्ना लेना चाहते हैं, यह जबरदस्ती आपकी चल नहीं सकती है। मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि वह ढाई रुपया प्रतिमन गन्ने की कीमत के लिये लड़ें और सोशलिस्ट पार्टी उनका साथ देगी। कह तो दिया जाता है लेकिन गांव के किसानों को शकर बिलकुल ही नहीं मिलती है। रामगढ़ टिकरिया गांव से मेरे पास सब लोगों के दस्तखत होकर बरस्वास्त आयी है कि उनको शकर दिलाई जाय। वहां का कोटा उसी आदमी को दे दिया गया जिसके पास ग्राम पंचायत का कोटा है। रामगढ़ टिकरिया

†१३ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही से।

[श्री रतीपाल]

ठाकुरों और हरिजनों की बस्ती है। वैसे तो सरकार हरिजनों की बड़ी दुहाई देती है लेकिन इस स्थान के लोगों के बच्चों को त्योहार के दिन भी पूड़ी चीनी के साथ खाने को नहीं मिली। सोशलिस्ट पार्टी का मत है कि गुड़ किसी हालत में २० रुपया मन से अधिक न बिकना चाहिये। हमारे जिले के सप्लाई आफीसर और इंसपेक्टर हाईकोर्ट के जज से भी अधिक हैसियत रखते हैं। मैंने जिलाधीश को सबूत दिया कि हमारे यहां की शकर कानपुर जाकर बिकती है। सोशलिस्ट पार्टी ने इसके लिये हड़ताल की और एक मोटर को जिसमें ३० बोरा शकर कानपुर जा रही थी, पकड़वाया। मैं सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि हमारे यहां चुनाव हुआ और वहां के कांग्रेसी विधायक ने सारे जिले में चीनी बंटवाई।

रसद मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के .....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, पहले खाद्य मंत्री जी से हम लोगों को निवेदन कर लने दें तब वे जवाब दें तो अच्छा होगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं भी इस बात को चाहता था लेकिन मेरी तबियत कुछ खराब है, पेट में कुछ दर्द है। दूसरे यह कि इसका जवाब तो दूसरे मंत्री देंगे जिनका ताल्लुक खांडसारी और शुगर केन से है। मुझे तो केवल चीनी वितरण पर ही अपनी सीमित बात कहनी है और आशा है कि जितने आने वाले प्रश्न हैं उन सब पर मैं कह दूंगा, इसलिये मुझे क्षमा करें मैं लाचारी के कारण कह रहा हूं .....

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मंत्री महोदय केवल चीनी वितरण के संबंध में अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं और मैं अभी अपने क्षेत्र में चीनी के वितरण के सबंध में कुछ कहना चाहता हूं .....

श्री उपाध्यक्ष—

सभी कहना चाहते हैं, आप ही केवल नहीं कहना चाहते।

श्री नाथूराम शिक्षक—

हम ने अपने क्षेत्र के विषय में बार-बार उनके सामने स्थिति रखी लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती, मेरे पास वहां की तमाम दरख्वास्तें मौजूद हैं ....।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मुझे आप २ मिनट का ही समय दे दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब तो वह खड़े हो चुके हैं, आप बैठें।

श्री नाथूराम शिक्षक---

अभी आप उन्हें बिठा दें, माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि मंत्री जी को बाद में समय दिया जाय। वह बीच में ही बोलने लगे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री नाथूराम शिक्षक---

मैं बैठे जाता हूं।

*श्री जगमोहनसिंह नेगी---

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है और दुख भी है कि शकर की वितरण व्यवस्था में काफी त्रुटियां हैं और जो विचार माननीय सदस्यों ने यहां कल व्यक्त किये और आगे भी व्यक्त करेंगे, उनके संबंध में मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वह यहां पर कहने की अपेक्षा अपने विचार जिलेवार मुझे लिखकर दे दें, वह ज्यादा कारामद होंगे। यहां होता यह है कि एक बात एक सदस्य कहता है और दूसरा उसकी काट कर देता है, मेरा तो इस से काम हलका हो जाता है.....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

लाइन लगी रहती है, उन से मिलने का मौका ही नहीं मिलता।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जायं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---

मेरी कठिनाई यह है कि हम उन की कठिनाई को कैसे सुनें और समझें, न वह सुनने का मुझे मौका देते हैं और न हमारी बात ही सुनने की कृपा करते हैं। जरा आप शांति से सुन लीजिये। मैं जो कुछ मुझसे हो सकता है वह करने की कोशिश कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। उदाहरण के लिये मैं इतना अर्ज कर दूं जैसा कि मैं कल कह रहा था कि चीनी पर प्रतिबन्ध क्यों है। एक बड़े जिम्मेदार माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान और पंजाब में कोई घपला नहीं है, वह कहते हैं कि स्मगलिंग होती है और आपकी नीति से गुड़ जो यहां २० व २२ रुपया मन है वह चोरी से पंजाब और राजस्थान में जाकर ५० रुपया मन बिक रहा है। तो यह तो मोटी सी बुद्धि की बात है कि अगर वहां ५० रुपया मन गुड़ बिक रहा है, वहां चीनी की क्या दशा होगी। एक माननीय सदस्य मुकाबला कर रहे थे कि दिल्ली और पंजाब में कोई घपला नहीं है। उन की आंखों के सामने जो दिल्ली का हाल है और जो अखबारों में खबरें और फोटो चले आ रहे हैं उनसे आपको मालूम हो सकता है कि क्या व्यवस्था है। यहां जो बात कहना चाहिये यहां के जिम्मेदार सदस्यों को वह जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिये। कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे मंत्री जी दिल्ली गये ही नहीं और वहां से कोटा बढ़वाकर नहीं लाये। एक बार मैं उनसे मांगने गया था तो उन्होंने कहा कि भिखमंगे खप्पर लेकर आ जाते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगा और आज हम इस पोजीशन में हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया गेहूं देती है तो हम उसे चावल देते हैं। हम भिखमंगे नहीं हैं। क्या नंगी नहाये औ' क्या निचोड़े। दिल्ली जा कर क्या मांग लायें जब इस महीने का २० हजार टन का कोटा पूरा नहीं मिला, केवल १० हजार टन ही दे पाये? दिल्ली वह जाय जिसको चुगलखोरी करनी हो। मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने यहीं से हजारों पत्र लिखे हैं। मैं समझता हूं अगर हमारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

हक है तो केंद्रीय सरकार को उसे देना चाहिये अगर उनके पास है तो। मगर उनकी मजबूरी को भी देखना है, वह भी क्या करें जब मिलों में प्रोडक्शन नहीं है।

बनारस की मिलों को मेरठ की मिलों से लाना पड़ा क्योंकि पूर्वी जिले की चीनी मिलों में चीनी नहीं थी। अलाटमेंट केंद्रीय सरकार करती है, हम कहते हैं जिस जिले में कोई मिल है तो वहीं से लीजिये। वह कहते हैं तुम ही नहीं हो, औरों को भी देना है। तो हमें सरटेन कोटा एक मिल से निर्धारित करते हैं। आप इन चीजों को समझने की चेष्टा कम करते हैं, कितनी प्रेक्टिकल डिफिकल्टीज हैं। आप तो ऐलफ्रेड किंग की तरह से हैं। दिल्ली जा कर अगर कोई नतीजा निकल सके तो ठीक है, या मुझे मालूम हो कि वहां के फूड मिनिस्टर जादू के डंडे से मैन्यूफेक्चर कर सकते हैं तो उनसे जा कर मांगूं। लेकिन देंगे वह यू० पी० की मिलों से ही, तो जाने से क्या फायदा। मैं समझता हूं कि दरबारदारी की प्रथा खराब है। जो हमारा हक है वह मिलना चाहिये। बैकडोर एंट्री में नहीं पसन्द करता जो माननीय बहुगुणा जी मुझे समझा रहे थे। मैंने कई डी०ओ० लिखे हैं और हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस विषय में बातचीत भी की है। निरर्थक चेष्टा भी बेकार होती है।

गुड़ पर हमने स्वेच्छा से प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। केंद्रीय सरकार ने चीनी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये मुनासिब समझा। अब हम उनके किसी काम में जो देश हित का हो, बाधा तो नहीं डाल सकते, बल्कि उसमें हम साथ देंगे। इसलिये उन्होंने गुड़ पर प्रतिबन्ध लगा दिया, उसका मूवमेंट बन्द किया। हमने यहां तक कर दिया कि ट्रक पर अगर कोई गुड़ ले जायगा तो ट्रक भी जब्त हो जायगी। अगर आदमी केवल ५ सेर ले जाता है तो उसके ऊपर कुछ नहीं होता, पर अगर उसके ऊपर ले जाये तो वह भी पकड़ा जायगा। (हंसी) उसके लिये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो खुद चाहता हूं कि जो गुड़ जानवरों को खिलाया जाता है उसको रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल में तो किसी प्रकार के गुड़ को भी रोकना नहीं चाहता केवल खंडसारी को जरूर रोकना चाहता हूं क्योंकि जब क्रिस्टल शुगर नहीं है तो उसकी जगह पर खंडसारी के जो भाव थे वे चढ़ गये। यह बात सही है कि ऐसे मौके पर पाबन्दी लगानी चाहिये जिससे काश्तकारों को कोई नुकसान न हो और मिडिल मैन फायदा न उठायें। पर कमी के कारण इस शुगर पर अर्थात् क्रिस्टल शुगर पर इतना प्रैशर पड़ा कि हजार कोशिश करने पर भी जो खराबियां हैं उनको निर्मूल करने में असफल रहे। आज से २ साल पहले जब शुगर पर कंट्रोल लगाया था तब हम अगर सेंट परसेंट नहीं तो कम से कम ५०–६० परसेंट कामयाब हो गये थे परन्तु आज हम स्वयं यह अनुभव करते हैं कि बमुकाबले पहले के हम ३० परसेंट भी सफल नहीं हुये हैं। इसका कारण केवल यह है कि हर आदमी शुगर पर चिपक रहे हैं और खंडसारी के भाव बहुत ज्यादा हो गये हैं। जहां पर आम जनता को चीनी भी न मिले और गुड़ भी न मिले वहां गदर-बदर हो जायगी। सदन में माननीय सदस्यों को शांत करने में स्वयं माननीय अध्यक्ष को कितनी कठिनाई होती है, हमें भी वही कठिनाई होती है जनता को शांत करने में। इसका निराकरण हल्ला करने से नहीं होगा, शोरोगुल करने से नहीं होगा। इसका निराकरण करने का एकमात्र उपाय यही है कि हम इस मसले पर गंभीरता से विचार करें, सोच समझकर काम करें और दूसरों के विचारों को समझकर और तदनुसार कार्य करें।

गुड़ का जहां तक सवाल है उसे हर आदमी नहीं खाता है। पर शुगर के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट की इस बात की मांग है कि हमें देश के विकास के लिये, विदेशी मुद्रा की परमावश्यकता है इस वर्ष शुगर के भाव वर्ल्ड में बढ़े हुए हैं। यही मौका है जब हम शुगर बाहर भेजकर अपनी बि देशी मुद्रा कमा सकते हैं तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हमें बढ़ाना होगा। चीनी के प्रोडक्शन को हम तभी बढ़ा सकते हैं जब हम खंडसारी के ऊपर कुछ थोड़ी सी रोक लगा दें। मैं तो खुद इस पक्ष में हूं कि जब तक हमारी क्रिस्टल शुगर का कोटा नहीं बढ़ता तब तक खंडसारी पर पाबन्दी रहे पर इस पक्ष में नहीं हूं कि गुड़ पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। क्रिस्टल शुगर

मैन्युफैक्चरिंग में जो दिक्कत आती है उसको भी हमें देखना है और उस पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात माननी पड़ती है और हर समझदार व्यक्ति को माननी चाहिये। चीनी ब्लैक में मिलने के २ ही कारण हैं जहां तक मैं सोच सका हूं। एक तो यह है कि जो चीनी बिक्री के लिये दी जाती है उसमें से कुछ बचा ली जाय। मैं कहता हूं कि कोई महानुभाव मुझे बतला दे, सेंट्रल गवर्नमेंट या यह सदन बतला दे तो मैं उसे मानने के लिये तैयार हूं। एक तरफ आप लोग किसानों के हमदर्द बनते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि यह जो नैसेसिटी बेसिस है वह ठीक नहीं है। ८० परसेंट आदमी देहात में रहते हैं और जितना कोटा है वह भी ठीक तरह से पहुंचता नहीं है देहात में। उनको शिकायत आती है कि हमारे साथ भेदभाव बरता जाता है। देहात वाला कौन खाता है, उसकी शकर ब्लैक में जाती है तो शहर में भी एक किलो लेकर जिसकी आमदनी बहुत कम है वह भी ब्लैक में बेंचता है। अगर आप को ब्लेक कराना है शहर वालों को एक किलो दे कर तो देहात वालों को भी मौका दीजिये वे भी कमायें। लेकिन अगर आपको सच्चरित्र बनाना है चाहे देहात हो या शहर हो तो आवश्यकता के मुताबिक शुगर देनी होगी।

आप समाजवाद की बात करते हैं तो आप टैक्स दीजिये। गरीब को १ रुपये सेर दीजिये और अमीर को ढाई रुपये सेर लगाइये लेकिन यह करने के बजाय आप उल्टा रास्ता अख्तियार करते हैं। आप कहेंगे कि ऐसा क्यों नहीं कर देते? तो यह हमारी शक्ति नहीं है। यह केंद्रीय सरकार की शक्ति में है और यह तभी हो सकता है जब यहां पर भी ढांचा रूस जैसा हो जाय। जब तक संविधान के मुताबिक यहां काम हो रहा है तब तक यह नहीं हो सकता।

हमारी स्टैंडिंग कमेटी सब पार्टियों की है। उसने इस नीति का समर्थन किया है कि आवश्यकता के मुताबिक हम बांटें। तो यह सोचते हैं कि यह व्यवस्था गलत है और खत्म हो जायगी तो यह उनका स्वप्न है। जब तक स्टैंडिंग कमेटी का निर्णय है और हाउस उसे टर्न डाउन नहीं कर देता वह नीति चलेगी। मैं कुछ दिनों का इन्तजार कर रहा हूं और मेरा खयाल है कि इससे पकड़ने में बड़ी आसानी होगी और चोरबाजारी खत्म हो सकेगी।

एक बात यह भी है कि और किस्म की शुगर ओपिन पेन वाली है और क्रिस्टल शुगर केवल फेयर प्राइस शाप्स पर ही मिल सकेगी। कहीं और अगर मिलता है तो वह डी०आई० आर० में पकड़ा जायगा ऐसे आदेश हमने जिलाधीश को दे रखे हैं। यह भी आदेश है कि आधा किलो देहात में पर यूनिट दिया जाय लेकिन सुना यह है कि आधा किलो पर फेमिली दी जा रही है। तो वे बेवकूफ हैं, समझते नहीं है बात को। मैं हजार बार स्टेटमेंट दे चुका हूं कि आधा किलो पर यूनिट देहात में शुगर दी जायगी। अगर बहुत अड़चन हुई तो आवश्यकता के मुताबिक शुगर का वितरण करना ही पड़ेगा चाहे आधा क़िलो हो या ३/४ किलो हो लेकिन देहात और शहर सब बराबर होंगे। लेकिन मैं ब्लैक नहीं चाहता हूं। आज कल जो व्यवस्था है इसमें तो ब्लैक होने की बहुत गुंजायश है, इस बात में सब एक मत हैं। जहां खराबियां हैं हमने कोशिश की है कई आदमियों को बदल कर के, निकाल कर के, उनको दूर करने की। मैं वह सदन में इसलिये नहीं बता सकता हूं क्योंकि उसमें वैधानिक बाधायें आती हैं। बाज-बाज जगह कहते हैं कि एक हफ्ते की चीनी देते हैं, जैसे लखनऊ में है। लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी है कुल १०–१५ रोज के लिये। बोगस कार्ड्स की छंटनी कर रहे हैं। कहीं किन्हीं संस्थाओं से यह काम करा रहे हैं, जैसे होम गार्ड्स। लोगों का खयाल है कि ऐसी संस्थाओं से यह नहीं कराना चाहिये। मगर मैं डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन में अनड्यू इंटरफियरेंस भी नहीं करना चाहता हूं और उनको मौका दे रहा हूं कि वे जिस तरह हो ब्लैक मारकेटिंग खत्म करें और जो जिलाधीश और सप्लाई अफसर उसमें कामयाब नहीं होगा उसमें हम समझेंगे कि कोई काबलियत नहीं है।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

मैंने फूड एडवाइजरी कमेटी बना दी जिससे सब एम० एल०ए० और एम० एल० सी० अपनी बातें वहां रख सकें और जब कोई तफरका हो तो मेरे पास आयें, मैं हर वक्त तैयार हूं और आपकी जितनी बातें मेरे पास आयेंगी मैं उनको सुनूंगा, आप निश्चिन्त रहें, चाहे गुड़ के विषय में हो, चाहे खडसारी के विषय में हो, चाहे डिस्ट्रिब्यूशन की बात हो हमारा रीजनेबिल ऐटीट्यूड होगा। हम उपभोक्ता, किसान और उत्पादनकर्ता सब की भलाई के दृष्टिकोण से काम करना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि इसमें खामियां नहीं हैं, खामियां होंगी, आप लोग मुझे उन्हें बतायें, मैं उन्हें दूर करूंगा। लेकिन असेम्बली में ही सुना कर हर काम करवाना चाहें तो कोई खास लाभ नहीं होगा। हां, यहां कहने से आपको भी प्रलोभन रहता है और मुझे भी रहता है कि आम जनता सुन ले लेकिन बहुत-सी बातें जो आज खराब हो रही हैं वह उसी प्रोपेगैंडा की वजह से हो रही हैं। अनने जैसी प्रोपेगैंडा से नुक्सान होता है लेकिन अगर इस तरह का प्रोपेगैंडा हो तो उससे अच्छा असर पड़ता है कि अगर फूडग्रेंस की कीमत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गयी तो गवर्नमेंट एक, डेढ़ परसेंट कैश पर और २ परसेंट क्रेडिट पर से ज्यादा मुनाफा नहीं लेने देगी। गवर्नमेंट इस पर आ सकती है मगर आपकी मदद होनी चाहिये। पहले मैंने कितना वार्न किया, दो महीने तक वार्न किया कि शुगर पर कंट्रोल आ जायगा अगर ट्रेड ने ठीक से बिहैव नहीं किया। दो महीने, मई और जून प्राइस कंट्रोल तो रहा मगर डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। जब लोगों ने हल्ला मचाया तब मजबूरन हमें कंट्रोल करना पड़ा। आज फिर हमें लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम कंट्रोल करें, गल्ले की कीमत बढ़ रही है और अगर नहीं करेंगे तो कहेंगे कि वाह, आपने कंट्रोल नहीं किया, कीमतें बढ़ गयीं। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी, यह मान्यवर अच्छा नहीं है। मैं अपेक्षा करूंगा माननीय सदस्यों से कि एक बात कहें और डट कर कहें। यह क्या कि एक माननीय सदस्य कहें कि यहां स्मगलिंग हो रही है और फिर उसी मुंह से कहें कि वहां ५६ रुपया मन गुड़ बिक रहा है। अगर यह बात है तो स्मगलिंग कैसे हो रही है।

हमारे एक बड़े जिम्मेदार सदस्य कल कह रहे थे कि पंजाब में चीनी की कोई समस्या नहीं है, आपके ही यहां यह गड़बड़ी हो रही है और फिर कह रहे थे कि वहां ५६ रुपये मन गुड़ बिक रहा है। अगर आप ध्यान से सोचें तो यहां जो माननीय सदस्य बोलते हैं उनका किसी का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गेंदा सिंह जी का जवाब तो झारखंडेराय जी दे देते हैं और झारखंडेराय जी का जवाब उग्रसेन जी दे देते हैं। तो इतना कंट्राडिक्शन आप लोगों के कहने में होता है। हम किस की बात मानें? इसलिये मैं कहता हूं कि हम वाजिब चीज को मानें और सब मिल कर यहां पर विवाद करें। आप लोगों ने जो बातें कहीं उनके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर मेरी वजह से हमारी नीति खराब होगी तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो इस विभाग को छोड़ देगा। हम कभी नहीं चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत हैसियत से या व्यक्तिगत लाभ की वजह से सारे प्रदेश का कोई नुकसान करें। मैं इसका कभी हामी नहीं रहा हूं। अगर आप समझते हैं कि मुझ में कुछ कमियां हैं तो आप मेरी मदद कीजिये, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मेरे भा मेरी मदद करते हैं, आप भी करें। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां से बुराइयां हट जायं और काम सुचारु रूप से चले। मैं आपका आभारी हूं और सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं।

*श्री गेंदासिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं जो नेगी साहब और गोविन्द सहाय जी के रहते हुये अपनी बात कहने का मुझे अवसर दिया। यह चीनी का भाव खरीदा हुआ है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत कीमत इसके लिये सरकार ने अदा की है। इसलिये यह आदमी का बनाया हुआ भाव है और इसके लिये जिम्मेदार सरकार है। श्रीमन्, ६०–६१ में चीनी का उत्पादन साढ़े चौदह लाख टन था। उस समय यह प्रश्न था कि चीनी की खपत कैसे हो। यद्यपि यह सही है कि उस सम : भी चीनी उपभोक्ता को उचित क मत पर नहीं मिली। थोड़े लोगों को जिनकी संख्या आबादी में से केवल २ परसेंट है ज रूर ठीक कीमत पर मिलती थी और आज जबकि कंट्रोल है जिसके लिये नेगी साहब अपनी पीठ ठोकते हैं, उनको अब भी मिलती है, माल जरूर कुछ खराब मिलता है। साढ़े चौदह लाख टन से जो हमारा उत्पादन सवा आठ ला ख टन पर आ गया, यही अभाव का मुख्य कारण है। दुनियां की कोई ताकत ऐसी नहीं है जब कि चीज पैदा न हो तो ठीक भाव पर चीज दिलवा दे। मिक्स्ड इकोनोमी में यह बात नहीं हो सकती है कि कंट्रोल अपने असली स्वरूप को कम कर सके। इसके लिये बड़ी बड़ी संस्थायें और लाखों आदमी लगे हुये हैं कि किसी तरह से ज्य दा से ज्यादा लाभ उठा लें। इसका एकमात्र उपाय है कि प्रोडक्शन बढ़े। अगर प्रोडक्शन गिरेगा तो सप्लाई और डिमांड का तकाजा होगा कि कभी भाव गिरेंगे और कभी चढ़ेंगे और मुल्क को तबाह कर देंगे। श्रीमन्, यह अभाव हमीं लोग लाये। जिस समय साढ़े बारह लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ उस समय भी नेगी साहब केबिनट के मेम्बर थे। उन्होंने उस समय कुछ नहीं किया। उनके यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हम बहुत तेजी से बोलते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर्स को डांट देते हैं, इसके कहने से काम नहीं चलता। उसको ठंढे दिल से सोचना चाहिये। हाउस में जब नेगी जी डाटने लगते हैं तो उस वक्त समझते हैं कि नेगी जी बहुत उत्तम काम करने वाले हैं। सारे के सारे लोग उनके नीचे काम करने वाले भ्रष्ट हैं, उन पर वह काबू नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन्हीं भ्रष्ट लोगों की वह सरकार है। यह बात वह भूल जाते हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

हमारे सरदार तो आप हैं।

श्री गेंदासिंह—

हमारे तो आप भाई हैं, छोटे भाई हैं।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

गेंदा सिंह जी हमारे लोगों के तो सरदार ही हैं।

श्री गैंदासिंह—

राम मूर्ति जी तो कह सकते हैं लेकिन सभी लोग नहीं कह सकते डी० एस० ओ० उनका बड़ा जोरदार है। कांडपाल जी ने कह दिया कि हमारा हुक्म नहीं है कि महीने में चार बार चीनी लेने के लिये जाओ। लेकिन लखनऊ में उनकी नाक के नीचे वह चार मर्तबे में दिलवाता है। मिनिस्टर साहब और से केटरी साहब के घर वाले जाते हैं तो वह भी जाया करें महीने में चार मर्तबे। अगर वह नहीं जाते हैं तो चपरासी चार मर्तबे जाय। मालूम नहीं है कि क डपाल जी के घर में कुछ है, मेरा मतलब उनकी श्रीमती जी से है। शायद उनकी फि क उनको नहीं है। अगर बगैर उनके हुक्म के लखनऊ में चार मर्तबा लोगों को दौड़ाया तो पहले उनको सजा दें और मैं जानना चाहूंगा चार दिन के बाद सदन में कि अगर यह बात हुई है बगैर उनकी मर्जी के तो क्यों हुई और उसके लिए क्या सजा मिली ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने इस बात का हवाला अपनी स्पीच में दिया था कि गवर्नमेन्ट के आर्डर नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ बोगस कार्ड स बन गये हैं उनकी स्क्रुटिनी करने के लिये दस दिन के लिये इंतजाम किया है। उसके बाद हटा देंगे।

श्री गेंदासिंह—

तो कहिये आपकी मर्जी से हुआ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैंने स्वीकृति नहीं दी मैंने यह कहा है कि हमने पूछा कि ऐसा क्यों किया है, हमारे आर्डर नहीं हैं, तो उन्होंने उसका यह उत्तर दिया ।

श्री गेंदासिंह—

वह तो एक्सप्लेनेशन की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज चीनी किसी भी आदमी को दो रुपये सेर में मिल सकती है। मार्केट प्राइस दो रुपये सेर है एक रुपये सेर में गुड़ मिल सकता है। मैं कहता हूं कि कंट्रोल का नाम क्यों लेते हैं? जब रोज ओपेन मार्केट के रेट सारे अख्बारों में आते हैं, चाहे वह छोटे हरूफ में छाप देते हों लेकिन हर अखबार में आते हैं। जहां कन्ट्रोल प्राइस लिखते हैं वहीं ओपेन में लिखते हैं १८० रुपये क्विंटल में बिक रही है। मैं समझता हूं कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अफसर के पास और नेगी साहब के पास अखबार जाता होगा। उस ओपेन मार्केट का पता लगाने के लिये उन्होंने क्या किया? जब एक-एक छटांक चीनी पर कंट्रोल है तो कैसे ओपेन मार्केट में आती है? यह किसकी जिम्मेदारी है? आप उस अखबार को घर में क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या नेगी जी ने उस ओपेन मार्केट का पता लगाने की कोशिश की?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

मैं खुद कई दुकानों पर गया। कई आदमियों ने कहा कि ओपेन मार्केट में मिलती है। मैंने उनके हाथ भी जोड़े कि नाम बता दो लेकिन उन्होंने कोई नाम नहीं बताया। मैंने जितनी दुकानें छानीं कहीं मिली नहीं।

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि अब यह मौका आ गया है कि आप असमर्थ हैं, आप इस काम को नहीं कर सकते। अब इसके आगे वाली बात आप खुद समझ लीजिये। श्रीमन्, अब बटवारे की बात मैं पहले कहता हूं क्योंकि मुझे अपनी मुख्य बात आगे कहनी है। यह बंटवारे की बात निश्चित तौर पर बहुत ही डिफेक्टिव है। इतनी डिफेक्टिव है कि जिसका हिसाब नहीं। बाजपुर से चीनी देवरिया जा रही है और देवरिया से नैनीताल को जा रही है। हिन्दुस्तान की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार की इतनी सलाह भी नहीं मान सकती? उसको ज्योग्रफी का ज्ञान नहीं है कि नैनीताल से ६०० मील देवरिया है। उसको रिटेलर को या होलसेलर को इतनी दूर से चीनी दे रहे हैं कि ले जाओ। देवरिया से चीनी भेज रहे हैं, गोला गोकरन नाथ और गोला गोकरननाथ से भेज रहे हैं देवरिया को। जान बूझकर कांडपाल जी ने कल इस प्रश्न को नजरअन्दाज किया। उन्होंने कहा कि फलां नम्बर जिले से फलां नम्बर जिले को। नम्बर क्यों कहते हैं, साफ साफ यह क्यों नहीं कहते कि फलां जिले से फलां जगह को इतने बोरे भेजे गये। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप यह बतायें कि कितने होलसेलर्स को किस जिले से किस जगह कितनी चीनी भेजी गई? और कितनी बार उत्तर प्रदेश की गवर्नमेन्ट ने केन्द्रीय सरकार से प्रोटेस्ट किया कि ऐसा मत करो? शायद एक बार भी नहीं किया होगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

चूंकि आप ना कह रहे हैं इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है ....

श्री गेंदासिंह—

आप फिर कह दीजियेगा क्योंकि आपको तो उपाध्यक्ष जी ज्यादा वक्त दें देंगे, मुझे नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय गेंदा सिंह जी, यह तो जरा बेजा बात है। मैंने सबको टाइम दिया है।

श्री गेंदासिंह—

लेकिन मैंने तो इस डर से कहा है कि मुझे थोड़ा डरता रहना चाहिये। श्रीमन्, एक और तरीका है मैन मेड, जो मैंने कहा है कि इस वर्ष जब की थी, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये था कि फैक्टरीज ज्यादा जल्दी चले और दूसरी बात ध्यान में रखने की यह थी कि खंडसारी अधिक से अधिक बन सके और जल्दी बन सके। तीसरी बात यह कि गुड़ जल्दी बने और जितना बना सके उतना बने। अगर गुड़ पर पाबन्दी आज लगानी थी तो यह कोई कन्ज्यूमर के हित की दृष्टि से तो आपने किया नहीं। कहीं भी उपभोक्ता के हित का ध्यान आपने नहीं किया। श्रीमन्, उपभोक्ता तो ज्यादा पैसा बराबर देता रहा। लेकिन जब मिलों के लिए जरूरत पड़ी पाबन्दी लगाने की तो फौरन पाबन्दी लग गई और मिलों के पेरने का वक्त जब खत्म होगा तो वह पाबन्दी भी हटा लेंगे। लेकिन कन्ज्यूमर्स की दृष्टि से आपने क्या किया? वह तो एक अभाव की स्थिति बनाने की कोशिश आपने की। खडसारी को २५ नवम्बर तक नहीं चलने दिया। खंडसारी की जितनी यूनिटें पिछले साल चल रही थ उसकी आधी यूनिटों को नहीं चलने दिया. . . .

विद्युत उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

पारसाल जितनी यूनिटें चलती थीं वह सब चल रही हैं।

श्री गेंदासिंह—

इसमें एक बात माननीय शान्ति प्रपन्न जी ध्यान में रखें और वह अपने दफ्तर से सूचना मंगवा लें कि कितनी दरख्वास्तें पड़ीं और यह भी ध्यान में रखें कि पिछले साल उनके मुहकमे की कनाइवेंस से कितनी खंडसारी की यूनिट्स चलती थीं। (व्यवधान) वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वह जिम्मेदारी भी आपकी है। ऐसी सैकड़ों यूनिट्स हैं और मैंने जो एक इलाके में गिनती की तो २५–३० यूनिट्स वहां निकल गईं। ६१–६२ में आपने उनको पैसा दिया। सरकार ने कहा कि चलाओ और यह पैसे भी ले जाओ, यह टेक्निकल मदद भी ले जाओ। पी० आर० ए० आई० से। यह सब करके यूनिट्स खड़ी करवा दिया और फिर एक डिपार्टमेन्ट रखा। उस डिपार्टमेंट ने आपकी मर्जी से या बिना मर्जी के लाइसेंस के भी बहुत सी यूनिट्स को चलने दिया। वह बिला लाइसेंस चली। पिछले साल जब कमी हुई तो फिर लाइसेंस मिलना दुश्वार हो गया और उसके बाद देरी से वह चली और मेरा ऐसा अन्दाज है कि हजारों यूनिट्स मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में ऐसे हो सकते हैं जो बिला लाइसेंस चले और इनके बिना लाइसेंस चलते आपने कहा कि हम नहीं चलने देंगे। आप रेगुलेट करते, उनको सजा देते, जो कुछ भी करते लेकिन अभाव की स्थिति में आपने इस प्रकार से किया है। अगर वह खंडसारी उत्पन्न करते तो आज उत्तर प्रदेश की दुर्गति नहीं होती। इसलिये मैं राममूर्ति जी का खास तौर से ध्यान दिलाऊंगा कि पिछले १० वर्षों के अन्दर सफेद चीनी का कन्जम्पशन करीब करीब बराबर है, वह बढ़ा नहीं है। तो इसके माने हैं कि सफेद चीनी की जगह पर गुड़ और खंडसारी से काम चला लिया गया है और इसीलिये उसकी जगह पर सफेद चीनी बाहर भेजी जा सकी है। तो हमारा काम गुड़ और खंडसारी बनने से चल सकता था लेकिन उस वक्त कोई रेगुलेशन नहीं था, कुछ नहीं था लेकिन उसको जबरदस्ती रोका गया और एक मैन मेड स्केयरसिटी बनायी गयी और आपके सामने प्रमाण के साथ यह रखना चाहूंगा कि खडसारी के न चलने से ही मार्केट में तेजी आयी है।

श्रीमन्, यह दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मैन मेड स्केयरसिटी है। अब १९६०–६१ की बात मैं अर्ज करूं। काश्तकार बोवाक करता है जनवरी फरवरी में। उस वक्त मिलें चल रही थीं।

[श्री गेंदासिंह]

मई, जून तक मिलें चलीं और साढ़े १४ लाख टन चीनी बनी। जिस वक्त जनवरी, फरवरी में किसान ने बोया उस वक्त सरकार ने डुगडुगी पीटकर एलान किया कि खाद देंगे, बीज देंगे, तुम गन्ना बोओ और इतना ही नहीं मिल मालिकों को ८ करोड़ रुपया ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिये इंसेंटिव दिया लेकिन अगस्त में दिल्ली की गवर्नमेन्ट को इलहाम आया और उसने मिल मालिकों से कहा खबरदार, तुमको इतना नहीं पेरना होगा। पिछले साल जितना तुमने पेरा था उससे दस परसेंट कम पेरना पड़ेगा वही तुम्हारा कोटा होगा। इसका नतीजा क्या हुआ? किसान ने तो जनवरी फरवरी में बो दिया, थर्ड फाईव ईयर प्लान का सारा आब्जेक्टिव यह कहता है कि सोइंग सीजन में प्राइस फिक्स करो ताकि काश्तकार उसे देखकर बोवे। जनवरी फरवरी में वह बो चुकता है और अगस्त में उससे कहा जाता है कि नहीं लिया जायगा गन्ना। फिर सारी दुनिया में दौड़े फिरे और कहा गया कि कोल्हू चलाओ, खडसारी का लाइसेंस भी मिलेगा, कर्जा भी मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, किसी तरह से इस बढ़े हुए गन्ने से जान छुड़ाओ। उसका नतीजा यह हुआ कि १२,१२ लाख टन तैयार हुई। उस वक्त आप बफर स्टाक बना सकते थे। आपने ५ लाख टन का फैसला किया था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने नहीं किया। उत्तर प्रदेश की सरकार को केन्द्रीय सरकार पर जोर देना चाहिये कि हमारे किसान मरे जा रहे हैं और बफर स्टाक में रखकर किसानों को बचाना चाहिये जिससे किसान न मरने पावे। ६२-६३ में गन्ना सवा ८ लाख टन पहुंच गया वह किस वजह से, इसकी वजह सरकार है।

अब ९६३-६४ में आप क्या करने जा रहे हैं? सारी ताकत लगा देंगे ताकि सारा गन्ना शुगर फैक्टरी को मिल जाय। अब श्रीमन्, बतलाइये कि किसका कसूर है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि इन बातों को जान बूझकर किया गया। मैं राममूर्ति जी से कहता हूं कि वह इन बातों पर विचार करें कि उस साल ८ लाख टन शुगर कम बनी और सरकार को करीब २८ करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसीलिये मैंने शुरू में कहा कि यह स्केयरसिटी आपने क्रियेट किया है। कन्ज्यूमर को कितना नुकसान उठाना पड़ा है उसको आप छोड़ दें। यह २८ करोड़ रुपया निकलकर पानी की तरह गया। किसान जागा और उसने इस २८ करोड़ के नुकसान के लिये मजाक उड़ाया। पंचवर्षीय योजनाओं के लिये आप कोई तरीका निकालते हैं कि कहां से पैसा आये लेकिन यह सरकार को २८ करोड़ रुपये का लास हो गया। जब एक मन चीनी बनती है तो सरकार को १३ रुपया नेट आमदनी होती है। वह एक्साइज ड्यूटी, पर्चेज टैक्स और कमीशन से होती है। इन तीनों को मिला कर १३ रुपया कुछ पैसे सरकार को मिलते हैं। १० रुपये कुछ पैसे एक्साइज ड्यूटी से, २ रुपये नेट इन्कम पर्चेज टैक्स से और इसके अलावा कमीशन से तो इस तरह तीनों को मिलाकर १३ रुपये कुछ पैसे सरकार को मिलते हैं। इस तरह से अगर हिसाब लगाया जाय तो १ लाख टन चीनी पर नुसकसान ३।। करोड़ रुपया आता है। ८ लाख टन चीनी कम बनी तो सरकार ने २८ करोड़ का घाटा उठाया। सरकार को २८ करोड़ रुपये का घाटा हुआ। यह कितना महंगा सौदा सरकार ने खरीदा।

आज सारे देश में हम क्या करने जा रहे हैं? अब जो करने जा रहे हैं वह यह है कि गन्ने पर पाबन्दी कर रहे हैं किसानों के लिये। यह पाबन्दी ज न में आप करना चाहते हैं। एक तो यह कि आप जोन बनाना चाहते हैं। एक मील के एरिया में रिजर्व जोन जिसका नाम होगा वह आप करना चाहते हैं। उसमें कोई किसान दूसरी फैक्टरी को अपना गन्ना बेच नहीं सकता। अगर वह बेचता है तो उस पर पैनाल्टी है। यह पुराने कानून के मुताबिक है। अब उसके बाद बांडिंग है कि अगर कोई काश्तकार, अपने गन्ने का जितना सट्टा हुआ है, सट्टा पूरा अगर वह नहीं करता है तो उसको १५ परसेंट माफ करके दंडित किया जायगा। जितना गन्ना उसमें से बाकी रह जायगा उसके हर मन पर २० पैसे दंड उसको देना पड़ेगा। यह दूसरी पाबन्दी है।

अब तीसरी पाबन्दी भी सुन लीजिये। एक कोआपरेटिव केन यूनियन है। इस सूबे में उसकी बड़ी भारी मेम्बरशिप है। मैं चाहता हूं गोविंद सहाय जी और शर्मा जी जरा ध्यान

दें कि उसके १८,२० लाख मेम्बर हैं। उस कोआपरेटिव यूनियन का काम यह है कि वह गन्ना सप्लाई करे मिलों को। उसके चेयरमैन केन कमिश्नर होते हैं। मजाल नहीं है। कि केन कोआपरेटिव यूनियन कुछ कर सके। उसको अख्तियार नहीं है कि गन्ने के लिये कोई सौदा कर सकें। उस कोआपरेटिव में आदमी घट रहे हैं। अब भी उसके १९,१९ लाख मेम्बर हैं। ३६ हजार गांवों में उसकी जड़ फैली हुई है। उस कोआपरेटिव केन यूनियन का अब केवल इतना काम रह गया है कि अगर कोई काश्तकार यह कहे कि हम गन्ना नहीं देंगे तो फिर उसके पीछे सारी ताकत लगती है। सारे अधिकारी कहते हैं कि हड़ताल तोड़ो और गन्ने की सप्लाई करो। किसानों की रीढ़ तोड़ने के लिये वह यूनियन बनी हुई है। मैं भी उन यूनियन्स का बहुत हामी था। आज भी कोआपरेटिव होने के नाते हामी हूं। आज उसका काम यह रह गया है कि कमीशन प्राप्त करे। वह मिलों की सप्लाई एजेंसी है। वह कोआपरेटिव अब नहीं हैं। वह एक तरह से रुकावट भी है। एक पैनल बम्बई में बैठता है और वहां बैठकर इस बात को सोचता है कि गुड़ की सप्लाई में किस तरह से मदद करें। वह मदद यह करते हैं कि सप्लाई तो होगी लेकिन गुड़ की सप्लाई करने का अख्तियार गवर्नमेन्ट को नहीं होगा ताकि गुड़ की कीमत गिर जाय।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त रेलवे ने गुड़ की लोडिंग बंद कर दी और इस कारण उसकी कीमत गिर गयी। फूल सिंह जी ने इस बात को बड़ी सफाई से कहा। इसके अलावा खरीदने वालों को बैंक कर्ज नहीं देता। इसके अलावा खंडसारी पर, पावर क्रशर पर अनेक पाबन्दियां हैं, लेकिन जब उन से काम नहीं चल पाया तो आप २/३ का डी०आई०आर० ले आये। किसान का कसूर यही है कि उसने गन्ना पैदा कर लिया। आज तक आप कोई बतला दें कि हिन्दुस्तान में किसी पर अपना सौदा बेचने पर पाबन्दी लगी हो। किसान ने अपना पसीना बहा कर गन्ना पैदा किया है, लेकिन उसका भाव तय करने वाले दिल्ली में बैठे हैं और उसका गाहक तय करने वाले लखनऊ में बैठे हैं और बेचने वाले की गरदन पर तलवार लटक रही है। अगर आप उस किसान पर डी० आई० आर० लगाते हैं तो गन्ने का दाम न देने वाले पर क्यों नहीं लगाते? कम तौलने वाले पर उसे क्यों नहीं लगाते? क्या वही फिफ्थ कालमिस्ट है? इसके अलावा आप देखिये कि २/३ का फैसला कौन करेगा? मैं जानना चाहता हूं कि आज तक आपको जो उपज है वह है ४०० मन प्रति एकड़ लेकिन क्या कभी २०० मन से ज्यादा सप्लाई हुआ है? ४०० मन का २/३ होता है २६६ मन। क्या कभी शुगर हिस्ट्री में २६६ मन गन्ना सप्लाई हुआ है मिल को? कोई बतला दे? मैं कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक सप्लाई हुई है १९५९–६० में ....

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप और अधिक समय लेंगे? आध घंटा हो चुका है।

श्री गेंदासिंह—

मुझे १० मिनट और चाहियें।

श्री उपाध्यक्ष—

तो फिर अब हम उठते हैं। आप दो बजे बोलियेगा।

(इस समय १ बजकर ३ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि डी० आई० आर० के मुताबिक जो गन्ने का अन्दाजा हम करेंगे उससे बहुत नुकसान होगा और उससे सरकार को नुकसान होगा, और सरकार उससे बदनाम होगी। पिछले वर्षों में कागज में यह जरूर लिखा हुआ है कि फी एकड़ ४०० मन गन्ना पैदा होता है। लेकिन हमारे पास ५६–५७ से लेकर ६१–६२ तक की

[श्री गेंदासिंह]

फिगर्स हैं जिससे यह पता चलता है कि कभी १८० मन से ज्यादा गन्ना एक एकड़ में सप्लाई नहीं हुआ ।

श्री राममूर्ति—

आपके कहने का मतलब क्या यह है कि जो यह ४४० मन फी एकड़ की ईल्ड बतलायी जाती है यह गलत है या यह कि ४४० में से १८० मन ही सप्लाई हो पाती है, यह मतलब है ?

श्री गेंदासिंह—

मैं जो बता रहा हूं यह सारे सूबे की एवरेज पैदावार है, घटाकर नहीं है । गोरखपुर में ऐसा हो सकता है वह २१६ मन रही हो इसलिये कि वहां का सारा गन्ना मिलों को ही जाता है । मैंने जो यह १८० मन बतलाया यह सारे सूबे की टोटल औसत पैदावार है । तो अब ऐसी हालत में जो हमारा डिटरमीनेशन होगा २/३ का वह तो ४०० मन के हिसाब से होगा और ४०० का २/३ क्या होगा, यह आप निकाल लीजिये ? इस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी करीब १९–२० लाख के गन्ना सप्लाई करने वाले हैं वे सभी प्रासीक्यूट हो जायेंगे क्योंकि २०० मन से ज्यादा सप्लाई हो नहीं सकती । इसलिये मैं कहता हूं कि डी० आई० आर० में जो यह कानून आपने बनाया है इससे आप बदनाम हो जायेंगे, यह सरकार बदनाम हो जायेगी और किसानों का बड़ा नुकसान होगा । किसान बुरी तरह से तंग किये जायेंगे । इसलिये मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि वह इस कानून को वापस ले ।

(लाल बत्ती जलने पर ।)

श्रीमन्, मुझे दो मिनट और दिये जायें । मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस वक्त सारे प्रदेश में ३२ लाख एकड़ में गन्ना है । इसमें से आपने २१ लाख एकड़ को रिजर्व एरिया घोषित कर दिया है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि १९४३ में १८ हजार गांव रिजर्व एरिया के अन्तर्गत थे और पिछले साल १९६१–६२ में आपने ३६ हजार गांव रिजर्व एरिया के अन्तर्गत कर दिये । यानी रिजर्व एरिया को आपने दुगना कर दिया । अब, मेरे पास एक्चुअल फिगर्स तो नहीं हैं, लेकिन मैं अन्दाजा करता हूं कि २१ लाख एकड़ में इस हिसाब से करीब ९० करोड़ मन गन्ना पैदा होगा । अब ९० करोड़ मन, जैसा कि भाई फूलसिंहजी ने कल कहा, यह खतरा है कि ९० करोड़ मन पैदा होगा । रिजर्व एरिया में दो-तिहाई की पाबन्दी है ।

श्री राममूर्ति—

अनरिजर्व्ड—एरिया में क्या पाबन्दी है ?

श्री गेंदासिंह—

लाइसेंस हैं, टैक्सेज हैं....

श्री राममूर्ति—

यह एक प्रोसीज्योर है कि सारे आदमी लाइसेंस ले लें ताकि गवर्नमेंट को इत्तिला रहे । अनरिजर्व्ड एरिया में कोई पाबन्दी नहीं हैं ।

श्री गेंदासिंह—

मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो भी जवाब देने के लिये खड़े हों वह बतावें कि रिजर्व्ड एरिया में कितने क्रशर चले और इस साल दरख्वास्त देने पर भी कितनों को लाइसेंस नहीं दिया गया और उनके ऊपर भी सख्तियां हैं या नहीं । मेरे पास कागज है, मैं आपको दिखाऊंगा । उनके ऊपर भी पाबन्दी है । अगर आपके पास ४४० मन फी एकड़ की पैदावार है तो उस समूचे गन्ने को मिल के लिये रखें । दो-तिहाई की बात क्यों करते हैं ? आपको कहना चाहिये कि रिजर्व्ड एरिया में कोई खन्डसारी नहीं बनावेगा और सारे का सारा गन्ना मिलों को जायगा ।

मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत ही नामुनासिब बात है। चूंकि आप हमको बड़े मिल वालों की मर्जी पर छोड़ना चाहते हैं। अगर आज कोई जुडिशियल बाडी गन्ने की कीमत तय करती तो हमको इस बात की जरूरत नहीं पड़ती कि हम कीमत के लिये दौड़-धूप करें। सरकार किन-किन विचारों से दाम तय करती है उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अगर शर्माजी दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे तो मानेंगे कि दाम तय करने में मिल मालिको की बात बहुत सुनी जाती है। उसके रहते हुये भी मैं समझता हूं कि किसान के गन्ने का खरीदने वाला फील्ड में दूसरा भी रहे। यह बहुत जरूरी है। क्या वजह है कि शकर मिल वाले १ रुपया १० आने से ज्यादा देने को तैयार नहीं थे जबकि खंडसारी वाले १ रुपया १४ आने और २ रुपये तक देने के लिये तैयार हैं? अगर गन्ने की कीमत २।। रुपये भी हो जाय तो क्या कोई नामुनासिब बात है? सन् ३२ से ३६ तक बड़ा ही स्लम्प का पीरियड था। गेहूं और सारी चीजों की कीमत बहुत गिरी हुई थी। उस समय भी ५।। आने से कम गन्ने की कीमत नहीं थी। सन् १९३९–४० बेस ईयर माना जाता है कीमतों के लिये। सन् ३९–४० में ८ आने ५ पाई फी मन था।

श्री राममूर्ति—

सन् ४८ में २ रुपये भी दाम देते थे।

श्री गेंदासिंह—

नहीं। इस समय ५२५ इंडैक्स है सन् ३९ के ऊपर देखा जाय तो सवा पांच गुनी कीमत हमारी, यानी २।। रुपये से ऊपर होनी चाहिये। अगर सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं तो गन्ने के क्यों न बढ़ें? सन् ४७–४८ में तो २ रुपये कीमत थी तो उस समय के हर चीज के दाम देखें। चीनी का भाव उस समय ३५ रुपये मन था। आज ४२ रुपये कंट्रोल्ड प्राइस चीनी की है, तो २ रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी को और उनके उन कोलीग्स को जिन्होंने उनकी मदद की हो बहुत धन्यवाद देता हूं, सारे प्रदेश को धन्यवाद देता हूं, जिसकी आवाज के सामने सरकार को झुकना तो नहीं, उसे सुनना पड़ा। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम करते-करते मर जाते और वह नहीं होता। लेकिन इसमें एक धोखा लगा है कि जिन लोगों ने अब तक सप्लाई नहीं किया है उनको नहीं देंगे। शर्माजी वहां गये थे, और लोग भी आये थे कि अरे भाई, सप्लाई करो न, जो दाम तय होंगे मिल जायगा। अब हम शर्माजी को और उनको पकड़ेंगे कि जिन्होंने यह कहा था और उनके दरवाजे पर धरना देंगे कि हमारी हड़ताल तुमने तुड़वा दी। तो मिनिमम प्राइस सबके लिये २ रुपये हो और उसके साथ रिकवरी बेसिस चले तो देखा जायगा। यह बात मैं अपने सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि २।। रुपये की बात मैं भी कहता। लेकिन वह इसलिये मैं नहीं कहता हूं कि किसान को तो दब कर चलना ही पड़ेगा। किसान को गन्ना, काटन, जूट, यानी हर रा-मैटीरियल की कीमत कम मिलती है। इसका कारण यह है कि उनका रा-मैटीरियल बड़े-बड़े मिल मालिकों और पूंजीपतियों को जाता है। हमारे खरीदने वाले करोड़पति हैं। बेचने वाले भिखमंगे को अपनी चीज सस्ती बेचनी ही पड़ेगी। अभी समाजवाद नहीं आया है। जब आयेगा तब ढ़ाई-तीन रुपये की बात कही जा सकती है। एक बात और यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो यह प्रोडक्शन का विश्लेषण किया है वह गलत है। गन्ने की जब उपज बढ़ी तो आपको बफर स्टाक बढ़ाना चाहिये था लेकिन वह तो आपने किया नहीं। नतीजा यह हुआ कि जब गन्ने की उपज बढ़ी तब भी किसान मारा गया और जब पैदावार कम हुई तब भी वह मारा गया। यह गलत बात है। इसको बदलना चाहिये।

इस समय सारे संसार में चीनी के दाम बढ़े हुए हैं। क्यूबा दुनियां का सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाला था उसमें ४० लाख टन चीनी की पैदावार कम हुई। वह हमारा बड़ा भारी कंपटीटर था। पिछले २५ वर्षों में संसार के चीनी मार्केट में इतनी तेजी कभी नहीं

[श्री गेंदासिंह]

आयी थी। इसका हमारे ऊपर भी असर पड़ा है। एक बात और है। और सब कच्चा माल गोदाम में रखा जाता है लेकिन गन्ना ऐसा कच्चा माल है कि गोदाम में भी नहीं रखा जा सकता। जब तक वह पिर न जाये किसान को ही अपने पास रखना पड़ता है। सरकार को इसका भी ध्यान रखना चाहिये और उसको गोदाम में रखने की कीमत भी दिलानी चाहिये। अगर शुगर इंन्डस्ट्री नेशनेलाइज हो जाय तो हम उसके लिये बात कर सकते हैं और उसका रास्ता निकल सकता है। लेकिन मैं उम्मीद नहीं करता कि इसका राष्ट्रीयकरण होगा। और जब तक ऐसा नहीं होता सूबे की एकोनामी सुधर नहीं सकती। तब तक सरकार को शुगर में कम से कम स्टेट ट्रेडिंग शुरू कर देनी चाहिये। जिस प्रकार बिना ब्लेक के बाजपुर फैक्ट्री की चीनी आप देते हैं उसी प्रकार और फैक्ट्रियों की चीनी भी आप ले लीजिये। मैं इस शुगर के काम को लेने के लिये तैयार हूं, जिस तरह से नेगी साहब कहते हैं उस तरीके से नहीं लेकिन इस तरह से कि जिस तरह से बाजपुर की चीनी मिल की चीनी कन्ज्यूमर तक पहुंचती है उसी तरह से और चीनी मिलों की पहुंचे। इसलिये अगर आप नेशनेलाइज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम स्टेट ट्रेडिंग शुगर में अवश्य शुरू कर दीजिये।

इसके अलावा गुड़ पर आपने जो पाबंदी लगा रखी है उसको आप समाप्त कर दीजिये। इस सदन में दोनों ओर के बैठने वाले लोग और सर्वोदय के लोग जो सदन के बाहर हैं, उन सब की यह राय है कि गुड़ पर लगी पाबंदी को सरकार हटा ले। इस काम के लिये मैं समझता हूं कि सब की इच्छा को समझ कर आप गुड़ से पाबन्दी हटा लें, कई साल इसका डेफिसिट हो गया, एक लाख टन की कमी कई साल में हो गई, अगर गुड़ की पाबन्दी से एक लाख टन की कमी हो जाय तो हमें उस खतरे को लेकर भी इस पाबन्दी को हटाना चाहिये और दूसरी तरफ चीनी की कमी को दूर करने के लिये खंडसारी वालों को भी सहानुभूति की दृष्टि से देखकर सूबे की एकोनामी को नहीं बिगड़ने देना चाहिये। रुहेलखंड और मेरठ डिवीजन की एकोनामी खंडसारी और गुड़ पर है वह उसका आधार हैं और हमें उसको बिगड़ने से बचाना चाहिये। मैं माननीय शांति प्रपन्न जी और उन के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह इस नीति में परिवर्तन करके गुड़ के मामले में १६ तारीख को दिल्ली की तरफ सत्याग्रह करने का अवसर हमें न दें

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)—

अधिष्ठाता महोदय, इस गुड़ और शकर के संबंध में मुझ से कहीं ज्यादा वाकिफ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और मेरा यह खयाल है कि जो बहस इस सदन में हुई है और यहां जो उस का स्तर रहा है उससे पूरा सदन लाभ उठा सकता है। मैं इस से ज्यादा सहमत नहीं हूं कि गुड़ और शकर का जो मडिल हुआ इसकी पूरी जिम्मेदारी यू० पी० की सरकार की ही है। इसमें कुछ हद तक जिम्मेदारी यू० पी० सरकार की भी है, केन्द्रीय सरकार की भी है, कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसके लिये जिम्मेदार है क्योंकि हम ने जिस प्लानिंग को मंजूर किया है उसके अनुसार आम जनता ने अपने ऊपर जो प्लानिंग के संबंध में कंट्रोल होते हैं उन को अभी पूरे तौर पर लागू नहीं किया है और एक अधकचरे ढंग से हमारा प्लानिंग लागू है और सरकार का भी उस पर पूरा नियंत्रण नहीं है। इस सब का उस पर एक बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे शक्कर की ब्लैक मार्केटिंग होती है तो सवाल यह है कि वह ब्लैक में शकर कहां से आती है? वह जहां से आती है वह न आ सके वह बन्द किया जाय लेकिन आप जानते हैं कि शकर पैदा करने वाले कोई सही आंकड़े सरकार को नहीं देते और वह अपने ब्लैक के लिये कुछ माल छिपा लेते हैं। इस की वजह यह है कि उन्होंने स्वयं अभी प्लानिंग को मंजूर नहीं किया है और इसीलिये कुछ चीजें हमारे कब्जे से बाहर जाती हैं और जाहिर है कि हमारा उन पर पूरा नियंत्रण नहीं है। लेकिन फिर भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात जरूर है कि शक्कर और गुड़ के संबंध में सरकार की नीति जिस तेजी से उलटफेर हुई है उससे पता चलता है कि वह नीति बुनियादी उसूल पर निर्भर नहीं है। जब गन्ना बढ़ जाता है और एक प्राब्लम सामने आती है तो सवाल होता है कि किस तरह उसको पेरवाया जाय, उस वक्त केन क्रशर्स को चालू करने की बात होने लगती है और गन्ना कम होता है तो कहा जाता है कि केनक्रशर्स को रोका जाय। यह पालिसी 'वान्ट आफ विजन' की है और किसी को प्राब्लम का कोई सही अन्दाजा या निश्चित गन्ना संबंधी नीति की रूपरेखा का स्वरूप नहीं मालूम है और कोई निश्चित नीति यू० पी० सरकार की या केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में नहीं है और इस प्राब्लम पर अच्छा बुरा जो भी असर पड़ रहा है वह इस का भी पड़ रहा है। काटेज इंडस्ट्री को हमें इतने साल चलाते हो गये लेकिन वह जोर नहीं पकड़ रही हैं जबतक कि उनका स्पूनफीडिंग न हो और हमारी कोई व्यवस्था निखर नहीं पाती। इसलिये जरूरत इस बात की है कि इन मसलों पर गहराई से गौर किया जाय बगैर यह समझे हुये कि कौन बात किस तरफ से मुखालिफ तरफ से या किधर से कही जा रही हैं। मुखालफत की कोई बात नहीं है आखिर कांग्रेस पार्टी के लोग भी तो आम लोगों में से ही आते हैं और जो लोग प्राब्लम को समझते हैं वह अगर कुछ कहते हैं तो उस को समझना चाहिये, उनकी बात का असर होता है और अगर कोई बुराई भी हो तो उस को दूर करना चाहिये।

माननीय शांति प्रपन्न जी जिन का इस से संबंध है उन से मैंने इस संबंध में बातचीत की और यह वाकया है कि गुड़ और शक्कर से ज्यादा मीठी उन की जबान है और जिस तरह से वह परसुएड कर सकते हैं यह कहकर कि कौन सी ऐसी बात है जो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगा खामख्वाह एक काम्प्लेक्स है कि उन पर कोई आक्रमण हो रहा है। यह डिपार्टमेंट किसी के नहीं हैं, बहुत बेवफा हैं और किसी को अपना समझ कर यह नहीं सोचना चाहिये कि यह उस पर अटैक है। इसका अंदाज लगाना चाहिये कि अगर हमारी किसी नीति के बारे में कोई बात कहता है तो हम उसे समझें कि कोई खराबी है,और अगर है तो उसको दूर करें। यही डेमोक्रेटिक तरीका है।

अब मैं कुछ मोटी-मोटी बातें ले मैन की तरह से बोल रहा हूं, हालांकि राम मूर्ति जी की तरह से मैं भी गन्ना पैदा करता हूं। मैं कोई विशेषज्ञ तो हूं नहीं, जैसे मेरे कुछ साथी हैं, जो कुछ यहां कहा गया है उसी के आधार पर कह रहा हूं। दो, तीन बातें कहना चाहता हूं। जो गुड़ खंडसारी विभाग बना यह किस परपज के लिये बना? मेरा खयाल है यह उस समय बना जब आवश्यकता थी कि काटेज इंडस्ट्री को बल दिया जाय। लेकिन आज वह विभाग बजाय इसके कि गुड़ खांडसारी के इंटरेस्ट की हिफाजत करता, पुलिस अफसर बन गया है, उसका ऐप्रोच हो गया है कि कैसे इसको रोका जाय। तो आउटलुक बदल गया है। इसलिये मेन्टल ओरियन्टेशन करने की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने कहीं चर्चा कर दी कि बड़े लोगों के क्रशर्स कोई नहीं पकड़ता है। गुड़ खंडसारी विभाग पर यह असर पड़ा कि वह सोचने लगा बड़े कौन हो सकते हैं। बिजनौर का किस्सा है, तो इंस्पेक्टर का कुदरतन यह खयाल हुआ कि बिजनौर का किस्सा है तो मैं ही तो नहीं हूं। इंस्पेक्टर ने सोचा कि मेरे क्रशर को पकड़ना है, फ्री एरिया में है, ५ नदी पड़ती हैं। मुझसे लोगों ने बताया कि इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे थे कि मेरा क्रशर कहां है। तो मैंने कहा कि गलत एरिया में नहीं है, लेकिन उनका ऐप्रोच यह हो गया कि मेरे क्रशर को पकड़ना है। तो विभाग की टोनिंग में रेशनल थिंन्किंग की जरूरत है।

लाइसेंसिंग का जो तरीका है वह बहुत ही ह्यूमिलियेटिंग तरीका है। लाखों, करोड़ों रुपया लगाकर कोई काम करना चाहता है, लेकिन क्लेरिकल ब्यूरोक्रेसी ऐसी है कि सिवाय परेशानी पैदा करने के और कुछ काम नहीं। अफसर ब्यूरोक्रेसी से भी ज्यादा खराब हैं। मेरा कहना है कि लाइसेंसिंग सिस्टम को डिसेन्ट्रेलाइज कीजिये, ऐसे अफसर रहें जिनका गन्ने

[श्री गोविन्द सहाय]

के प्रश्न से कोई सम्बन्ध हो। अजीब-अजीब किस्म की बातें सुनने में आती हैं। अभी एक साहब गये उन्होंने कहा कि लाइसेंस बनवाना है, अफसर ने कह दिया कि बनना चाहिये। क्लेरिकल ब्यूरोक्रेसी, यानी छोटे बाबू ने कहा नहीं साहब इसमें यह खामी बाकी रह गई। अगर आप इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं तो अच्छा है। मेरी राय में एक लाइसेंसिंग कमेटी हो, जिसमें २, ३ आदमी हों,और ऐसे भी आदमी हों जो कुछ वाकफियत रखते हों। ऐसा करने से सिचुएशन इम्प्रूव करेगी।

यह कहा गया कि इस सरकार की पालिसी प्रो-कैपिटलिस्ट पालिसी है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं तो कैपिटल का असर पड़ता ही है। लेकिन प्रो-कैपिटलिस्ट पालिसी जान बूझ कर कोई संगठित तरीके से है, ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं मिला। कैपिटलिस्ट भी जो यहां का है उसका कैपिटलिज्म का नजरिया नहीं है। हमारे यहां का कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट नहीं है, बल्कि वह ट्रेडर है, वह इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिये काम नहीं करता है बल्कि अपने को डेवलप करने के लिये करता है। गवर्नमेंन्ट पर किसानों की ताकत के मुकाबले में कैपीटलिस्टों का जोर ज्यादा पड़ता है।

दूसरे हमारा जो सिस्टम है वह भी ऐसा है जिसके कारण रुकावटें आती हैं। उसमें कुछ राशनल नहीं है। एग्रीकल्चर विभाग का संबंध केन डिपार्टमेंट से नहीं है। केन की प्रोडक्शन बढ़ाने की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर विभाग की नहीं है। केन मार्केटिंग भी केन विभाग में नहीं आती है। जो विभागों का वितरण है वह भी इरैशनल बेसिस पर है। पौलिटिकल कन्सीडेशन्स ने ही एडमिनिस्ट्रेशन को बिगाड़ा है। मेरे विचार में केन का संबंध विभाग और एग्रीकल्चर के साथ होना चाहिये। इस समय केन को बढ़ाने की जिम्मेदारी कम्युनिटी डैवलपमेंट की भी नहींहै। इस तरह से एक मयार नहीं रखा जाता है। यह निश्चित है कि हमारे यहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है महज रिजर्व्ड एरिया को बढ़ाकर गन्ने का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता है। आज हमारी एक ही एप्रोच है कि हम रिजर्व्ड एरिया को न बढ़ाकर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन को बढ़ावें। अभी तक इस पर कोई कन्सैन्ट्रेशन नहीं है। वास्तव में जो एरिया मिलों के पास है उनमें ही इन्टैन्सिव कल्टीवेशन को बढ़ावें तभी गन्ने के उत्पादन में उन्नति हो सकती है। यह भी देखा गया है कि हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं वे, जब उनकी जिम्मेदारी का सवाल आता है तो गिरफ्त में नहीं आते हैं। पी० ए० सी० में जो बातें आती हैं उनसे पता चलता है कि अफसर अक्सर उस समय तक बाहर चले जाते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि केन डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक ही के जिम्मे होने चाहियें। जिस बैल्ट में और जितनी टैम्परेचर में गन्ना पैदा होता है वह भी और स्थानों के मुकबाले में नहीं है।

उत्तर प्रदेश में नेचुरल कन्डीशन्स भी कुछ हमारे खिलाफ हैं लेकिन बावजूद इन सबके इस विभाग की तरफ से जो कन्सैन्ट्रेशन हो सकता है वह कन्सेंट्रेशन नहीं है। हमारे यहां का पोलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें परपज कुछ होता है, मकसद कुछ होता है, नामिनेशन का मयार कुछ होता है। कहीं पर मैं तो यह समझता हूं कि इसमें ऐसे अफसर रहें जिनको गन्ने के प्रश्न से कोई संबंध हो। कुछ खास-खास चीजों के लिये खास-खास आदमियों की जरूरत होती है।

(लाल बत्ती होने पर।)

श्रीमन्, मैं थोड़ा-सा और समय लेकर समाप्त करता हूं। मेरा ऐसा विचार है कि इसमें गहरा प्रोब होना चाहिये जिसकी बहुत जरूरत है। दूसरे इस विभाग को एक डायरेक्टोरेट का सुझाव दिया गया है, और लाइसेंसिंग के तरीके में डिसेन्ट्रलाइजेशन करने के सुझाव दिये गये हैं। मैं तो यह भी जरूरी समझता हूं कि केन डिपार्टमेंट के लोगों की कुछ और मेंटल ओरियन्टेशन की जाय तभी यह मसला हल हो सकता है और केन डिपार्टमेंट के लोगों को कुछ मेंटल रिओरियेंटेशन की जरूरत है। आप अन्दाजा नहीं लगा सकते जितने लोग विभाग में जाते हैं क्या-क्या कह कर जाते हैं। इससे हमारी और

सरकार की बदनामी होती है । लिहाजा सहूलियतें पैदा कीजिये । मुझे विश्वास है कि शांतिप्रपन्न शर्मा जी ठीक ढंग से इस प्राब्लम को हल करने की कोशिश करेंगे ।

नेगी जी ने बड़े पुरजोर शब्दों में इस प्रदेश से करप्शन दूर करने का तहइया किया है। सिर्फ इतना ही मैं कह सकता हूं कि चाहे हम कितनी भी शुभ इच्छायें प्रकट करें जब तक संगठित ऐक्शन जुट कर नहीं करेंगे, सब मिल कर नहीं करेंगे, इस सिस्टम को नहीं बदला जा सकता । प्राब्लम आज अच्छा मिनिस्टर या बुरा मिनिस्टर होने से हल होने वाला नहीं है । सवाल यह है कि इस सिस्टम से काम ले सकते हैं या नहीं । पेश्तर इसके कि बहुत ज्यादा वायदे करें अच्छा है कि नम्रता के साथ लोगों को रिलीफ दिला सकें तभी गुड़ और खंडसारी के प्राब्लम में सहूलियत पैदा हो सकती है । जो कब्जे के बाहर की बातें हैं उनके लिये प्रेशर डालना चाहिये और जो हमारे बस की हैं उन पर मिल कर जोर लगाना चाहिये तभी यह प्राब्लम हमारे काबू में आ सकता है ।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)---

अधिष्ठाता महोदय, आज गन्ना और चीनी के सम्बन्ध में जो भाषण हो रहे हैं मैं उन्हीं के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी तक बड़े-बड़े वाणी भूषण बोले और बड़े ही प्रचंड भाषण हुए लेकिन मुझे यह विश्वास नहीं होता कि इसका प्रतिफल अच्छा ही होगा, वैसा ही तो नहीं होगा जैसा कि रोजाना के भाषणों का हुआ करता है। ऊसर बीज भये फल यथा। परन्तु कुछ भाषण देनेवालों का भाव यह होता है :

सुख मिलता है व्यथित हृदय को मन की व्यथा सुनाने में,
स्वयं तड़पने में यद्वा श्रोताओं के तड़पाने में ।

और कुछ के भाव यह होते हैं:---

नहीं यह पूछता कोई यह कैसा शोर बरपा है,
जमाना शोर करता है तो मैं भी गुल मचाता हूं ।

मेरे खयाल में हमारी सरकार से एक धोखा हो गया और बहुत बड़ा धोखा हो गया । हमारी सरकार उस चीनी का कचूमर निकालने को थी जो हम को खाता है किन्तु कचूमर निकाल दिया उस चीनी का जिसको हम खाते हैं ।

श्री राममूर्ति---

शक्कर का शरबत तो सबने बनाया
लेकिन उन्होंने शक्कर का कचूमर बना दिया ।

श्री लोकपालसिंह---

हमारी सरकार उस चीनी को कम कर बैठी, प्रतिबन्ध लगाना चाहती थी उस चीनी पर लगा बैठी इस पर ।

नाग नहीं मुक्ता भरी माल है
चन्द नहीं शिर वेणी विशाल है
शैल नहीं मलियागिरि है
विजया है नहीं विरहा को बिहाल है
ऐ रे मनोज सम्हार के मारिये
केश नहीं यह कोमल बाल है ।

यह वह चीनी नहीं है । दूसरी चीनी है । तो समझ कर इसका कत्ल करो ।

[श्री लोकपालसिंह]

एक बालक की उत्पत्ति और नयी स्वतंत्रता को मैं एक ही प्रकार की चीज मानता हूं। बालक जब उत्पन्न होता है तो बड़ा हर्ष मनाया जाता है। उसके घर वाले बड़ा हर्ष मनाते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि एक नया कैदी बंधन में आ गया। फिर वह बड़ा हुआ, पढ़ा, सर्विस में आया यह दूसरे बंधन में बंध जाता है। शादी हुई तो तीसरे बंधन में बंध गया लेकिन बड़ा हर्ष मनाया जाता है। बच्चे हुए, उनके पालन पोषण में वह लग गया तो चौथे बंधन में बंध गया लेकिन बंधनों पर लोग हर्ष मनाते हैं। उसी प्रकार यह स्वतंत्रता आयी, एक बंधन बंधा, दूसरा बंधा, तीसरा बंधा, चौथा बंधा और कुछ लोगों ने हर्ष मनाया, समझदार लोगों ने हर्ष नहीं मनाया। आप सोचिये तो सही, वह सरकार क्या जो महलों में रहने वालों को कुटिया भी न दे सके, वह सरकार क्या जो अनाज बोने वालों को मटरा भी न दे सके, वह सरकार क्या जो ईख बोने वालों को शीरा और गुड़ भी न दे सके। जरा सोचिये ईख बोने के कष्ट को। रात में जब आप लिहाफ ओढ़कर सोते हैं, चाय पीते हैं, अंडा खाते हैं, ब्रांडी की दो बूंदें भी ले लेते हैं गरमी लाने के लिये....

श्री अधिष्ठाता—

यहां असेम्बली का कोई नहीं लेता, बाहर की बात आप कह रहे हैं।

श्री लोकपालसिंह—

उस समय ईख बोने वाला किसान चादर ओढ़ कर रात में सी-सी करता हुआ पानी देता है। उसका ध्यान करना पड़ेगा आपको।

अरे दीन को ठुकराने से, दीन बन्धु हो रिस जाता है,
उसके भ्रू विलास से केवल भू में भू-पति पिस जाता है।
निर्बल को न सताइये जा की मोटी हाय
मुई खाल की सांस सों सार भस्म होइ जाय।

आदरणीय, अपनी नीति में आप परिवर्तन लाइये, हम सब आपके हो जायेंगे, हमारा हृदय बदल जायगा। आपने सवाये लगान को वापस लिया तो हम लोग हर्ष मनाने लगे और कहने लगे कि सुचेता चिरंजीवी हों। हमारे भाई बनारसीदास जी चाहे इस बात पर रुष्ट हो जायं लेकिन हम बड़े प्रसन्न हुये। दूसरे, प्रवर समिति का निर्माण हुआ। हमारे कृषक के हृदय में ठंडक पहुंची और हमने बड़ा हर्ष मनाया। लेकिन वह प्रवर समिति न मालूम क्या करेगी? अगर आप अपनी नीति में परिवर्तन कर दें तो सब ठीक हो जाय—

रुख से पर्दा हटा दे ओ पर्दा नशीं, बस अभी रंग महफिल बदल जायगा,
जो है बेहोश वह होश में आयेगा, गिरने वाला भी फौरन संभल जायगा।

श्रीमन्, किसान का दामन तो जल ही चुका है—

यह दामन तो जल ही चुका है मगर, आंच तुम पर भी आये गवारा नहीं,
सिर्फ आंसू न पोछो यूं हंसते हुये वरना दामन तुम्हारा भी जल जायगा।

ये मैंने खुशामद के शब्द पेश किये। खुशामद के बाद कटुता आती है और कटुता के बाद द्वन्द होता है। तब क्या होता है? समुद्र से राम ने रास्ता मांगा, उसने रास्ता नहीं दिया। जब रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण बोले—

भय बिन प्रीति न होवै देवा।
कोटि करहु बैरी की सेवा।

फिर क्या होता है—

विनय न मानत जलधि जड़, गये तीन दिन बीत,
संधान्यों तब विषम सर, भय बिन होय न प्रीति।

आप भी सब जिन्दा रहें और हम किसान को भी जिन्दा रखें। यह जो नीति है इसको बदलिये और ईख और चीनी से प्रतिबन्ध हटाइये, यही मेरा निवेदन है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठाता महोदय, आज दो दिन से गन्ना, गुड़, खंडसारी और शकर के ऊपर वाद-विवाद चल रहा है। सभी इस बात को मानते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, इस माने में कि कि हमारे प्रदेश का यह एक मुख्य उद्योग-धंधा है। ७१ मिलें हमारे इस प्रदेश में शकर का उत्पादन कर रही है जिनमें लाखों मजदूर काम करते हैं, करीब २० लाख से ज्यादा काश्तकार गन्ना पैदा करते हैं और करीब १२ लाख से ज्यादा लोग गुड़, खंडसारी का जो उद्योग है उसमें लगे हुये हैं। तो इस माने में भी हमारे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के हिसाब से इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

मान्यवर, सब से पहले मैं केंद्रीय सरकार, प्रदेशीय सरकार और मुख्य मंत्री जी को तथा सब भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी कोशिश के बाद गन्ने की कीमत दो रुपये मन हो गई और पूर्वी जिलों तथा पश्चिमी जिलों में जो एक डिस्पैरिटी थी वह दूर हो गई। मुझे ताज्जुब हुआ जब मैंने सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ की ओर से और माननीय गेंदा सिंह जी ने भी बेमन से इस बात की ताईद की कि पांच गुना हिसाब जोड़कर गन्ने की कीमत ढाई रुपये मन होनी चाहिये। मैंने कई दफा माननीय गेंदा सिंह जी से कहा कि यदि वह पोलिटिक्स को हटा दें तो उनके और हमारे दृष्टिकोण में वह कोई अन्तर नहीं पाने वाले हैं। मैं कहता हूं कि ढाई रुपये मन की बात एक पोलिटिकल स्टंट तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्रोच नहीं है। अगर आप गन्ने को आइसोलेशन में देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको अन्य क्राप्स की कीमतों को भी देखना होगा, उनमें भी समानता रखनी होगी।

आज भी ३२ लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की हमारे यहां खेती होती है और जो टार्गेट हमने तीसरी योजना के लिये निश्चित किया था वह हमारा दूसरे प्लान में पूरा हो चुका था, मैं आंकड़े देख रहा था। मिस्टर राजवाड़े ने फरमाया है कि १९६५-६६ तक हिन्दुस्तान में ६० लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती होने का अंदाजा है, लेकिन हम पहले से ही ३२ लाख एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती करते हैं और माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हम ५० परसेंट शुगर पैदा करते हैं। हम क्षेत्र के मामले में अपने टार्गेट पर पहुंच चुके हैं। अगर हम कीमत बढ़ाते चले जायेंगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को भी तो देखना होगा। मिल मालिक कहता है कि जितनी कीमत गन्ने की बढ़ेगी उतनी ही कीमत चीनी की भी बढ़नी चाहिये। इस तरह से तो चीनी की कीमत बहुत बढ़ जायगी और लोग पर्चेज नहीं कर सकेंगे। उसका परिणाम यह भी होगा कि हमारे यहां गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ता जायगा और अन्न का क्षेत्रफल घटता जायेगा और हमारी स्टेट डेफीसिट की ओर बढ़ती जायगी। शुगर की कीमत के लिहाज से बताया गया है कि गन्ने की कीमत ढाई रुपये मन होनी चाहिये। यदि यह सही है तो आप यह कहते कि शुगर की कीमत बजाय ४२, ४३ रुपये मन से ३५ रुपये कीजिये, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट में। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार इस बात को देखे कि अगर कास्ट आफ प्रोडक्शन से चीनी की कीमत ज्यादा आती है तो उसको घटाया जाय।

दूसरी बात यह है कि इस प्रश्न के दो पहलू हैं। एक तो यह कि इस साल हम क्या करें और दूसरा यह कि लांग रेंज पालिसी हमारी क्या हो। मैंने पहली डिबेट में कहा था कि एक हाई पावर कमेटी बिठाई जाय। यद्यपि उसका कोई कमिटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि मुख्य मंत्री जी इस बात को मान गये हैं। एक बात सही है और मैं भी महसूस करता हूं कि इसमें प्रदेशीय सरकार की गलती न भी हो, क्योंकि उसको तो केंद्रीय सरकार के अन्तर्गत काम करना पड़ता है, लेकिन केंद्रीय सरकार की चीनी के संबंध में यूनीफार्म

[श्री नवलकिशोर]

पालिसी नहीं रही है, उसका कोई नियोजन नहीं रहा है, बल्कि हाफहैजर्ड वे में काम किया है । जब शकर की पैदावार बहुत बढ़ गई और हमारे प्रदेश में भी चौदह लाख टन पैदा हो गई थी तो उस समय इस बात की कोशिश की गई थी कि इसको घटाया जाय । मान्यवर, इसलिये नहीं कि देश में आबादी के हिसाब से खपत नहीं हो सकती थी, लेकिन उस समय लोगों की पर्चेजिंग कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि उसे उठा पाते क्योंकि आंकड़ों से मालूम होता है कि ५ किलो पर-एनम-पर कैपिटा हमारे यहां भारत का कंजम्पशन है, वर्ल्ड का पर कैपिटा १९.५ किलो, पर एनम आता है और यूरोपियन देशों का ३१.५ किलो आता है, इंगलैण्ड का ५८ किलो फी व्यक्ति फी साल है और उत्तर प्रदेश का ३.६ किलो आता है । माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि घटा नहीं है ।

१९५२-५३ में हिन्दुस्तान का औसत कंजम्पशन यू०पी० से कम था । अब यू० पी० से ज्यादा हो गया है । इससे अंदाज करते हैं कि यू०पी० का कम हुआ है । यह बात सिर्फ शकर की कह रहा हूं । कंजम्पशन की गुंजाइश थी लिहाजा जो पालिसी घटाने की हुई वह बहुत अच्छी नहीं हुई ।

नम्बर दो, यह भी दलील दी जाती है कि हमको एक्सपोर्ट करना पड़ा और हमने एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज किया । इससे कितना फाइनेंशल नुक्सान हुआ वह आंकड़े हमारे पास नहीं है । मैं जानता हूं कि सब्सिडाइज करने के बाद जो डिबेट हुई उसमें केंद्रीय सरकार के भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री जैन ने कहा कि सब्सिडाइज्ड एक्सपोर्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया का सबसे बड़ा ब्लंडर था । मुझे ऐसा महसूस होता है कि जब जी में आया तो आपने पैदावार को कम किया, जब जी में आया तब बढ़ाया । यह बात सही है कि इंटरनेशनल मार्केट हमारे फेवर में है हालांकि वह भी ११० से उतर कर ९३ पर आ गया है । खैर, उसका फायदा उठाना चाहिये । मैं मानता हूं कि १५ लाख टन की जो जिम्मेदारी हमने ली है उसको निभाने की हमें कोशिश करनी चाहिये, यद्यपि मुझे भी शक है कि मौजूदा हालत में १५ लाख टन चीनी बनाना संभव नहीं होगा । एक बात और कहना चाहता हूं । राजवाड़े साहब का ख्याल है कि फोर्थ प्लान जब शुरू होगा तब ४०-४५ लाख टन सरकार को हिन्दुस्तान के कंजम्पशन के लिये चाहिये । ५ लाख टन बफर स्टाक मान लें और ५ लाख टन एक्सपोर्ट मान लें तो ५०-५५ लाख टन सरकार को बनाना पड़ेगा । ऐसा अनुमान है कि १९६५-६६ तक ६० लाख एकड़ जमीन में गन्ने की खेती होगी और गन्ने का उत्पादन १,१०० लाख टन तक हो जायेगा । यू०पी० को इस हिसाब से १६५ करोड़ मन गन्ना पैदा करना होगा, जब कि इस साल ११०-११५ से ज्यादा नहीं होगा । इसके माने हैं कि गन्ना भी ड्योढ़ा करना पड़ेगा और मिलों की कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी । यह बात सही है कि कुछ कैपेसिटी बढ़ी है । अगर १५ लाख टन चीनी बनाने के लिये जून तक कारखानों को चलाना पड़ेगा तो इसके मानी यह हैं कि साढ़े २२ लाख टन चीनी बनाने के लिये कारखानों की कैपेसिटी भी ड्योढ़ी करनी पड़ेगी । सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि इस समय १५ लाख टन की बात कह दी । मुझे ऐसा लगता है कि केन डिपार्टमेंट का यह ध्येय रहता है कि जो हमारी मिलें हैं उनकी सप्लाई सुरक्षित कर दें । बाकी जो गन्ना बचता है उसका क्या हो, उसकी तरफ जितना ध्यान जाना चाहिये, नहीं जाता । एक दिक्कत और भी है । कोई आंकड़े नहीं हैं । हमको बताया गया कि ३२ लाख एकड़ में से २१ लाख एकड़ रिजर्व एरिया है । चार सौ मन का औसत मान कर ८४ करोड़ मन गन्ना रिजर्व एरिया में होना चाहिये । ठीक बात है, लेकिन बाद को बताया गया कि यूनिट्स कहते हैं ७७ करोड़ मन, ७७ करोड़ न सही ७० करोड़ सही और उसका दो तिहाई ४६ करोड़ से ज्यादा होता है । मेरा कहना यह है कि हमने एक कमिटमेंट किया है फारेन एक्सचेंज की वजह से भी और यों भी उत्पादन का बढ़ना अच्छा है । गेंदा सिंह जी की शिकायत थी कि

२८ करोड़ या ३२ करोड़ का नुक्सान सेस का हुआ है। तो मान्यवर, सरकार को उसके उत्पादन के लिये जितने गन्ने की आवश्यकता है वह एश्योर हो गया फिर उसके बाद भी पाबंदियां लगायी गयीं हैं, गुड़ बनाने पर। उनसे मुझे शिकायत है और वह यह है कि जब हम दो तिहाई गन्ना देने को तैयार हैं उसके बाद कह देना कि गुड़ और खंडसारी की युनिट्स १२० दिन काम करेंगी, ११ घंटे काम करेंगी। फिर गवर्नमेंट ने गन्ने का एक कोटा भी फिक्स कर दिया है, एकार्डिग टु कैपेसिटी कि उतना गन्ना पेर सकते हैं। तब उसके बाद यह समझ में नहीं आता कि वह यूनिट्स जो फैक्टरी ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं उनमें ११ घंटे की पाबन्दी का क्या तुक है। न एक शिफ्ट, न दो शिफ्ट, ८ घंटे या १६ घंटे होता तब भी बात समझ में आती है। आपने दो तिहाई गन्ने को बांड कर दिया और जो खंडसारी यूनिट्स हैं, गुड़ के कोल्हू हैं, उनको भी फिक्स कर दिया कि आपको इतना गन्ना मिलेगा फिर उस पर इतनी पाबन्दी की क्या जरूरत है कि ११ घंटे या इतने टाइम तक काम करो। शांति भाई जी कह रहे हैं कि बांड करने से क्या होता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप उनके बहुत नजदीक बैठे हुए हैं। उनकी बात का जवाब मत दीजिये।

श्री नवलकिशोर—

ठीक है, श्रीमन्। मैं अर्ज कर रहा था कि यह पाबन्दी जो लगायी गयी है वह अपनी जगह पर मुनासिब नहीं है।

एक बात और परेशानी की है कि डी०आई०आर० का इस्तेमाल होगा। ठीक है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का आर्डर है, हमने भी उसे एडाप्ट कर लिया, लेकिन मैं शांति भाई जी से कहना चाहता हूं कि काश्तकार के ऊपर डी० आई० आर० होगा या मिलमालिकों पर भी किन्हीं बातों पर डी० आई० आर० का इस्तेमाल होगा। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, जबानी वे इत्तिफाक भी करते हैं कि वे अपने कहने पर अमल भी करें और जो मिल मालिक एक हफ्ते के अन्दर किसानों का पेमेंट न करें उनके ऊपर भी डी० आई० आर० लागू किया जायगा। दूसरे अन्डर वैमेंट (under weighmen) की शिकायत बहुत है। जो भी अन्डर वेमेंट में पकड़ा जाय और माननीय गेंदासिंह जी किसी को पकड़ लें तो मुझे विश्वास है कि माननीय शांति भाई जी मेहरबानी करके डी०आई०आर० को उसमें भी जोड़ दें और जो भी अन्डर वेमेंट में पकड़ा जायगा उसको डी०आई०आर० में प्रासीक्यूट किया जायगा।

चौथी बात, आपका आज 'एप्रोच' क्या है?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

चन्दा कैसे मिलेगा, अगर प्राजीक्यूट करेंगे?

श्री नवलकिशोर—

हमारे उग्रसेन जी को चन्दे की बात की याद बहुत आती है। चन्दा इनको भी वहीं से मिलता है जहां से हमें मिलता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी बात ओपेन हो गयी है उनकी बात दबी हुई है। तो मान्यवर, मैं तीसरी बात जो कह रहा था वह यह है कि गुड़ और खंडसारी जो हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। मैं यह मान सकता हूं, चाहे आपकी मौजूदा पालिसी से गुड़ खंडसारी बन जाय, लेकिन आपके आर्डर का किसानों पर जो साइकालोजिकल असर हुआ है वह अच्छा नहीं है, उसको कम्बैट करने की जरूरत है। यह जो आपका तरीका है कि मिलों के लिये जितने-जितने गन्ने की जरूरत होती जाती है उतना ही रिजर्व्ड एरिया बढ़ाया जाता है, यह बहुत गलत है। अब वह स्थिति आ गयी है कि अब अगर ऐग्रीकल्चरल एकानामी को साउन्ड रखना है तो इंटेंसिव कल्टीवेशन की तरफ

[श्री नवलकिशोर]

जाना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपके प्रदेश का जो औसत है शुगर कंटेन्ट्स का वह साढ़े ९ प्रतिशत है और महाराष्ट्र का ११ प्रतिशत है।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे ५ मिनट समय और दे दीजिये, मैं खत्म कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, ५ मिनट में आप खत्म कर दीजिये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

जब ये कुर्सी पर बैठेंगे तब दूसरी बात कहेंगे। ऐसे लोगों को कम समय दिया जाय।

श्री नवलकिशोर—

माननीय मैनेजर सिंह का यह इंसिनुयेशन है। इसको मैं सुनने के लिये तैयार नहीं हूं। यह कोई बहुत स्टैंडर्ड की बात आपने नहीं कही है।

तो मान्यवर, हमारे यहां १९५२-५३ में गन्ने की पैदावार ४६३ मन प्रति एकड़ थी। १९६०-६१ में जो टार्गेट फिक्स किया था, वह ६५० मन प्रति एकड़ का था। मगर जो पैदावार हुई, उसके जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके अनुसार वह ४४४ हैं और अब जाकर वह ४०९ पर आ गया है १९६२-६३ में। तो शांति भाई इस चीज को देखें कि दस साल का जो नियोजन हुआ फर्स्ट और सेकेंड प्लान पीरियड में उसके बाद गन्ने की पैदावार ४६३ से घटकर ४०९ पर आयी। ५४ मन फी एकड़ हुआ। ३२ लाख एकड़ का अगर हिसाब निकालें तो १७ करोड़ २८ लाख मन गन्ना कम पैदा हुआ और दो रुपये मन के हिसाब से देखें तो ३४ करोड़ रुपये का तो गन्ने का नुक्सान हो गया। तो मैं यह कहूंगा कि इन्टेंसिव कल्टीवेशन की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये।

चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि शक्कर का टार्गेट आप फिक्स करते हैं। जैसा कि माननीय राममूर्ति जी ने बताया, यह जो कंजम्पशन की फिगर थी वह तो सफेद चीनी की थी। गुड़ और खंडसारी का कंजम्पशन ज्यादा होता है और गरीब आदमी तो ९० प्रतिशत गुड़ ही इस्तेमाल करता है। तो केंद्र और प्रदेश की सरकार का यह भी फर्ज है कि जहां शक्कर का टार्गेट वह फिक्स करती है वहीं गुड़ और खंडसारी का भी टार्गेट अपने देश के कंजम्पशन के हिसाब से फिक्स करना चाहिये और मैं इत्तफाक करता हूं माननीय गेंदासिंह जी से इस बात में कि यह जो कीमतों का उतार-चढ़ाव होता है, स्मगलिंग होती है, उसको ठीक करने के लिए, जैसे कि उस पर आज भी डिबेट हुई और कल भी हुई कि फूडग्रेंस की कीमतें बढ़ रही हैं, मैं इस बात का हामी हूं कि इन सबकों ठीक करने के लिये इन सबकी स्टेट ट्रेडिंग होनी चाहिये। यह मेरी अपनी राय है। इसलिये कि शक्कर के दाम तो आपने अश्योर कर दिये। आप देखेंगे कि गन्ने की कीमत जब से २ रुपये मन हुई है तभी से शकर मिल वालों ने कहना शुरू कर दिया है कि हमारी कीमत को बढ़ाइये। इसी तरह से चाहे आप पर्चेज टैक्स लगाइये चाहे और कुछ करिये, लेकिन गुड़ और खंडसारी की कीमत भी फिक्स कर दीजिये। उनको मार्केट की वैगेरीज पर न छोड़िये। एक्सपोर्ट की बड़ी भारी दिक्कत है। सही बात है कि स्मगलिंग होती है। यह बात भी सही है कि बावजूद तमाम ऐड-मिनिस्ट्रेटिव मेशीनरी के यह चीज चेक नहीं हो पा रही है। मैं यह चाहता हूं कि इस तरह का एक अन्दाज आप अपने दिमाग में रख लें कि गुड़ का भाव २४-२५ रुपये के बीच में हमारे प्रदेश में बना रहे, इस हिसाब से अपनी एक्सपोर्ट पालिसी को आप रेगुलेट कर लीजिये। इतना तो मैं नहीं चाहता हूं कि इसको बिलकुल ही आप छोड़ दें। लेकिन जितना स्ट्रिक्ट कंट्रोल आज

आपका है उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होना चाहिये, यू० पी० के लोगों को एक्सपोर्ट परमिट भी दीजिये ।

गन्ने की कीमत दो रुपये हो गई, यह बात सही है, लेकिन उसमें एक शिकायत है वह यह कि माननीय गेंदा सिंह जी की जो एजीटेशन की बात है उससे उसके कामयाब होने की बात है । इसलिये कि जिन लोगों ने माननीय गेंदा सिंह जी की बात मान ली और गन्ना सप्लाई नहीं किया उनको तो दो रुपये मन गन्ने की कीमत मिलेगी, लेकिन जिन्होंने गवर्नमेंट की पालिसी पर विश्वास करके उनकी बात नहीं मानी और गन्ना सप्लाई किया उनको नहीं मिलेगी । तो यह माननीय गेंदा सिंह, को एक प्रीमियम, एजीटेशन करने के लिये, देने की बात है । इसलिये मेरा निवेदन है कि शुरू से ही गन्ने की कीमत दो रुपये मन रखें । उन्होंने एक बात और कही कि जो रिकवरी फार्मूला है उसको भी सरकार माने । सिद्धान्ततः यह जो आपकी फार्मूले वाली बात है उसको मैं मानता हूं, क्योंकि इससे एक इन्सेंटिव होता है काश्तकार को उस क्वालिटी का गन्ना बोने का जिसमें कि शुगर कन्टेन्ट्स ज्यादा हों, लेकिन यह प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारे यहां की चीनी मिलों की मशीनरी एक-सी नहीं है । एक ही गन्ने से किसी मिल में दस परसेंट रिकवरी निकलेगी तो किसी दूसरी मिल में ९ परसेंट निकलेगी, तीसरी जगह कुछ और निकलेगी । तो या तो यह तय हो जाय कि बेस्ट मिल की रिकवरी सबके ऊपर एप्लाई होगी और इसमें मान्यवर, काफी गुंजायश बेईमानी की भी हो सकती है ।

माननीय गेंदा सिंह जी ने एक बात और कही । बहुत पुराना नारा है कि शुगर मिल्स को नेशनलाइज कर दो, राष्ट्रीयकरण सब का कर दो । मैं राष्ट्रीयकरण से भागता नहीं हूं, लेकिन जो आज स्थिति है आपके प्रदेश में इन कारखानों की और मिलों की, उसको देखते हुये उनको नेशनलाइज करना न देश के हित में होगा और न प्रदेश के हित में होगा । अगर नेशनलाइज करना है तो उन इंडस्ट्रीज को कीजिये जो नई इंडस्ट्रीज आने वाली है । मैं इस बात से इत्तफाक कर सकता हूं कि आप यह कानून बना दें कि आगे आपकी शुगर मिल्स जो होंगी वह प्राइवेट सेक्टर में नहीं होंगी बल्कि पब्लिक सेक्टर में होंगी । पुरानी मिलों को यदि आप नेशनलाइज करेंगे तो भले ही आपको थोड़ी शान्ति हो जाय, लेकिन उससे आगे चल कर जनता का और प्रदेश का हित होने वाला नहीं है ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करे कि २ रुपया गन्ने की कीमत हो जाने के बाद अब शुगर की कीमत इससे आगे नहीं बढ़नी चाहिये वरना कहीं भी इसका अन्त नहीं होगा । नहीं तो यह विशस सर्किल चलता ही रहेगा । यह आगे बढ़ता ही जायगा । समय की मांग है कि जो एक्सपोर्ट है उसको ढीला किया जाय और जो उसकी पाबन्दी है उसको कम किया जाय । डी० आइ० आर० के अन्दर लोगों को पकड़ा न जाय । इन सब बातों को विचार कर आगे के लिये पालिसी तय करें ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

अधिष्ठाता महोदय, मैंने बाबू नवलकिशोर जी की जो स्पीच सुनी उसे सुन कर मुझे ऐसा लगा कि उनकी स्पीच का दो तिहाई हिस्सा तो अच्छा है और कुछ दूसरी बात समझ में नहीं आई । उन्होंने पहली बात यह कही कि सोशलिस्ट पार्टी २।। रुपये मन गन्ने की बात कह कर राजनैतिक स्टन्ट बनाना चाहती है । यह उनकी बात उसी तरह से है जैसे डाक्टर साहब ने पार्लियामेंट में ३ आने की बात कही और फिर वह ३ आने बनाम १५ आने हो गई । २।। रुपये मन की बात को मैं आकड़ों से सिद्ध करना चाहता हूं । जिस तरह से पार्लियामेंट में सिद्ध हुआ उसी तरह से यहां पर भी होगा । पहले वहां पर नन्दा साहब ने ७ आने कहा और फिर बाद को नेहरू जी ने १५ आने कहा । हमारे भाई नवलकिशोर जी,

[श्री राधेश्याम शर्मा]

फूल सिंह जी और शिवराज सिंह जी पार्लियामेंट की ७ आने और १५ आने की बात को सही कर लें तब आकर हम से बात करें। मैं इस बात को सिद्ध करूंगा कि २।। रुपये मन गन्ने का भाव किस प्रकार से सही है, कि यदि ४० रुपये मन चीनी बिकती है। एक मन गन्ने को आप ले लीजिये। एक मन गन्ने से ४ सेर चीनी पैदा होती है। एक रुपये मन गन्ने की कीमत २ रुपया आने किया जिसको आप बड़ा भारी क्रान्तिकारी कदम समझते हैं। उस ४ सेर चीनी का दाम सरकारी रेट से ५ रुपया और चोर-बाजारी रेट से ६ रुपया होता है। २ रुपये में एक मन गन्ना बिका और ५ रुपये में चीनी बिकी। ३ रुपया मन एक मन के पीछे मिल-मालिक और सरकार ने लिया। गन्ना पैदा करने वाले को एक मन गन्ने में २ रुपया मिला और ड्योढ़ा मिलमालिक और सरकार ने ले लिया, उन्होंने ड्योढ़ी कर ली तो यह बात गलत है।

अब आप यह हिसाब लगाइये कि १० बीघे का एक काश्तकार है। उसका खर्चा गन्ना बोने में क्या पड़ता है, यह आप जरा देख लें। उसको कम से कम ४०० रुपये का बैल रखना पड़ता है। आज १ हजार से कम में बैल नहीं आते हैं। उसके बाद उसको बीज डालना पड़ता है। अगर वह ३ रुपये मन का बीज डालता है तो ८० मन बीज हो गया जिसकी लागत कुल २४० रुपया होती है। यदि उसने ६ बार गुड़ाई की तो उसका १०० रुपया खर्चा हो गया। ६० रुपये उसको पानी का खर्चा देना पड़ा। २०० रुपये गुड़ बनाने का खर्चा होगा। २० रुपये लगान का कम से कम खर्चा आयेगा। ५० रुपये का खाद देगा। इस तरह से मान्यवर, उसका खर्चा १,०६० रुपये आयेगा। अब आप यह सोचिये कि उसको मिलेगा क्या। २० रुपये मन के हिसाब से १,६०० का गुड़ बिकेगा और एक फसल में गन्ना होगा दूसरी में वह क्या करेगा? ५० मन गेहूं उसमें वह पैदा कर सकता था। २ १/२ सेर का कम से कम वह बिकता। तो उसे गन्ना बोने से क्या लाभ? २७० रुपये का उसका कम से कम नुकसान होगा, १० बीघे के किसान को। अगर वह गन्ना बोये तो वह गन्ना भी २,००० रुपये से ज्यादा का नहीं बिक सकता है। १,०६० रुपया उसमें उसकी लागत है और उसका ८०० रु० का गेहूं मारा जायगा। तो वह अपनी मेहनत मजदूरी कहां से लायेगा? खायेगा क्या? दूसरी फसल तक सरकार उसकी क्या मदद करेगी? तो यह स्टन्ट की बात नहीं है। जो जितना कमाये उसके हिसाब से उसे मुनाफा मिलना चाहिये। यह समाजवाद का सिद्धान्त है। ढाई रुपये मन गन्ने की बात जो है वह उस समय है जब चीनी का दाम ४० रुपये मन हो। अगर चीनी ३२ रु० मन है तो गन्ने का दाम २ रुपये मन होना चाहिये। अगर चीनी १६ रुपये मन हो तो उसका दाम आप १ रुपया मन कर दीजिये। सोशलिस्ट पार्टी की दाम नीति आपको बतायी जा चुकी है। कल कारखाने की चीज लागत के डेढ़ गुने से ज्यादा न बिके। खाद्यान्न जितने रुपये मन हों उतने आने सेर मुनाफा से कभी ज्यादा न बिके, यह हमारी पार्टी की नीति है। आप पूरे आंकड़े लें तो आपको पता चलेगा कि हमारी ढाई रुपये मन की बात स्टंट नहीं है। दो रुपये मन की बात को किसानों का मन समझाने की बात है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग केवल बात ही नहीं करते। मैं आपको आंकड़े दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में चीनी का भाव १११ रुपये २५ नये पैसे प्रति क्विन्टल है जब कि बिहार में १२२ रुपये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के २१ जिलों में ११६.५० रुपये, पंजाब में ११८.५० रुपये, पश्चिमी बंगाल में १५० रुपये, आसाम में ११६ रुपये, उड़ीसा में ११६.५० रुपये राजस्थान में ११६.५० रुपये, मध्य प्रदेश में ११६ रुपये और आंध्र में ११७ रुपये प्रति क्विन्टल है जब कि वहां गन्ने का दाम ढाई रुपये मन है। यह हमारा स्टंट नहीं, ईमानदारी की बात है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि यह ढाई रुपय मन का दाम है अथवा क्विन्टल का?

श्री राधेश्याम शर्मा—

प्रति मन का। वह तो ऐसी बात ही कहेंगे, सस्ती लीडरी करते हैं न। (व्यवधान) इसके बाद में गुड़ और खंडसारी की बात कहूंगा (व्यवधान)

लोक सभा में श्री थामस ने कहा कि गुड़, खंडसारी यूनिटें और चीनी मिलें सभी साथ-साथ जियेंगी, लेकिन इस सरकार ने डी० आइ० आर० के अन्तर्गत यह कानून बनाया कि २/३ गन्ना हम लेंगे। मैं आपसे साफ साफ कहूं कि इस सरकार ने १९६३–६४ के वर्ष के लिये ५० प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी में रिबेट दिया, २० फीसदी और रिबेट देगी। मगर गुड़ और खंडसारी यूनिटों को यह सरकार नहीं चलने देगी। यह सरकार की नीति है। माननीय फूल-सिंह जी ने बहुत साफ शब्दों में अपने तर्क सहित इस बात को कहा कि डी० आई० आर० के अन्तर्गत यह कानून बनाने की जरूरत नहीं थी। नेगी जी कहते हैं, वे मानते हैं कि पंजाब और राजस्थान में गुड़ ४५ और ५० रुपये मन बिक रहा है और हमारी सरहद मथुरा पर वह २० और २२ रुपये मन बिक रहा है। उन्होंने स्वीकार किया कि चोर-बाजारी से गुड़ जाता होगा। तो यह गलती किसकी है। सरकार इसके लिये जिम्मेदार है। माननीय मुख्य मंत्री जी से तथा नेगी जी से मैंने और लखी सिंह ने दो बार जाकर कहा कि मथुरा का डी० एस० ओ०, डी० पी० ओ० तथा पुलिस कप्तान मिल कर लाख डेढ़ लाख रुपया रोज कमा रहे हैं और गुड़ चोरी से बाहर जा रहा है। आप इसकी जांच करायें और अगर यह गलत हो तो मैं बड़े से बड़े जुर्माना देने के लिये तैयार हूं। अगर सरकार इस चोर बाजारी को नहीं रोक सकती तो यह सरकार की गलती है। जब तक सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठायेगी, सरकार इस भ्रष्टाचार को नहीं रोक पायेगी।

अंतिम हल क्या है?, हमारा कहना है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करो। जो किसानों का रुपया बकाया है उसको मिल मालिकों की सम्पत्ति से वसूल करो। क्षमता के आधार पर चीनी का वितरण करो। आवश्यकतानुसार जितने आने मन गन्ना हो उतने रुपये मन शकर का दाम निश्चित हो। गुड़ और खंडसारी उद्योग को चलने दो। डी० आई० आर० के अन्तर्गत इस कानून को खत्म करो। जब आप यह सब करेंगे तभी इस समस्या का सही हल निकल सकेगा।

चीनी से विदेशी मुद्रा कमाने की बात कही गयी। अगर चीनी से ही सारी विदेशी मुद्रा पैदा करने का सवाल होता तो मुझे एतराज नहीं होता। मगर मैंने अखबार में पढ़ा कि साढ़े १२ करोड़ की चीनी बाहर भेज कर सरकार को साढ़े १२ करोड़ का घाटा देना पड़ा। अपने यहां उपभोक्ताओं को चीनी मोहैया न करके घाटे पर चीनी का निर्यात किया जाय, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। अगर सरकार की यही नीति है कि यहां के किसान की गर्दन काटी जाय, उपभोक्ताओं को चीनी न मिले, और साढ़े १२ करोड़ की चीनी पर इतना ही घाटा उठाया जाय और विदेशी मुद्रा कमाने की बात कही जाय, तो बलिहारी है हमारी इस सरकार की।

अंत में, मैं जोरदार शब्दों में अपील करूंगा कि सरकार इस गलती को किसी दूसरे पर न थोपे, सरकार को गलती माननी चाहिये, और जिस विभाग का मंत्री ऐसा कहता है कि वह इस चीज को कन्ट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिये इस प्रजातंत्र के युग में ऐसी स्थिति क्रियेट करनी चाहिये कि वह सरकार में न रह सके। यह कितनी हास्यास्पद बात है कि खाद्य मंत्री कहते हैं कि वह इस चीज को रोक नहीं सकते और वह फिर भी अपने पद पर बने रहते हैं। इस लिये हमारा कहना है कि चीनी मिलों का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण करना चाहिये। ढाई रुपया मन गन्ने का दाम होना चाहिये। यह कोई स्टन्ट नहीं है बल्कि यह एक सिद्धान्त के ऊपर आधारित है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, चीनी, गुड़, राब से प्रभावित इस प्रदेश के माननीय सदस्यों के भाषणों को सुनकर आपको यह मालूम हो गया होगा कि चीनी में जो चिपक है वह हमारे सदन की बहार

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

दीवारों में ही सीमित नहीं है, बल्कि वह उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली और भारत के कोने कोने में है। मुझे हाउस में कोई डिबेट आज तक ऐसी दिखाई नहीं दी जैसी कि इस चीनी के मामले में यहां हुई। इससे ही इसका महत्व आपको मालूम पड़ गया होगा। जिस व्यवस्था को करने के लिये सरकार ने इस बिल को पेश किया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बीमारी और खतरनाक न हो जाय। कानून बनाना आसान है, लेकिन कानून के दाव पेंच वाले जानते हैं कि जो कानून बन जाता है, सरकार उस कानून की जिम्मेदार नहीं रहा करती है, लेकिन कानून से जो व्यवस्था देश में पैदा हुआ करती है उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर हुआ करती है, अगर इस कानून से सारे मुल्क में हरियाली हो जाती है, जैसा कि सरकार का खयाल है तब तो सरकार धन्यवाद की पात्र है। अगर चीनी मुल्क में खूब पैदा हो जाती है,उजड़ी हुई बस्तियां बस जाती हैं सरकार बधाई, की पात्र है, लेकिन अगर किसान सूर्य किरणों के बजाय मृत्यु किरणों से ढंक जाता है और उससे सरकार के खजाने में भी कुछ रुपया नहीं आ पाता है तो मैं समझता हूं उसके लिये सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमें बड़ी दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये।

आपने जो रेस्ट्रिक्शन्स लगाये हैं उनको हमें बड़े ध्यान से देखना चाहिये। जस्टिस तो इसे कहते हैं कि आसमान चाहे टूट कर जमीन पर क्यों न आ पड़े, लेकिन जस्टिस होनी चाहिये और वह भी आनर के साथ होनी चाहिये। डिस आनर के साथ जस्टिस भी जस्टिस नहीं कहलाती, क्या आप समझते हैं कि इससे किसानों के साथ सोशल जस्टिस हुई है? क्या उससे किसान के घर दौलत आयेगी? अगर ऐसा होगा तो आप बधाई के पात्र हैं, परन्तु ऐसी बात नहीं है। दूसरी जगह कहा गया है कि सत्य ही न्याय की जननी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो मौलिक अधिकार संविधान में दिये हुये है उनके अनुसार आप कैसे किसान से कहते हैं कि किसान अपना गन्ना चीनी मिल के फाटक पर ले जायगा। मैं पूछता हूं उन कानूनदाओं से, जिनको अपनी बुद्धि पर बड़ा भरोसा है कि क्या वह ही अपने को बुद्धि का ठेकेदार समझते हैं? कौन कानून कहता है कि यह जायज और लीगल चीज है? कौन सी एनालाजी है कौन सी आप की क्लाज है जो इस तरह से किसान को मजबूर कर सकती है? क्या आप उसको गुलाम समझते हैं, वह क्या वह आपका फ्री सिटीजन नहीं है? आपने उस पर पाबन्दी लगाकर देश के संविधान को लुंजपुंज बना दिया है और उसको एक खिलवाड़ समझ रखा है।

मैं माननीय नवल किशोर जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके दिमाग में एक सही तस्वीर तो आई, लेकिन वह उसको पूरा नहीं समझ पाये। उन्होंने कहा कि अच्छे कानून बनाना तो आसान है, लेकिन उनको लागू करना आसान नहीं है। उनको लागू करने की हिम्मत सरकार में होनी चाहिये। मंत्री महोदय कहते है कि लागू नहीं करेंगे। पहले मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि कानून लागू करने के लिये ही बनाये जाते है, वह ताक में रखने के लिये, अल्मारियां सजाने के लिये नहीं बनाये जाते और इस वास्ते अगर कोई मंत्री कहे कि कानून लागू नहीं होगा तो कितने आश्चर्य की बात है। ऐसी बात, मुल्क की व्यवस्था अपने हाथ में चलाने वाले कहें तो हम उन पर क्या विश्वास कर सकते है कि उनके द्वारा कानून की व्यवस्था चलाई जा सकती है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं।

(श्री नेकराम शर्मा के संवाददाताओं के बैठने के स्थान के पास जाकर बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

नेकराम जी, आप अपने स्थान पर बैठें, यह उचित नहीं है।

(श्री नेकराम शर्मा ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

श्री चन्द्रसिंह रावत—

दूसरी बात मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि हमारे माननीय गेंदा सिंह जी के हृदय में किसानों के लिये कितनी हमदर्दी है और वह कितने बड़े वकील और बैरिस्टर हैं किसानों के जो कि गन्ना पैदा करने वाले हैं, मुझे उनसे घृणा नहीं है। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं और सदन के सामने उन्होंने पूरी स्टडी करने के बाद जो सही तथ्य ईमानदारी से रखे हैं उनके लिये वह मेरी ओर से और सदन की ओर से बधाई के पात्र हैं। आज गन्ना किसानों का लाखों और करोड़ों रुपया मिल मालिकों पर बकाया पड़ा हुआ है। हमारे इन नेताओं को उसे किसानों को दिलाने की कोई फिक्र नहीं है। जब यह किसान किसी कानून का उल्लंघन करते है और कोई ड्यूज उनकी तरफ सरकार के रुक जाते हैं तो उसकी फसल और बैल नीलाम, कुर्क हो जाते है और एज लैण्ड रेवेन्यू उनकी वसूली इस तरह से फौरन कर ली जाती है, लेकिन इन गन्ना किसानों की बकाया को मिलमालिकों की चीनी को नीलाम करके उनको नहीं दिलाया जाता। मंत्री जी कहते हैं अगर ऐसा करेंगे तो मिलें चौपट हो जायंगी और वह काम नहीं कर सकेंगी, इमर्जेन्सी की बात कही जाती है तो क्या केवल गन्ना किसानों के लिये ही देश में इमर्जेसी है, उन मिलमालिकों के लिये क्या इमर्जेसी नहीं है। यह बात आप को समझ में क्यों नहीं आती ? आप की बुद्धि में यह बात आनी चाहिये कि अगर गन्ना किसानों पर सख्ती हो सकती है तो मिलमालिकों पर भी हो सकती है, उन पर इमर्जेसी लागू होगी और होकर रहेगी और उनको यह भुगतान करना पड़ेगा।

तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि मिल मालिक बड़े होशियार हैं वह सरकार से हजारों लाखों रुपया लेते हैं, कहते हैं कि मिलें खराब हो रही हैं, वह टूट रही हैं बड़ा डिप्रिशियेशन हो गया है और वह सरकार से बड़े बड़े कर्ज लेते हैं। २-२,३-३ करोड़ रुपया, ५० लाख रु० कर्ज ले रखा है, नतीजा यह होगा कि अगर सरकार ने सख्ती की तो वह छोड़ कर चल देगा। वह रुपया उसने दूसरी जगह लगा रखा है जिसको हमारी सरकार छू नहीं सकती और आप अपना रुपया सड़ी गली मशीनरी से वसूल कर लीजिये। अतः सरकार को सतर्क रहना चाहिये इस मामले में, ताकि जो रुपया कर्ज के रूप में दे रखा है, वह मारा न जाय। सरकार को चाहिये था कि वह देखे कि मिल मालिक उस रुपये को पुरानी मिल के रिप्लेसमेंट में लगाये जिससे मिल अच्छी तरह से चलती रहे, रुपया भी सुरक्षित रहें। यह नहीं होना चाहिये कि बंगाल में जाकर उस रुपये से दूसरी मिल खड़ी कर ले और यहां सड़ी, गली मशीनरी को ही चलाता रहे।

अगर इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में नहीं चल सकती तो पब्लिक सेक्टर में सरकार को करना पड़ेगा और अगर कोई व्यक्ति अपनी ताकत बहुत दिखाता है तो उसके आगे सरकार झुक नहीं सकती। हां जनता की ताकत के आगे तो सभी सरकारें झुकती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के आगे नहीं, लेकिन अगर सरकार किसी व्यक्ति की ताकत के आगे झुकती है तो वह सरकार सरकार कहलाने लायक नहीं है। अतः सरकार को काफी सतर्क इस दिशा में रहना पड़ेगा कि चीनी का ब्लैक न होने पाये। आपने कोआपरेटिव का जब जाल फैला रखा है सारे देश में तो उसके द्वारा क्यों नहीं आप वितरण कराते। अगर आप ऐसा करेंगे तो जनता में विश्वास पैदा होगा, वह अपनी जिम्मेदारी समझेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, गन्ने का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और किसान की जिन्दगी और मौत का सवाल है। इस आदरणीय सदन ने जिस तरह से एक दिल, एक जान होकर सरकार की घिनौनी नीति की आलोचना की है, उसके लिये सदन को मुबारक बाद देता हूं और सदन ने जाहिर कर दिया कि हम हकीकत में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

किसानों के प्रतिनिधि हैं। आज यह मामला बहुत गम्भीर बन गया है और हम ऐसा समझते हैं कि किसान पर एक मुसीबत आ गयी है। आज ऐसी नीतियां किसान के खिलाफ बनाई जा रही हैं जिनको किसी तरह काबिलेतारीफ नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से गन्ने की नीति में दिन ब दिन तब्दीलियां होती रही हैं, कोई निश्चित नीति सरकार की नहीं रही। आज गन्ने पर जो किसान का सहारा है, मिल मालिकों की नजर लगी हुई है। वह चाहता है उसको अपनी हविश का शिकार बना ले और सरकार भी उनके हाथ में खिलौना बनी हुई है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो, लेकिन किसानों ने मशरिकी यू० पी० में आन्दोलन किया गन्ने की कीमतों के खिलाफ और ऐसा आन्दोलन कि फैक्ट्रियां बन्द कर दीं। उसका नतीजा यह निकला कि मिल मालिकों को मजबूरन यह सोचना पड़ा कि कहीं एक यह तूफान न बन जाय इसलिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार से यह कहा कि इस इलाके में भी गन्ने की कीमत २ रु० प्रति मन कर दी जाय और जब केन्द्रीय सरकार ने भी यह सोचा कि उत्तर प्रदेश की एसेम्बली में भी इस विषय पर चर्चा होने वाली है तो जैसा एक दिन मिश्र जी ने एक शब्द 'धमक' कहा था तो उसी विधान सभा की धमक से परेशान हो कर ही यह सब हुआ। आप सब काबिले मुबारकबाद हैं।

जहां तक गुड़ का सम्बन्ध है मैं जिस इलाके से आता हूं वहां पर हमेशा से गुड़ बनता है आज वहां का किसान परेशान है। श्रीमन्, बुलन्दशहर जिले में एक शुगर फैक्ट्री है जो एक बदनाम फैक्ट्री है कि इसमें कभी सही वक्त पर दाम नहीं मिलते हैं उसके भी रिजर्व्ड एरिया को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे गांव जो वहां से ३०-३० मील दूर हैं उनको भी फैक्ट्री एरिया में ले लिया गया है। जहां से वह फैक्टरी कभी गन्ना नहीं उठा सकती है आज वहां पर किसानों के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि वे अपने गन्ने का २/३ गन्ना मिल को दें तो क्या सरकार का यह कदम न्यायोचित है? लेकिन वहां के किसान बड़े पैमाने से कोल्हू चला रहे हैं। वे परवाह नहीं करते हैं, चाहे उन्हें जेल में भेज दिया जाय, चाहे सरकार उनको डी० आई० आर० में चालान कर दे वे मिल को गन्ना नहीं देंगे, जो मेरे इलाके के किसान हैं।

मेरे इलाके को भी रिजर्व्ड एरिया में ले लिया गया है। इसके साथ-साथ गुड़ के ऊपर प्रतिबन्ध लगाना, मैं समझता हूं, इनसे ज्यादा शर्मनाक काम और कोई नहीं हो सकता। आज आप मेरे इलाके में जाइये, आप पाइयेगा कि हर घर में गुड़ बनाने वाले कोल्हू कम से कम १०-५ अवश्य चलते मिलेंगे। वास्तव में कोल्हू वहां का जीवन है। वहां का किसान हर बात को जहां कोल्हू चलता है, वहीं बैठकर ही डिस्कस करता है फिर गुड़ बनाता है। आज इस मुल्क में गुड़ की जरूरत है, लेकिन इस सरकार ने कोशिश की है कि यह जो किसान का उद्योग है उसे खत्म कर दिया जाय जिससे कि वह अपने हाथ से बनाने वाले गुड़ के उद्योग को छोड़ दें, लेकिन क्या आप इन बातों से किसान को मजबूर कर सकते हैं, हरगिज नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हर साल १४-१५ लाख मन गुड़ बनाते हैं। उसमें से दस हजार मन माहवार आप दूसरे प्रदेशों को भेज देते हैं और इसमें से तकरीबन ४ लाख मन प्रदेश में खर्च हो जाता है। इसका मतलब यह है कि १० लाख मन गुड़ बचा। इस तरीके से जो इस साल का गुड़ है वह कितने साल के अन्दर दूसरे प्रदेशों में भेजा जायगा। गुड़ एक ऐसी चीज नहीं है जो ज्यादा समय तक रखा जा सके। जहां बरसात आती है, गुड़ खराब होने लगता है और इसकी कीमत बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से इस गुड़ को बाहर भेजने में १०० महीने लगेगा जिसका अर्थ यह होगा कि इसको बाहर भेजने में गालिबन ९ वर्ष चाहिये। दूसरे प्रदेशों में क्या कीमत है और यहां क्या कीमत है? गुड़ की कीमत बढ़ने से किसान ने सोचा था कि उसकी एकोनामिक कन्डीशन सुधर जायगी, लेकिन आपको आंखों से उसकी एकोनामिक कन्डीशन का अच्छा होना नहीं देखा गया। सरकार ने ऐसी रुकावटें लगाई और लगाने जा रही है जिससे गुड़ की पैदावार पर असर पड़ा। आज ग्रामीण जनता गुड़ की शौकीन है, चीनी की नहीं और वह गुड़ ही इस्तेमाल करती है। अगर इस तरह का प्रतिबन्ध लगाया गया तो मैं यकीन से कहता हूं कि यह सरकार पाबन्दी लगाने में नाकामयाब हो जायगी।

डी० आई० आर० सरकार लगा दे किसानों पर यह शर्म की बात है। मिल मालिकों पर सरकार इसे नहीं लगा सकती क्योंकि आप उनके हाथों में खिलौना बने हुये हैं। आप गुड़ के उद्योग को बचाइये। मिल मालिकों की नजरें लगी हुई हैं कि यह खत्म हो। गुड़ पर पाबन्दी लगी हुई है जिससे यह दूसरे प्रदेशों में नहीं जा सकता है, यह सरासर किसानों के साथ नाइंसाफी है। गुड़ की कीमत उसे सही मिलना चाहिये, लेकिन नहीं मिल रही है। राधेश्याम जी ने अभी बतलाया था कि गन्ने पर कितनी लागत आती है। मैं भी एक किसान हूं और इस आदरणीय सदन के ज्यादातर सदस्य किसान हैं। वे जानते हैं कि हमारे यहां मेकेनाइज्ड फार्मिग नहीं है। हम अपने हाथ पैर की मेहनत से अपनी रोजी कमाते हैं। आप देखें कि बाज साल ऐसा होता है कि गन्ने के अन्दर बीमारी लग जाती है और खेत के खेत सूख जाते हैं। किसान ने इतनी लागत लगाई, लेकिन हश्र क्या हुआ ?

अगर सरकार ने पाबन्दी नहीं हटाई तो १६ तारीख को हम लोग दिल्ली की तरफ गुड़ लेकर जायेंगे और उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करेंगे चाहे गिरफ्तार हों या डी० आई० आर० में मारे जायं। एक जत्था जायगा, दूसरा जत्था जायगा। मैं दावत देता हूं हर एक सदस्य को चाहे किसी दल से ताल्लुक रखता हो वह अपनी पार्टी का झंडा उठा कर उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करे, ताकि जो यह नाइंसाफी गुड़ के सम्बन्ध में किसान पर हो रही है वह खत्म की जाय यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते।

इसके अलावा खंडसारी पर प्रतिबन्ध जो हैं वे खत्म होने चाहिये। कोल्हुओं पर और खंडसारी पर कितने खेतिहर मजदूर लगते हैं और इस तरह से रोजगार में लगे हुये हैं उनको यह सरकार खत्म करना चाहती है। मेरठ बुलन्दशहर और सहारनपुर में बहुत से क्रशर ऐसे हैं जो किसानों के अपने हैं, वे अपना गन्ना स्वयं पेरते हैं उनको लाइसेंस मिलने में कोई पाबन्दी नहीं होना चाहिये, ताकि अपने खेत के गन्ने को स्वयं पेर सकें, क्योंकि उनके तमाम क्रशर्स बन्द पड़े हुए हैं।

श्री शुगनचन्द शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि मुझे आज बोलने का मौका दिया गया। मैं आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि काश्तकार को एक बीघे पर कितनी लागत लगानी पड़ती है और अभी तक इस सरकार ने इस ओर तवज्जह नहीं की। एक बीघे पर लगभग १८५ रुपये खर्च पड़ता है जिसमें बीज, मेहनत खुदाई, गुड़ाई सब शामिल है। इसको देखते हुये गन्ने की कीमत ढाई रुपये मन से कम नहीं बैठती। मैं चाहता हूं कि यह सरकार दिल्ली की सरकार से सिफारिश करे कि गन्ने का दाम कम से कम ढाई रुपये मन होना चाहिये। इसके अलावा इस वक्त हमारी पैदावार का औसत फी बीघा ७५ मन का पड़ता है जिस पर १८५ रुपये के लगभग हमारा खर्चा पड़ता है और २ रुपये मन के हिसाब से सिर्फ १५० वसूल होते हैं। इसलिये २ रुपये मन का दाम कम है।

इसके अलावा हमारे ऊपर यह जो प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है कि हम गुड़ और खांड न बनायें, इसको वापस ले लिया जाय। सन् १९४६ में जब अन्तरिम गवर्नमेन्ट बनी थी उस वक्त भी यह आर्डर जारी किया गया था, लेकिन पंडित जवाहर लाल नेहरू को मजबूर होकर उसे वापस लेना पड़ा था। यह डी० आई० आर० मिल मालिकान पर लगना चाहिये जो काश्तकारों से गन्ना वसूल करते हैं। मिल मालिक पर यह पाबन्दी लगायी जाय कि वह जितना गन्ना किसी काश्तकार से ले उसको उतना हिस्सा मुनाफे में दे।

इसके अलावा जो चीनी पैदा होती है उससे काश्तकार बिल्कुल महरूम रहता है। मेरे इलाके में सर्किल पंचायत में १५ हजार की मर्दुमशुमारी है जिसमें सिर्फ ८ बोरी शकर एक महीने में दी जाती है और शादियों में तो काश्तकार को बहुत परेशानी रहती है। सरकार को चाहिय

[श्री शुगनचन्द शर्मा]

कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा इस तरीके पर तकसीम कराये कि सब को बराबर बराबर पहुंच जाय। दुकानदारों को भी किसी को १०० बोरे दिये जाते हैं और किसी को एक महीने में सिर्फ ८ बोरे और वह १०० बोरे ब्लैक में बिकते हैं। इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही जरूरी है।

जो गन्ने का बिल प्रवर समिति को सौपा गया है, मेरी प्रवर समिति से प्रार्थना है कि वह इस पर सोच विचार करे और जो डी० आई० आर० लागू किया गया है उसको वापस लेने की सिफारिश करे। जय हिन्द।

*श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो गुड़ और खंडसारी के सम्बन्ध में विचार हो रहा है उस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो इस समय १५ लाख टन चीनी बनाने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और उसी के लिये तमाम रिजर्व्ड एरिया बनाया है और प्रतिबन्ध भी लगाये हैं, जहां तक मेरी जानकारी है जितना गन्ना प्रदेश में है उसका २५ फीसदी ही मिलों को १५ लाख टन चीनी बनाने के लिये चाहिये, लेकिन ८० फीसदी गन्ना सरकार ने रिजर्व्ड एरिया में ले रखा है। मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि २५ परसेंट के अलावा जो गन्ना होगा जिसका गुड़ खंडसारी भी नहीं बना सकते और मिलें भी नहीं लेंगी उससे जो काश्तकार का नुकसान होगा वह क्या सरकार पूरा करेगी या कौन पूरा करेगा ? या मिल मालिक जो बकिया गन्ने को इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे, वह देंगे ? आपने रिजर्व एरिया तो बना दिया है। हालांकि जो फिगर्स दिये गये हैं उनसे ७० परसेंट जाता है, लेकिन असल में ८० परसेंट आता है। जो ५५ परसेंट गन्ना रह जायगा उसकी कीमत कौन देगा ? सरकार देगी, अफसरान देंगे, जिन्होंने रिजर्व एरिया बनाया है या मिल मालिक देंगे ?

इसके अलावा मैं स्वयं एक काश्तकार हूं और काश्तकारी के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत ज्ञान भी रखता हूं। जब गन्ना लेने का समय आता है तो मिल मालिक कहते हैं कि हम नवम्बर से क्रशिंग शुरू करेंगे और मार्च अप्रैल तक करेंगे। अक्तूबर में गन्ना लेने को वह इसलिये तैयार नहीं हैं कि उसको नुकसान होता है। १५ लाख टन का टारजेट कभी पूरा नहीं हुआ। एक बार १४ लाख टन का पूरा हो चुका है। उस समय १७६ दिन का क्रशिंग सीजन रखा गया था। आपके पास जितनी मिलें और मशीनें हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाये बिना जो टारजेट फिक्स कर दिया है, यह ठीक नहीं है। आपकी मिलें १९३५–३६ और १९२५–२६ सनों की हैं और उनमें पुरानी मशीनें हैं उनसे उम्मीद करना भी कि इतना गन्ना क्रश कर देंगी, ठीक नहीं है। इसके नुकसान का देनदार मिल मालिक और सरकार को होना चाहिये।

हमारे एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट्स और एग्रीकल्चर विभाग की राय के अनुसार १२० दिन का क्रशिंग सीजन होता है। आपने १५ लाख टन का टारजेट फिक्स कर दिया है वह कैसे पूरा हो सकता है ? यह गैर मुमकिन है। मैं मंत्री जी, मिल मालिक और एसोशियेशन के चेयरमैन को चैलेंज करता हूं कि आपका टारजेट पूरा नहीं हो सकता है। यदि पूरा कर देंगे तो हमारे लिये बड़े गर्व की बात होगी और मैं समझता हूं कि यह आसानी से होने वाला नहीं है। जो हालत हमारे प्रदेश की मिलों की है और उनके तौर तरीके हैं उनसे १०/१५ साल के बाद भले ही यह गौरव प्राप्त हो जाय कि १२० दिन में इतनी चीनी पैदा कर सकें। १२ लाख टन से ज्यादा चीनी पैदा नहीं कर सकते हैं। आपको ४५ करोड़ मन गन्ना चाहिये, लेकिन ३५ करोड़ मन गन्ना से ज्यादा तो क्रश नहीं हो पायगा। तो जो दस करोड़ मन गन्ने का लास होगा उसको कौन देगा, इसका कहीं प्राविजन नहीं है।

इसके अलावा हम लोगों के न्याय का दर्जा इतना ऊंचा है कि जो गन्ना उत्पादक है उसको आधा किलो चीनी प्रति परिवार महीने में देते हैं और शहरों में ३।४ किलो पर यूनिट के हिसाब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से देते हैं। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन्स लगाकर क्या आप चीनी का उत्पादन बढ़ा लेंगे ? वह आपके डी० आई० आर० से बाध्य होकर भले ही इस साल आपको गन्ना दे दे और ६/७ महीने गन्ना क्रश करके भले ही आप १४ लाख टन चीनी बना लें, लेकिन क्या आयन्दा के लिये काश्तकार उत्साहित होगा कि वह गन्ना उगाये ? उसके लिये आप डी० आई० आर० कैसे लगा देंगे ? डी० आई० आर० से क्या आप पैदा करवा सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

सरकार का डी० आई० आर० कहिये, कुर्सी का नहीं ।

श्री चैतन्यराजसिंह—

मैं आपके द्वारा सरकार से कह रहा हूं । इस साल बिना टार्गेट किसी तरह से पूरा भी कर लें आइन्दा साल क्या होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

२ रुपये का रेट करेगा

श्री चैतन्यराजसिंह—

जो लासेज हो जायेंगे उसको सरकार क्या दे देगी ? अगर काश्तकार का गन्ना मिलें नहीं पेर पायीं तो क्या आप देंगे ? आप १२० दिन के गन्ने को पेरने की गारन्टी कर दीजिये और हम तैयार हैं आप गन्ने का दाम १ रुपये १४ आने कर दीजिये । मैं अन्य माननीय सदस्यों से भी कहूंगा कि वह भी इसके लिए तैयार हो जायं कि १ रुपया १४ आने मन गन्ने का रेट हो जाय, लेकिन १२० दिन के अन्दर क्रश कर दीजिये और अगर इसके अन्दर न क्रश कर पायें तो उसका नुकसान पूरा करें । यह आप नहीं कर सकते ।

गुड़ की न्यूट्रिशन वैल्यू भी चीनी से कहीं ज्यादा है । उसके अन्दर विटैमिन्स और साल्ट भी होता है जबकि चीनी में सिर्फ कार्बोहाड्रेट होता है । गरीब किसान और मजदूर को चीनी नहीं मिलती थी वह गुड़ से ही खुश हो जाया करता था । आज आपने उसके हाथ से गुड़ भी छीन लिया । आज गरीब किसान और मजदूर चीनी और मिठाई से भी वंचित हो जायगा । कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है जिससे हम कह सकें कि गरीब किसान मजदूर को एक सीमित मात्रा में भी जो मात्रा मेडिकल प्वाइंट आफ व्यु से आवश्यक है, दे दें ।

हमारा प्रदेश तम्बाकू उगाने वाला एक अच्छा प्रदेश था । मैं समझता हूं कि आज तम्बाकू की उपज इस लिये कम हो गयी है कि आपके एक्साइज इंस्पेक्टर ने कानूनों की धांधलेबाजी की है । उस वजह से बड़ा भारी नुकसान होता है । मुझे डर है इस बात का कि जिस तरह से तम्बाकू की खेती प्रदेश से चली गयी उसी तरह से कहीं गन्ना न चला जाय और यह बड़ी बड़ी मिलें खड़ी ही न रह जायं जिनके लिये यह कानून बनाये जा रहे हैं । इस सम्बन्ध में एक चीज और निवेदन करना चाहता था कि काश्तकार को आपने दो तिहाई अपना गन्ना देने को बाध्य किया । वह आपको मजबूरन देगा क्योंकि आपका बनाया हुआ कानून है, लेकिन उसका असेसमेंट करने वाला जो जायगा, उसके गन्ने का कितना असेसमेंट करेगा और कितना वह दे पायेगा, कितना नहीं दे पायेगा, यह भी एक सवाल है । मेरा जाती तजुरबा है एक एक दो दो दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तौली नहीं जातीं, उनके लास को कौन देगा ? उसका गन्ना सूख जाता है उसके लास को कौन कवर करेगा ? असेसमेंट वह कुछ और कर देगा और ऐक्चुअल पैदावार कुछ और है । इससे आप करप्शन की गुंजायश पैदा कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

चेयरमैन महोदय, आज चार पांच रोज से शुगर और गुड़ वगैरह पर बहस सुनता आ रहा हूं। मैंने सुना था कि शुगर से डायबेटीज की बीमारी होती है। मैं समझता हूं कि शुगराइटिस भी एक बीमारी पैदा हो गयी है। हम लोग अगर सचमुच चाहते हैं कि किसान का भला हो, किसान को मिठाई ज्यादा खाने को मिले तो हमारी तो कोशिश यह होनी चाहिये थी कि ८० फीसदी किसान जो गुड़ खानेवाला है और सिर्फ २० फीसदी जो है वह शकर खानेवाला है तो ८० फीसदी के लिये गुड़ ज्यादा पैदा हो और सस्ते भाव हों, लेकिन वह कैसे होगा ? वह तब होगा जब शुगरकेन की कीमत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। सरकार ने उदारतापूर्वक शुगरकेन की कीमत २ रुपया मन कर दी है और अगर आप इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो गुड़ और ज्यादा महंगा होगा। आज ही टाइम्स आफ इंडिया में निकला है कि दिल्ली के बाजार में गुड़ का भाव ११० रुपये प्रति मन हो गया है। ८५ रुपये मन तो आम तौर से बिकता था, लेकिन अब ११० रुपया हो गया है।

श्री अधिष्ठाता---

आपने ठीक से देख लिया है ? १ मन के नहीं शायद क्विंटल के भाव होंगे।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर---

अगर इस तरह से कीमत बढ़ती जायगी तो किस पर असर पड़ेगा ? जनता पर होगा। जो किसानों के सच्चे शुभचिंतक हैं, वह यह चाहेंगे कि गुड़ जितना सस्ता हो सके, हो, लेकिन विधायक उसको बढ़ाने की बात करते हैं और आज खंडसारी के चैम्पियन बन गये। क्या खंडसारी वाले छोटे-छोटे मिल मालिक नहीं है। वह ऐसे मिलओनर्स हैं जो सरकार को काफी इन्कम टैक्स और सेल्स टैक्स नहीं देते हैं, उनको टैक्स छिपाने का बहुत ज्यादा मौका है, मिलमालिक के तो सिर पर सरकारी कर्मचारी खड़े हो कर सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स ले लेते हैं, लेकिन यह बात खंडसारी के चैम्पियन लोग नहीं देखते हैं। मेरी सहानुभूति उन एम० एल० एज० से जरूर है जो अपने वोट्स पर नजर रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इंसाफ की बात है वह तो कहनी चाहिये। मैं दावे के साथ पूछता हूं कि कांग्रेस के मुकाबिले में कौन ऐसी पार्टी है जो किसानों की शुभचिंतक है मगर सब तरफ से विरोधीदल के लोग इन सीजन ऐंड आउट आफ सीजन कांग्रेस को कोसना ही चाहते हैं। इस पर मुझे एक कहावत याद आ गयी। एक गांव में एक जाट महाशय जा रहे थे। रास्ते में उनको एक तेली मिला। उसने कहा, जाट रे जाट, तेरे सिर पर खाट। उसने कहा कि "तेली रे तेली, तेरे सिर पर कोल्हू।" उसने कहा तुक तो मिली नहीं। उसने कहा तुक न मिले न सही, बोझ से तो मरेगा। इसी तरह से विरोधी दल के लोगों को तो सरकार को कोसना ही है।

यह मैं मानता हूं कि खाद्य पदार्थों की नीति से काफी असंतोष फैल गया है। हमारे लाल बहादुर जी शास्त्री ने, जिन्हें मैं सेंट एमेंग पालिटिशियन समझता हूं, उन्होंने भी कहा है कि सरकार की फूड नीति सराहनीय नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि डिकंट्रोल की पालिसी को अख्तियार करना चाहिये और उसकी वजह से अगर कोई रिस्क भी आये तो हमको उसे भी सहना चाहिये। इस फूड की नीति में हमारी प्रदेशीय सरकार का ही हाथ नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट की भी नीति की उसमें बहुत त्रुटि रही है। पाटिल साहब को क्यों जाना पड़ा, क्योंकि उनकी फूड की नीति जो थी वह सफल नहीं हुई। अब स्वर्ण सिंह साहब आये हैं। देखें वे कब तक अपने पद पर आरूढ़ रह पाते हैं। इसके पहले जितने भी मंत्री सेंटर में फूड के इंचार्ज हुए हैं सबको दो दो वर्ष, डेढ़ डेढ़ और वर्ष ६-६ महीने में पद छोड़ना पड़ा है। तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट को और हमारी प्रदेशीय सरकार को भी सोचना होगा कि आखिर क्या बात है ? हम यह कह सकते हैं कि फारेन कंट्रीज को चीनी भेजने से हमको रुपया मिलेगा। उधर आप यह भी देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में अनाज का उत्पादन कम होने से हमको अनाज बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो अनाज मुफ्त तो नहीं मिल रहा है। अगर हम चीनी बाहर भेजना बन्द करें तो अनाज बाहर से मंगाना बन्द हो सकता है। आप जानते हैं कि अनाज बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते

हैं किन्तु जैसा कि शास्त्री जी ने कहा है बिना चीनी के या बिना गुड़ के हमारा किसान अथावा हमारी जनता का कोई मरेगा नहीं, लेकिन बिना अन्न के किसान जिन्दा नहीं रह सकता है। इसलिए मैं तो यह कहता हूं कि शुगर केन का एरिया रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिये। हर एक किसान एक निश्चित एकरेज से ज्यादा एरिया में गन्ना नहीं लगाये ताकि ज्यादा गन्ना न पैदा हो वरन ज्यादा अनाज पैदा करे जो कि खाने की चीज है। क्या हम नहीं जानते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी ८० परसेंट जनता की आजीविका खाद्य पदार्थों के उत्पादन अथवा कृषि पर है।

हम जो भारतवर्ष के रहने वाले हैं उनकी ८० परसेंट की जीविका कृषि उत्पादित खाद्य पदार्थ हैं। अस्तु, अनाज पैदा करने के लिये खेती में वृद्धि होनी चाहिये लेकिन यहां सदन में कोशिश की जा रही है कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाय। शुगर बढ़ाइये ताकि बाहर से रुपया ज्यादा कमाये या हमारे यहां खंडसारी वाले रुपया कमायें, मिल वाले कमायें। अधिष्ठाता महोदय, आपने देखा होगा, जैसा कि बतलाया गया है पहले से अब चीनी की पैदा कम हो गई है। अब उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रहीहै। आया यह कोशिश पूरी होगी या नहीं यह देखने की चीज है। मेरा कहना यह है कि जो नीति की गन्ने का एरिया रेस्ट्रिक्ट करने की है उसका तो हमें समर्थन करना चाहिये। जहां तक सरकार ने कीमत बढ़ा दी है शुगर केन की उसके लिए हम उनके धन्यवाद देते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही गन्ने का एरिय बढ़ाने गये तो गुड़ की कीमत बढ़ती जायगी, शुगर की कीमत बढ़ती जायगी और किसान को कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि भविष्य में बोलने वाले वक्ता बतलायें कि क्या मैं गलत कर रहा हूं ? अधिकांश करीब ८० परसेंट किसान का गन्ने से कोई वास्ता नहीं है, खाद्य पदार्थों से वास्ता है। सिर्फ दस परसेंट किसान या जैसा कि खंडसारी वाले कहते हैं २० परसेंट किसान गन्ने के गोवर हैं। तो आप ८० परसेंट का फायदा चाहते हैं या २० परसेंट का फायदा चाहते हैं। वोट मांगने की बात दूसरी है, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिये कि आप ८० परसेंट जनता का भला चाहते हैं या २० परसेंट का जो कि वास्तव में कि एक्सप्लायटर्स हो रहेहैं, ग्रो मोर शुगर कर रहे हैं या ग्रो मोर खंडसारी कर रहेहैं। इस बात पर हमको ध्यान देना होगा।

श्री उग्रसेन—

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रस्तुत विषय पर गत दो दिनों से विवाद हो रहा है और मैंने भी कोशिश की कि बैठे बैठे माननीय सदस्यों के विचार सुनूं और समझने की कोशिश करूं। मैं समझता हूं अब तक इस विषय के जितने प्रमुख अंग हैं उन पर काफी प्रकाश पड़ चुका है। मुझे कोई खास प्रकाश डालने की आवश्यकता है नहीं। मगर दो तीन बातों में बड़ा भ्रम हो रहा है। अभी बैरिस्टर साहब ने इशारा किया कि उनको यह शक हो गया है कि अगर गन्ना ज्यादा बोया जायगा या चीनी ज्यादा बनेगी तो सरकार को पैसा तो मिलेगा, विदेशी मुद्रा मिलेगी लेकिन अनाज नहीं बोया जायगा। तो मैं बैरिस्टर साहब को बताऊं कि वह इस सदन के सदस्य रह चुके हैं, आज से नहीं कम से कम सन् ५० से मैं जानता हूं कि जब दिल्ली सरकार के खाद्यमंत्री थे अजित प्रसाद जैन, वह जाकर पूर्वी जिलों में भाषण दिया करते थे। मैं तो चाहता हूं कि गन्ने की पैदावार बढ़े और किसान इसके बढ़ाने में जुटे। हम लोगों ने उनके सामने रखा कि क्या गन्ने की पैदावार बढ़ाने से आपका मतलब क्षेत्रफल से है ? यदि उससे है तो हम सहयोग नहीं करेंगे। यदि गन्ने की पैदावार आप बढ़ाना चाहते हैं तो क्षेत्रफल कम कीजिये ? हम चाहते हैं कि अच्छी उनको खाद मिले और साथ ही साथ पानी पर्याप्त मिले, गुड़ाई हो। इसके साथ ही जो नये नये फार्म खुल रहें हैं और गन्ने के बिषय में जो नये नये अनुसंधान हो रहें हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाय। यदि ऐसा किया जाय तो गन्ने की पैदावार पर एकड़ बढ़ जायेगी।

मेरा निवेदन यह भी है कि यह जो गन्ने विकास का विभाग खुला हुआ है जिसके लिये अन्य भाइयों ने भी अपनी भावना का इजहार किया है कि यह गन्ना विकास विभाग उपनिवेशवाद बनाये हुये हैं और गुड़ चीनी मालिक पूंजीपति बना हुआ है। इसको पहले समाप्त करने

[श्री उग्रसेन]

की जरूरत है। अगर इंग्लैन्ड की पूंजी लगी हुई है, अगर किसी कंपनी की पूंजी लगी हुई है उसका उपनिवेश बाद फैलाना गलत है। इसी तरह से यह आपका गन्ना विकास विभाग की कम, जिम्मेदारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करें। मैं निवेदन करता हूं कि लगातार इतने दिनों से गन्ना विभाग खुला है और बड़े बड़े अनुसंधान भी हुए तो उन अनुसंधानों का नतीजा क्या हो रहा है? जनता को आप कितनी चीनी दे पायें हैं? किसानों को कितना बीज दे पायें हैं और गन्ना जब किसान लेते हैं तो उनके खर्चे के लिये आप क्या इन्तजाम कर पाये हैं? मैं देवरिया जिले से आया हूं, हमारे उत्तराखंड में वहां भी गन्ना है। हम किसान के घर के आदमी हैं। हम भी गन्ना बोते हैं, हम भी गन्ना देते है और मेहनत करते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि जब गन्ना मिल चालू होते हैं तो कुछ लोगों की जेब में जो १० रुपये का नोट दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उनके पास गन्ना नहीं रहता है और वह सारा मिल को चला जाता है तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। उनका सारा पैसा वह कट जाता है। मिल का कर्जा देने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। सकी हालत वही रह जाती है जो पहले थी। उसको मेहनत भी नहीं मिल पाती है। आपने किसी काश्तकार को ४९० दिया, किसी को ४९५ किसी को ४९६ और बी० ओ० ५ और बी० ओ० ७ इस तरह से न मालूम कितने गन्ने के बीज निकलते जाते हैं। कोई किसी फार्म से निकला और कोई दूसरे फार्म से निकला, परन्तु एक बीज २ साल भी नहीं चल पाता है। ३ साल के बाद वह बीज सूखने लगता है। मैं ऐसा समझता हूं कि अगर एक बीज किसान ४,५ साल तक बोने लेगे तो ५ साल के बाद वह सूख जाता है। इसी माननीय सदन में मंत्री जी जानते होंगे कि बस्ती जिले की नेपाल तराई का एक गन्ने का मसला उठा था। एक गन्ना टिटिहिरिया नाम का होता है। वह गन्ना चीनी के मिल मालिक, ये देश के दुश्मन नेपाल में महंगा दे आते थे और हमारा गन्ना सस्ता लेने की कोशिश करते थे कि यह तो टिटिहिरिया गन्ना है। इस बजह से मै निवेदन करूं कि सब से पहले आप इस गन्ना विकास विभाग को तोड़िये तो फिर सब ठीक हो जाय। माननीय गेंदासिंह जी ने ऐसा कहा है तो सबसे पहले आप इस गन्ना विकास विभाग को तोड़ दीजिये।

मैं यह भी निवेदन करूंग कि किसान जो अपनी चीजें पैदा करता है उसको दुकानदार तक पहुंचने के लिये इजाजत होनी चाहिये कि वह आजादी से अपने सामान के दाम पा सके, लेकिन सरकार उसके लिये डी० आई० आर० की धमकी देती है। सरकार को यह अपनी विडम्बना दिखाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो इस सरकार का भी वही हाल होने जा रहा है जो गोआ में हुआ है कि कांग्रेस ने वहां पर ३० सीट के लिये चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ एक सीट ही वह पाये हैं। सरकार की अक्ल पर परदा पड़ गया है। वह किस तरह की नीति पर चल रही है, यह समझ में नहीं आता। जो सही माने में मुल्क के दुश्मन थे, मैं सब कम्युनिस्टों की नहीं कहता, उनमें भी राष्ट्रवादी हैं, उनकी आप रिहाई कर रहें हैं और गन्ना किसान पर डी० आई० आर० लगा रहें हैं। मैंने अपने क्षेत्र में दौरा किया है और जहां जाता हूं कहता हूं कि सब गन्ना अपने कोल्हू में पेरो १० मील के अन्दर हमारा क्षेत्र है। मिलें जब तक ढाई रुपया मन दाम न दें तब तक उनको गन्ना न दो। डी० आई० आर० सरकार लगा कर तो देखे। अगर सरकार में ताकत है तो हमको पकड़े। हम तो सरकार को बधाई देंगे अगर हमको सरकार पकड़ेगी। अगर आप में ताकत है तो जितने लोगों का भाषण डी० आई० आर० के खिलाफ हुआ है, चाहे इधर के हों या उधर के हों, उन पर लगाइये.....

श्री अधिष्ठाता—

कोल्हू पर डी० आई० आर० नहीं है।

श्री उग्रसेन—

कोल्हू पर क्यों नहीं है? हमारा घर है, हमारा कोल्हू चलता है। हुक्म हो गया दो बटे तीन दीजिये, गन्ना सुरक्षित कर लिया गया। यह सरकार टाटा, बिड़ला, नारंग, खेतान, मजी-

ठिया आदि की है जिन्होंने ७५ मील दूर के गांवों का गन्ना सुरक्षित कर लिया है। मेरे क्षेत्र के दो गांव हैं मंत्री जी पहुंच तो जायं। हमारे पास एक भाषण है "हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता", लोक सभा में कृषि मंत्री ने भाषण दिया। उनका भाषण हुआ है कि १९६३-६४ में हमारी गन्ना और चीनी नीति क्या होगी ? इससे मैं एक नतीजे पर पहुंचा कि कृषि मंत्री बिल्कुल बेताब हो रहे थे, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं गुड़, खंडसारी की यूनिटें और चीनी मिलों में सहअस्तित्व हो, साथ साथ जीयें, दोनों का अस्तित्व बना रहे और यह नारा आपको पता है भारत के प्रधान मंत्री ने चीन के प्रति भी लगया था जो खतरनाक साबित हुआ। ऐसे ही कृषि मंत्री का यह नारा खतरनाक साबित होगा। ३ रु० से ८ रु० प्रति क्विंटल आपने चीनी का भाव बढ़ा दिया और जो हम खून पसीना बहाकर गन्ना पैदा करते हैं तो कहते हैं कि दो रु० मन कर दिया आपको धन्यवाद देना चाहिये। हम धन्यवाद उसी दिन देंगे, अगर सरकार में ताकत है जब वह हमको बांध कर जेल में भेज देगी। आज हमारी ताकत होती तो हम इन मिल मालिकों से निपटते। आपने डी० आई० आर० हम पर लगाया है। कितना प्रतिबन्ध हम पर है लोगों को मालूम नहीं है। मैं कहता हूं कि पूर्वी जिलों का तब तक भला नहीं होगा जब तक चीनी मिलें वहां स उखाड़ न दी जायंगी। यह चीनी मिलें स्कैप हैं। अगर जेकोस्लेवाकिया में होतीं तो सड़क पर फेंक दी जाती जो कूड़े की गाड़ी में लद कर चली जाती और बाद में कागज बन कर आती। आप १५ लाख टन चीनी बनायेंगे, लेकिन इसका फायदा किनको होगा ? मिल मालिकों को होगा, जनता को नहीं, और न सरकार को होगा। ४ करोड़ ३१ लाख कुछ हजार रुपया केन केस का बाकी है। २ करोड़ ४३ लाख रु० गन्ने का दाम बाकी है। मैं कहता हूं कि यह इसी प्रदेश का होगा। माननीय गेंदा सिंह जानते हैं कि मार्च १९५६ में सरकार ने मिल मालिकों को ५ करोड़ रुपया ५ प्रतिशत सालाना सूद पर कर्जा दिया। नवाबगंज के नारंग मिल को २८ लाख, मजौठिया को ७६ लाख रु० दिया कि जरा रेलवे लाइन निकाल दीजिये ? कितना आपने वसूल किया। १० करोड़ रुपया इन गद्दारों पर बाकी है जो आपके खास रिश्तेदार बने हुये हैं। इन पर डी० आई० आर० नहीं लगायेंगे ? तो आपको चुनौती है, मैदान में आ जाइये, अगर इस उत्तर प्रदेश की सरकार में ताकत है तो वह जरा कृषकों को छेड़े। लड़ाई तो जब छिड़ेगी जब टंकी में रस जायेगा। तब आपको मालूम होगा किसान क्या करता है ? तब आपके रिश्तेदारों को मालूम होगा। अभी तो आपने धमकी से दो रुपया मन कर दिया। उधर के सदस्य भी समझ रहे हैं कि अब जल्दी ही ढाई रुपया मन होने वाला है।

(इस समय ४ बजकर १९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, संयुक्त मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, श्री कुलमणि सिंह, उत्तर प्रदेश, ने दिल्ली से मुझको लिखा है कि मिल वालों को खुश करने के लिये बिजनौर जिले में ५५० क्रेशर के लाइसेन्स थे। इस बार अभी तक २५०-३०० लाइसेन्स ही दिये गये हैं। शेष कृषकों को लाइसेन्स न दिये जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। श्रीमन्, इसी उत्तर प्रदेश की सरकार के एक बड़े अफसर से दिल्ली में नन्दा जी ने पूछा कि पूर्वी जिलों का क्या मामला है,कैसे वहां प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी ? उन्होंने बताया कि आप पूर्वी जिलों में क्रेशर लगाओ, १०-१० हजार फी क्रेशर के हिसाब से उनको सहायता दे दो। मैं कहता हूं अगर पूर्व वाले क्रेशर चलाना नहीं जानते हैं तो आप पश्चिम वालों को लाइसेन्स दे दो, उनको १०-१० हजार की सहायता दे दो, वे लोग यहां आकर इन्तजाम कर सकते हैं। यह आप कर दो, फिर दोनों का कम्पटीशन देख लो।

माननीय नवलकिशोर जी चीनी मिल के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ थे। आप जयपुर में भुनेवश्वर नहीं बल्कि .होद और स्वराज्य द्वीप चले जाइये समाजवाद का नारा लगाते लगाते और फिर देखिये। आपकी एक योजना चली गयी, दूसरी चली गयी, तीसरी भी जा रही है, क्या किया आपने ? कहा हैं आप ? अशोक मेहता साहब उसके डिप्टी चेयरमैन हो गये। मैं कहता हूं कि आज समाजवाद के सिद्धान्त को ही पकड़ नहीं पाये हैं। अगर उसको पकड़ना है तो चीनी मिलों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण करो। यह समाजवाद का पहला सिद्धान्त है।

[श्री उग्रसेन]

नवलकिशोर जी को इसमें क्या कठिनाई है। जब आप रोडवेज का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं, सड़कों का कर सकते हैं, तो इसमें आपको क्या परेशानी है। आपने रोडवेज का राष्ट्रीयकरण किया और एक ट्रान्सपोर्ट बोर्ड बनाया। क्यों नहीं इसके लिये भी आप एक शुगर बोर्ड की स्थापना कर देते और उनसे कहते कि वह इन सब मिलों को चलाये। इसके लिये आप मिल मालिकों को मुआवजा भी मत दीजिये। उनको कोई मुआवजा देने की जरुरत नहीं है। उनसे कहिये कि तुमने जितना लूटा है, जितना तुम पर बकाया है, वह सब उसमें से कट गया। आज लाखों रुपया बोनस का वे लोग दबाये बैठे हैं। आज मजदूर रो रहें हैं।

मैं जेकोस्लोवाकिया की बात बताऊं। मैंने वहां के बारे में पूछा कि वहां पर कैसे राष्ट्रीयकरण हुआ। मालूम हुआ कि उन्होंने मिल वालों से कहा कि १०–१५ साल का जो टैक्स का रुपया बकाया था तथा इन १५ सालों में जो तुमने चोरी से बचा कर रखा है वह सब इसमें से काट दिया जायगा। उसमें इसको मुजरा कर दिया। क्या यह सरकार टाटा-बिड़ला के बेटों से कहेगी कि जो तुमने पुरानी डकैती की है उसे दो गन्ना किसानों को? मैं पूर्वी जिलों की चीनी मिलों की ज्यादा जानकारी रखता हूं। हर साल कोई चीनी मिल १२,१५ लाख से कम मुनाफा नहीं कमाती है और ये चीनी मिलें उस समय की लगी हैं जब कि बहुत मन्दी थी। एक चीनी मिल में १०, १२ लाख रुपये से ज्यादा नहीं लगा है। पूछ लीजिये गेंदासिंह जी से। आज इन चीनी मिल के मालिकान की गगन चुम्बी अट्टालिकायें कलकत्ता, बम्बई में बन रही हैं। हम गरीब हैं, क्योंकि हमारा शोषण किया जा रहा है। सरकार के पास, इस सरकार के पास, कोई इलाज नहीं है। गन्ना विभाग के अफसर उनकी बात सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे।

जो फेडरेशन बना हुआ है उसमें तो और भी ऐसे लोग भरे हैं जो किसानों की परवाह नहीं करते हैं। हमारी मजबूरी है। अगर हमारे पास भी रूस जैसी दवाई होती कि नहीं, मुर्दे को ६ महीने रख सकते हो तो हम इस सरकार को बता देते कि कैसे चीनी की परिस्थिति ठीक होती है। हम तो बिना उसके भी बताते हैं कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। इनका राष्ट्रीयकरण बिना विलम्ब के होना चाहिये। आप उत्तर प्रदेश की तमाम चीनी मिलों का यद्यपि कुछ आपकी भी है, कोआपरेटिव हैं आप राष्ट्रीयकरण तुरन्त करें। इसी से उत्तर प्रदेश का आर्थिक स्तर ऊंचा उठ सकता है, वरना प्रति व्यक्ति आय हमारी नहीं बढ़ सकती है। हम तो ३ आने वाले लोग हैं। टाटा, बिड़ला, सूरजमल के कुत्ते ३,३ लिहाफ ओढ़ कर आज सो रहें हैं, अली जहीर के कुत्ते को आज १५ रुपया रोज मिलता है। तो हमको ये कुतों को लिहाफ उढ़ानेवाले सेठ लूट रहें हैं। रामकोला मिल, खेतान मिल में हड़ताल हुई, हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया। दरोगाजी मौजूद थे। वे जाते हैं, किसान कहता है कि हम गन्ना नहीं देंगे। मगर यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली की तरह नाच रही है। टाटा बिड़ला की कुर्बानियों ने ही इसे बनाया है।

मेरा सुझाव है कि चीनी के मिल मालिकों की हैसियत १५ अगस्त, सन् १९४७ को क्या थी और आज क्या है, इसकी जांच के लिये एक उच्चस्तरीय टैक्नीकल कमेटी बैठाई जाय। तब पता चलेगा कि हमारे देश की दौलत कहां गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि योजनाओं से जो रुपया कमाया है वह गया कहां? वह इन्हीं पूंजीपतियों की जेब में गया है। १५ अगस्त सन् ४७ से पहले बिड़ला की हैसियत २५, ३० करोड़ की थी जो आज ३५०, ४०० करोड़ की है। वह धन कहां गया। शर्मा जी, आपकी भी जिन्दगी इस कुर्सी पर थोड़े दिन की है। ऋषिकेश जहां से गंगाजी आती हैं, वहां के आप रहने वाले हैं। इस काम को कीजिये। आप ऊपर से मरहम लगाकर ठीक कर सकते हैं तो अल्ला मियां आपका भला करे वरना तो यही बात एक दिन क्रांति के बबूले खड़े करेगी। हम आपके सबसे बड़े मित्र हैं। अगर इस मुल्क को खूनी क्रांति से बचाना है तो आप अपना रवैया बदलें। सन् १९४२ में जब श्रीमती अरुणा आसफ अली ने बिड़लाजी के पास और बड़े सेठों के पास जाकर कहा कि बापू मर जायगा, यह सरकार उन्हें जेल में मारना चाहती है, तुम अपने कारखाने बन्द करो, देश का साथ दो, तो बिड़ला जी कहते हैं कि हम अपने दिल्ली, शोलापुर, ग्वालियर के कारखाने बन्द नहीं करेंगे। आज आप इन्हीं कौम के दुश्मनों को बढ़ावा दे रहें हैं।

बापू के नाम पर आज आप राज्य कर रहें हैं। आप उनके कुत्तों को हलुआ पूड़ी खिला रहें हैं और हमसे कहते हैं कि 'गेठी' 'दोहना' 'केकड़ा' खाओ और जियो। आप हमसे कहते हैं कि गोबर की रोटी खाओ। पूर्वी जिलो को इस तरह से बरबाद कर दिया और पश्चिमी जिलों में गन्ने का भाव २ रुपया कर दिया तो गुड़ और खंडसारी पर पाबन्दी लगा दी। आज हमारे पास खाने को नहीं है और इस तरह का व्यवहार सरकार हमारे साथ करती है। और आज दो रुपया मन गन्ने का दाम करके सोचते हैं कि चलो दौरा कर आयें, जरा स्वागत हो जायगा। इस समस्या का लंबा हल मिलों का राष्ट्रीयकरण है और तात्कालिक हल यह है कि केन्द्रीय सरकार से दो के ढाई रुपया मन गन्ने का दाम दिलाया जाय तथा ४० रुपये मन से चीनी का दाम बढ़ने न दिया जाय। नेगी साहब तो १६ साल से यही कहते चले आये हैं। जब आपके बस की बात नहीं है तो कागज फाइल फेंकर चले क्यों नहीं जाते, लेकिन "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। अगर आप केन्द्र से चीनी नहीं ला सकते हैं तो दिल्ली के पास ही जमुना बहती है क्यों नहीं उसमें डूब जाते हैं। हमसे न कहिये कि हमको चीनी नहीं दी। यह ओपिन मारकेट क्या है। एक गांव वाले से पूछा गया तो उसने कहा कि 'ओ' के माने तो मैं जानता नहीं हूं, 'पेन' के मानी कलम होते हैं। यह साफ चोर बाजारी है। आचार्य कृपालानी ने कहा कि मंत्री लोग चोरबाजारी से चीनी खरीदते हैं। मिल मालिक ने तो पैसा लगाया है, वह तो तब पैसा कमाता है, लेकिन ये तो उससे बढ़े हुये हैं, ये बिना पैसे लगाये ही पैसा कमाते हैं। यही कारण कि जब हम कहते हैं ढाई रुपया मन गन्ने का दाम और ४० रुपया मन चीनी का दाम कर दो तो इनकी नानी मर जाती है।

आपका यह डी० आई० आर० मजाक है। किसान भला ऐसी बातों की कब परवाह करता है। अपने जो यह गुड़ पर पाबन्दी लगायी है, सोशलिस्ट पार्टी इसको बिलकुल पसन्द नहीं करती है। किसी प्रकार भी इसको वह बरदाश्त नहीं करेगी। हमारे कार्यकर्त्ता मथुरा के इसके खिलाफ आवाज उठा रहें हैं। यह ठीक है कि हम कम संख्या में हैं, छोटी पार्टी हमारी है मगर एक मजबूत पार्टी है। आपकी सारी ऐसी चीजों का मुकाबला करने के लिये हम तैयार हैं और उसका जो भी नतीजा होगा उसको भी देखेंगे।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया। इसमें मुख्यतः तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि मिलों का रिजर्व एरिया कितना रखा जाय जिसमें उनको भरपूर गन्ना मिल सके ? दूसरी बात यह है कि खंडसारी का उद्योग चले या बन्द कर दिया जाय ? तीसरी बात यह है कि टैक्स बढ़ाया जाय या नहीं ?

हमारे जिले में पुरानी कोई मिल नहीं थी। अंग्रेजों के जमाने से ही एक चीनी मिल शाहगंज में थी जिसका आधा हिस्सा जौनपुर में आता है और आधा हिस्सा आजमगढ़ में आता है। शाहगंज से ३६ मील हमारी मढ़ियाहूं तहसील है। उसकी आबादी साढ़े तीन लाख है। मढ़ियाहूं में पिछले २४ साल से मिल का कोई एरिया नहीं था, लेकिन पिछले साल हमारे दिमाग में यह बात आयी कि मढ़ियाहूं के गरीब किसान गन्ने की खेती अधिक करते हैं उनका गन्ना भी किसी मिल को चला जाय अथवा किसी खंडसारी यूनिट को चला जाय तो बहुत अच्छा हो। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी कोशिश करने के बाद दो एक आदमी तैयार हुये कि वहां खंडसारी लगाई जाय, लेकिन कहा गया कि मड़ियाहूं के बगल में कहीं भी खंडसारी नहीं लग सकती, यह उन का तरीका है, लेकिन आज का वादविवाद जो चल रहा है वह यह है कि किसान का गन्ना किस ढंग से पेरा जाय जिससे किसान को लाभ हो। केन्द्रीय सरकार ने एक व्यवस्था दी और पूर्वी और पच्छिमी जिलों में गन्ने के अलग-अलग दाम लगाये गये कि इतनी दूर के क्षेत्र में २ रुपये, और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

इतने क्षेत्र में पौने दो रुपये होंगे, लेकिन यह कौन सी असमानता थी कि इस प्रकार से रेट लगाया गया। वही गन्ना पूर्व और पच्छिम में होता है वही चीनी उसमें पैदा होती है तो क्यों यह अन्तर रखा गया। आज गन्ने पर किसान जितनी मेहनत करता है वह तो किसान जानता है और मैं भी किसान के घर पैदा होने के नाते जानता हूं। मुझे मालूम है कि किसान किस तरह गन्ना पैदा करता है। मैं यह समझता हूं कि यहां की सरकार केन्द्र की सरकार से बहुत कुछ बंधी हुई है, वह उससे अलग नहीं जा सकती। केन्द्र का जो फैसला होता है उसके अनुसार ही थोड़ी सी कुछ नियमों में चेन्ज करके हम को काम चलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस सरकार को चाहिये कि वह केन्द्र से सिफारिश करे कि हमारे यहां के किसानों का मुख्य उद्योग और मुख्य उपज गन्ना ही है कि जिस पर आज वह जिन्दा रहते हैं। जहां गुड़, राब या खंडसारी बनती है या क्रशर मशीने आदि चलती हैं या बिजली की मशीनों से शकर बनती है वहां किसान इसी पर निर्भर हैं, जिन्दा रहते हैं और ब्याह शादी और लगान सब इसी से करते हैं।

आज पूर्वी जिलों में अगर गन्ना न हो तो खाने के लिये भी साधन नहीं है, वह लगान भी अदा नहीं कर सकते। उनका साधन यही है कि वह गन्ना बोयें और इसी से सारे काम चलायें। मैं चाहता हूं कि सरकार उन पूर्वी जिलों में जहां पर कि कोई इंतजाम नहीं है वहां पर लघु उद्योग के लिये सहायता देकर खंडसारी लगवाये, जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर आजमगढ़ में जहां कोई भी मिल नहीं है वहां यह खंडसारी के यूनिट लगवाये। और उनको लाइसेन्स दे। साथ ही अगर उनके ऊपर उनकी सामर्थ्य के अनुसार अगर कुछ टैक्स भी लगे जितना कि वह दे सके तो वह भी लगा ले और जो खंडसारी पर पूर्व में या पच्छिम में बैन लगा रखा है वह उसको जरूर हटाया जाय या मिलों को गन्ना देने का वह कोई नया तरीका निकाले जिससे किसान मिलों को गन्ना दें और सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट के आदेश का भी पालन करें, लेकिन ऐसा न करें कि किसान रोज गन्ने के मामलों को लेकर अदालत में पहुचे, यह अच्छा न होगा। यह इतना जबरदस्त कानून आपका है, इसको आप बदलें और केन्द्र से कह कर इसको चेन्ज करायें। हम तो पच्छिमी ५–७ जिलों में सीखने और देखने के लिये गये थे कि खंडसारी कैसे लगाई जाती है उनके यहां कैसे किसान खंडसारी बना रहे हैं और कैसे वे उस पर जिन्दा हैं, कैसे उनकी वह व्यवस्था चल रही है। उनकी वह व्यवस्था ठीक है, लेकिन पूर्व के किसानों को पता ही नहीं कि खंडसारी बनती कैसे है, कैसे वह काम चलू किया जाता है। देवरिया, आजमगढ़ और जौनपुर में २–१ लगी हैं और अभी कहीं नहीं हैं, लेकिन पच्छिमी जिलों के किसान इसी के कारण आज खुशहाल हैं उनको खंडसारी आदि बनाने की सब सुविधा प्राप्त हैं।

आज पूर्व का किसान बहुत परेशान है, उसकी गरीबी दूर होने का कोई साधन नहीं है। अगर आपने अपने इस कानून को ढीला नहीं किया तो हो सकता है कि उसकी हालत और बिगड़ जाय, लेकिन आपने उस को प्रोत्साहन दिया तो वह भी पच्छिम के किसान की तरह खुशहाल हो सकता है और जो आर्थिक हालत पच्छिम में किसानों की है वही फैजाबाद, इलाहाबाद और वाराणसी डिवीजन के किसानों की हो जायगी। तो मेरी आपसे और सदन से यह अपील है कि सरकार के कायदे को मानते हुये और केन्द्र की व्यवस्था जिस प्रकार मनवायीं जा सके उसे मनाते हुए, जो गुड़ और खंडसारी पर कानून लादा जारहा है इसे ढीला किया जाय। ऐसा होने से किसान खुशी खुशी अपना गन्ना मिलों को देगा।

*श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज यह देख कर बड़ी खुशी है कि इस सदन के इधर और उधर के सदस्यों ने इस वाद-विवाद में हिस्सा लिया। गन्ना और चीनी की एक समस्या ऐसी है कि जिस का हमारे प्रदेश की अर्थ नीति पर बड़ा असर पड़ता है। मैं उग्रसेन जी का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कृतज्ञ हूं कि उ होंने बड़ी शिष्ट भाषा का प्रयोग किया। वह उनकी आदत है और मैं समझता हूं कि यह उनकी पार्टी की परंपरा है। उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूं। मैं उन लोगों में से हूं कि जो १९३७ से आज तक गन्ने की खेती करते आ रहे हैं और गन्ने की स्थिति जो रहती है हर साल, उसे जानते हैं। मैं गेंदा सिंह जी और उग्रसेन जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या वह अपने गोरखपुर और देवरिया के लोगों को सलाह देंगे कि वे अपने सारे गन्ने का गुड़ और खंडसारी बनावें और वहां की मिलें बंद कर दी जायं ? मैं समझता हूं कि इस के लिये वह तैयार नहीं होंगे।

मैं १९६०-६१ की स्थिति का विवेचन पहले करना चाहता हूं। उस समय हमारे प्रदेश की मिलों के पास १२ लाख टन चीनी पिछले साल की पड़ी हुई थी अक्तूबर मास में, उस समय हमारे गोदाम बिलकुल भरे हुए थे, और उनमें जगह नहीं थी। जितनी मिलें थीं उनके पास दिक्कत यह थी कि गोदामों में जगह नहीं थी और बैंक उस चीनी पर अधिक रुपया देने को तैयार नहीं था, क्योंकि तमाम रुपया पहले की चीनी पर उसका फंसा हुआ था। मार्केट में चीनी बिकने की कोई आशा नहीं थी। ऐसी स्थिति में हमने १९६०-६१ का सीजन आरम्भ किया। हमारे पास एक ही चारा था कि किसी तरह उस चीनी की बिक्री की व्यवस्था की जाय। मुझे यह भी मालूम है कि कई बार लोगों ने चीनी उठाने के लिये परमिट लिये, लेकिन गोदामों से चीनी उठायी नहीं। कुछ मिलें उस समय बंद करनी पड़ीं इसलिये कि हालांकि उन के पास गन्ना था, क्रशिंग कैपेसिटी थी, लेकिन चीनी रखने के लिये जगह नहीं थी, और चीनी खरीदने के लिये कोई तैयार नहीं था। मेरे पास खुद १८,००० मन गन्ना था उस साल। बहुत कोशिश करने के बाद ११,००० मन गन्ने से ज्यादा बांड नहीं हुआ और बाकी गन्ने को फिर मैंने बेचने का प्रयास किया तो क्रशर १४ आने मन से ज्याद लेने के लिये तैयार नहीं हुए। उसमें ८ आने मन ढुलाई पड़ती थी। माननीय गेंदा सिंह और सभी सदस्य जानते हैं कि पार साल एक ही चारा था कि हर काश्तकार यह चाहता था कि चूंकि क्रशर वाले गन्ने का दाम १४ आने देते थे और मिल वाले १ रु० ८ आने, तो लोगों ने इस बात के लिये प्रयास किया कि उनका गन्ना मिलों में जाय। मिल चलने की आगे कोई बात नहीं थी।

सरकार के सामने एक ही उपाय था कि किसी न किसी तरह से चीनी को बेचें जिससे मिल चल सकें। ऐसी परिस्थिति में दो ही बातें सोची गयीं, एक बात तो यह थी कि इस चीनी को बाहर भेजें। चूंकि देश में चीनी बिकने की कोई बात नहीं थी तो मूवमेंट और कन्ट्रोल हटाया लेकिन चीनी नहीं बिकी। यहां के चीनी गोदामों को खाली करने के लिये यह सोचा गया कि चीनी को बाहर भेजा जाय परन्तु और देशों से हमारे कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं थे। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ चीनी यहां से बाहर भेजी गयी। चूंकि चीनी के दाम बाहर के देशों में कम थे इसलिये उसमें सरकार को सबसीडी देनी पड़ी, तो १३.५ करोड़ रुपये सबसिडी देकर उस चीनी को भेज सके और उसके बदले में १२.७५ करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेन्ज हमें मिला। तो १३.५ करोड़ की सबसिडी देकर फारेन एक्सचेन्ज १२.७५ ही मिल सकता। इस तरह से हम कुछ चीनी बाहर भेज सके।

जैसा मैंने ऊपर कहा, जब कुछ चारा नहीं था तो एक उद्देश्य यह था कि एक आर्डिनेन्स, सरकार ने, भारतीय सरकार ने, लगाया जिसमें यह पाबन्दी लगायी कि इस साल जो चीनी है कोई मिल ९० फीसदी से ज्यादा न बना सकें। तो एक तो यह हुआ कि ज्यादा चीनी बाहर भेजी जाय और दूसरे यह पाबन्दी लगे कि ९० फीसदी से ज्यादा न बढ़ें ताकि चीनी किसी तरह उठ सके, वरना अगर यह रोजगार बन्द हो जायगा तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हमारे प्रदेश में एक ही इन्डस्ट्री है और वह है चीनी इन्डस्ट्री और खासकर हमारे पूर्वी क्षेत्र में। उसमें तो चीनी के अलावा और कोई इन्डस्ट्री है ही नहीं। मैंने भी देखा कि वहां के लोगों की माली हालत अच्छी नहीं है और जो कुछ भी है वह चीनी की वजह से है। तो एक ही प्रयास किया गया और वह यह प्रयास किया गया कि अगर मिलों को किसी तरह से जिन्दा रखें तो

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

अच्छा है अन्यथा २० लाख आदमी जो गन्ने की काश्त करते हैं और उन मिलों में जो १ लाख मजदूर काम करते हैं बेरोजगार हो जायेंगे। और अगर मिलें किसी वजह से बन्द हो जाती हैं तो यह रोजगार हमारे यहां बिलकुल समाप्त हो जायगा। यह एक पालसी बरती गयी कि धीरे-धीरे शुगरकेन की पैदावार कम हो जिससे यहां की चीनी बिक सके और मिलें चालू रहे। ऐसे भी बहुत से गांव हैं जो गुड़ और खंडसारी बनाते हैं लेकिन जब चीनी के दाम कम थे तो गुड़ और खंडसारी में कुछ दाम नहीं बढ़ते। उस वक्त भी जो कन्ट्रोल प्राइस रखी १ रु० और ८ आने उस वक्त भी चीनी के जो दाम थे दूसरे देशों में, अर्थात् जो इन्टरनेशनल प्राइस थी वह बहुत ज्यादा थी। दाम हमने इसलिये नहीं रखे कि हम मिल मालिकों को फायदा पहुंचाना चाहते थे, बल्कि इसलिये रखे कि हम चाहते थे कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा दाम मिल सकें।

आपको याद होगा दो वर्ष पूर्व गेहूं के साथ भी यही हुआ था। बांदा और बदायूं में गेहूं मंडियों में आने लगा और ८ रुपये तक उसका खरीदार नहीं था। सरकार ने यह नीति रखी कि १० रुपये मन गेहूं उसने खरीदना शुरू किया और गेहूं के दाम बढ़ गये। जिस समय चीनी के दाम नीचे थे तो सरकार ने मिल मालिकों को फोर्स किया कि वे गन्ना १४ आने मन से १ रुपये ८ आना मन खरीदें जिससे हालत सुधरी और परिणाम यह हुआ कि काश्तकार धीरे-धीरे ज्यादा गन्ना बोने लगा। लेकिन चीनी की खपत देश में नहीं थी और वह सरप्लस हो गयी। उसका नतीजा फिर यह हुआ कि चीनी की पैदावार घटनी प्रारम्भ हुई और जैसा गेंदा सिंह जी ने कहा वह ८.३५ लाख टन पर आ गयी। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की इस पालिसी का विरोध किया था और चीनी बाहर भेजने के लिये भी मना किया था। हमारा प्रदेश यह महसूस करने लगा कि इस इंडस्ट्री को बढ़ने से रोकना उचित नहीं है और आगे जा कर यह साबित हुआ कि गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो पालिसी है वह ठीक नहीं है। हमने पारसाल कहा भी था कि उसे रिवाइव किया जाय और लांग रेंज पालिसी बनाई जाय। सदन के सदस्यों ने भी यह मांग की है कि ऐसी पालिसी बनाई जाय जो तय करे कि गन्ना किस तरह से पैदा किया जाय, कितना पैदा किया जाय और कितना उसमें से चीनी मिलों को दें, कितना गुड़ व खंडसारी में दें, ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा।

श्री नवल किशोर तथा अन्य सदस्यों ने मांग की है कि एक कमेटी बना दी जाय जो इन तमाम बातों को देखे तो उसे हम बना देंगे और सदस्यों के नामों की घोषणा हम थोड़े दिनों में देंगे जो एक लांग रेंज पालिसी गन्ने के सिलसिले में तय करेगी।

हमारे प्रदेश में शुगर मिलों की कैपेसिटी करीब साढ़े १२ लाख टन है। तो हम क्या यह चाहते हैं कि उनको गन्ना न देकर उनकी कैपेसिटी वही रहे या उत्तर प्रदेश का जो यह सबसे बड़ा रोजगार है वह बढ़े? हमारा यह लक्ष्य था कि थर्ड प्लान में हम उस कैपेसिटी को बढ़ा कर १५ लाख टन कर दें और गवर्नमेंट आफ इंडिया से यह मांग करें कि चौथे प्लान के अन्त तक यह कैपेसिटी २०लाख टन दे दी जाय। या तो यह मांग करें कि उनको गन्ना न दें, वे चलें नहीं या यह मांग करें कि वे हमको ज्यादा प्रोडक्शन दें। यह दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। तो यही हो सकता है कि ये मिलें हमारे प्रदेश में अच्छी तरह से चलें और हम केवल १२ लाख या १५ लाख टन ही नहीं बल्कि २० लाख टन तक चीनी बनाना चाहते हैं। अगर हम यह चाहते हैं तो हमको यह करना पड़ेगा कि जितनी हमारी मिलें हैं उनको सुचारू रूप से चलायें ताकि आगे चलकर हम भारत सरकार से यह कहें कि हमको कुछ और मिलें दें जिससे कि कैपेसिटी बढ़े। यह सही है कि जो आगे मिलें हम लेंगे तो हमारा यह प्रयास होगा कि वह कोआपरेटिव सेक्टर में हमें मिलें ताकि जनता का भी कुछ अधिकार हो। आज हर प्रान्त में यह होड़ है कि शुगर इंडस्ट्री उनके यहां ज्यादा से ज्यादा हो और इस होड़ में हमारे प्रदेश को बड़ा खतरा भी है क्योंकि एक तो वहां सीजन ज्यादा लम्बा होता है और दूसरे वहां शुगर परसेंटेज भी हमसे ज्यादा है। (व्यवधान) उग्रसेन जी भले ही संतुष्ट हों, बहरहाल

गेंदासिंह जी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि हमारी मिलों की कैपेसिटी इतनी ही रहे और उसको बढ़ाया न जाय। यह सही है कि हमारी प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़े। हमारी बगल में एक किसान है और हम और भाई राममूर्तिजी उसके यहां देखने भी गये थे, उन्होंने एक एकड़ में २ हजार मन गन्ना पैदा किया। हम लोगों ने देखा कि एक गन्ना नहीं है बल्कि जमीन से पूरा एक गुच्छा का गुच्छा गन्ना आया हुआ था जो ११ फीट ऊंचा है। जब एक काश्तकार बगल में इतना पैदा कर सकता है तो कोई वजह नहीं है कि दूसरा काश्तकार उतना पैदा नहीं कर सकता। तो इसके बजाय कि आप यह नारा लगायें कि गुड़ बनायें, अगर उग्रसेन जी यह करते कि २ हजार मन प्रति एकड़ पैदा करो ....

श्री उग्रसेन—

अगर यह सरकार इस्तीफा दे कर चली जाय तो हम सब करेंगे।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपके कहने से सरकारें इस्तीफा नहीं दिया करतीं। हर काम सरकार नहीं किया करती, कुछ काम सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के भी हैं।

श्री उग्रसेन—

आप हमारा प्रति एकड़ उत्पादन नहीं बढ़ने देते हैं।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

माननीय उग्रसेनजी जब बोल रहे थे तो मैंने उनकी बीच में रोका भी नहीं और जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की उसकी भी मैंने तारीफ कर दी, फिर भी अगर आपकी यह आदत है कि मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं क्या करूं? बहरहाल, मैं यह कह रहा था कि हमारी प्रति एकड़ पैदावार ज्यादा हो। उसके लिये हमने स्कीम बनायी है। हमने ब्लाक्स बना दिये हैं, उनमें नयी खाद देंगे, पानी का भी इन्तजाम करेंगे। पर सिर्फ सरकार के करने से ही यह काम होने वाला नहीं है। यह चीज तो ऐसी है कि सब लोगों को अपने हाथ में लेनी चाहिये और हम काश्तकार को समझा दें कि इस तरह से गन्ना बढ़ाओं। फिर चाहे उग्रसेन जी मना करें फिर भी वह बढ़ा लेगा। मैंने अपने यहां एक हजार मन फी एकड़ गन्ना पैदा किया है और इस कोशिश में हूं कि दो हजार मन पैदा करूं। भाई राममूर्ति जो भी इस कोशिश में हैं चारों तरफ से आते हैं और देखा करते हैं। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमारे भद्रुक फार्म को देखने की कृपा करें कि वहां क्या हो रहा है?

श्री उग्रसेन—

मंत्रियों को छोड़कर और कहीं उत्पादन बढ़ा तो बताइये?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया सुनें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं चाहता हूकि गन्ने की उपज में बढ़ोत्तरी होने के साथ साथ मिलों की कैपेसिटी भी बढ़े।

अब गुड़ और खंडसारी पर आते हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है कि गुड़ और खंडसारी को बंद कर दें। हमारे यहां इस साल पारसाल से दस फीसदी गन्ना ज्यादा पैदा होगा ऐसा हमारा अन्दाजा है। रिजर्व एरिया में ८० करोड़ मन और दूसरे एरिया में साढ़े सैंतीस करोड़ मन पैदा होगा। अगर दस फीसदी बढ़ा दें तो १२ करोड़ मन ज्यादा पैदा होगा। हम चाहते हैं कि

[श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा]

इस गन्ने की चीनी बने। पहले चीनी बाहर नहीं जाती थी। धीरे धीरे यह हमने सिलसिला पैदा किया और बड़ी मुश्किल से हमने मारकेट बनाया है। हम जो सामान बाहर से मगांते हैं उसके बदले में लोग अब चीनी की मांग करने लगे हैं। धीरे धीरे हालत यह हो गई जैसा कि मैंने कहां कि १९६०-६१ में हमने २.६८ लाख टन चीनी बाहर भेजी। १९६२ में ३.३७ लाख टन भेजी और इस साल ४.४८ लाख टन चीनी बाहर भेजने की बात है। इसके अलावा कनाडा और जापान से भी दो वर्ष तक तीन लाख टन चीनी वहां भेजने की बात-चीत हो रही है। हमने जो फारेन मारकेट बनाया हैउसको समाप्त कर दें तो यह हमारे इंटरेस्ट में नहीं होगा। इसी-लिये भारत सरकार ने कहा कि ज्यादा चीनी बनाओ। इसलिये कि हमारे यहां भी चीनी की जरूरत है और हमें फारेन एक्सचेंज की जरूरत है। इससे हमें और मारकेट मिल सकते हैं। इसलिये ज्यादा चीनी पैदा करने के लिये हमने एक प्रोसेस शुरू कर दिया है। पहले हमने चीनी उत्पादन को घटाने का प्रयास किया था। अब चीनी के उत्पादन को बढ़ाने का हमारा नया प्रयास जारी है। बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसमें यह जरूर है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो सरप्लस गन्ना है, जैसा कि ऐडीशनल गन्ना है उसको चीनी बनाएं। सिर्फ फर्क यह है कि हमारे यहां ३२ लाख एकड़ में गन्ना पैदा होता है उसमें २१ लाख एकड़ रिजर्व एरिया किया हुआ है। उसमें दो तिहाई चाहते हैं और वह इस लिये चाहते हैं जिससे चीनी की ज्यादा उपज हो। तो ८ करोड़ मन गन्ना पड़ेगा रिजर्व एरिया में और ४ करोड़ मन उसके बाहर पड़ेगा। १२ करोड़ मन गन्ना मिल जायगा जिससे चीनी बना सकें।

जहां तक क्शर की बात है ? अभी तक हमने नियम बनाया है कि जो क्शर पारसाल चले थे जिनको कायदे से लाइसेंस दिया हुआ था उन सब को लाइसेंस दे दिये हैं सिवा उनके जो पारसाल आखिरी समय में दिये गये थे और जिनको कह दिया गया था कि खास परपज के लिये हैं। इस साल अपना गन्ना पेरने के लिये आगे लाइसेंस नहीं दिया जायगा। जहां तक कोल्हू हैं उन पर कोई पाबन्दी है नहीं सिवा दो तिहाई के। लेकिन उसके साथ साथ जिस किसी काश्तकार ने उसे अपना गन्ना किसी मिल को नहीं दिया चाहे रिजर्व एरिया में हो वह अपने आप पेरना चाहे तो पेरे।

एक बात यह कही गयी कि आपने डी० आई० आर० मे क्यों किया ? जैसी कि आवश्यकता थी उसको देखते हुए भारत सरकार ने कुछ आदेश दिये। आप जानते हैं कि भारत सरकार से हम लोग बंधे हुए हैं। और जो बार्टर किया है जापान और कैनाडा से उसके बदले हम फर्टिलाइजर ले रहे हैं जिससे गन्ने की उपज बढ़े। एक आदेश जारी किया गया डी० आई० आर० में। मैं मानता हूं कि जहां काश्तकार को बाध्य किया है वहां मिल मालिक को बाध्य नहीं किया है। यद्यपि हमारे पास ऐसे नियम हैं, एसेंशल सप्लाईज ऐक्ट में अगर गलत तौल दें तो चालान भी कर सकते हैं। दाम दिलाने के लिये भी हम बाध्य कर सकते हैं और जो उनका इनफ्रिन्जमेंट है उसके सिलसिले में हमने करीब सौ के चालान किये हैं। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लें। उसे सुन कर खुश होंगे। दो मिलों का कंट्रोल हमने डी० आई० आर० में ले लिया है।

श्री उग्रसेन—

उन मिलों को किसी दूसरे कानून में लिया है या डी० आई० आर० में ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

डी० आई० आर० में लिया है।

श्री उग्रसेन—

वह मिल मालिक इनके यहां दौड़ रहे हैं। गड़बड़ होने वाली है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप ही उनकी सिपारिश करने आयेंगे। मैं आपकी बात सुनूगा नहीं। फिर हमने एक काम और किया। हम शुगरकेन परचेज ऐक्ट ला रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा नियम बनायेंगे जिसमें तौल और खरीद के बारे में तमाम इन्तिजाम करेंगे। मैंने कहा कि हम कानून नहीं बना सकते और हम भारत सरकार से सिफारिश करेंगे कि डी० आई० आर० में यह ताकत हमको दे। हम भारत सरकार को लिखने जा रहे हैंकि डी० आई० आर० में हमको यह ताकत दें कि जो मिल मालिक सफीश्यिेंट टाइम में गन्ने का दाम न दे सके वह प्रासीक्यूट हो सके और जो अन्डर-पेमेंट हों उनके भी चालान हम डी० आई० आर० में कर सकें। लेकिन इसके साथ ही हमारे पास आज भी ताकत है और हमने उसका इंतिजाम किया है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

उस ताकत को आप इस्तेमाल कहां करते हैं?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप मेरी बात पहले सुन लीजिये, आपकी बात हल हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

ऊदल जी, पहले उनकी बात खत्म हो जाय। उसके बाद सवाल भी आप कर सकते हैं अगर समय रह जाय।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तो मैं यह कह रहा था कि डी० आई० आर० के न होते हुये भी हमने इस बात का इंतिजाम किया है कि हमारी मिलें जो चल रही हैं और उन मिलों को काश्तकार गन्ना देंगे तो जो कमजोर पार्टी है मिलवालों में उनके लिये भी इंतजाम किया है कि उनके दाम गन्ने की सप्लाई के साथ साथ मिल सकें और पुराने जो दाम बाकी हैं वह भी उनको साथ-साथ मिल सके। और वह इस तरह से किया है कि हमने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को एम्पावर किया है कि मिलें जो रुपया बैंक्स से लेती हैं किसानों को पेमेंट करनेके लिये उसका ७५ फीसदी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने पास ले लिया करेंगे और साथ साथ उनका वह दाम भी दिया जायगा और पुराने जो दाम हैं वह भी खत्म होते जायेंगे, यह नहीं है कि एक दिन में वे पुराने दाम खत्म हो जायेंगे, यह सम्भव भी न रही है लेकिन हमें उम्मीद है कि इस साल के खत्म होते होते उनको तमाम दाम मिल जायेंगे और उनके पुराने दाम भी खत्म कर देंगे ऐसा हमने इंतिजाम किया है और मैं समझता हूं कि इस इंतिजाम से हमारे माननीय गेंदासिंह जी संतुष्ट हो जायेंगे भले ही हमारे वे दोस्त खुश न हों।

श्री उग्रसेन—

मैं एक बात की याद दिलाऊं मंत्री जी को कि केन कोआपरेटिव यूनियन्स का जो रुपया बाकी है उसका क्या होगा?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसका दाम केन यूनियन को मिलेगा इसमें क्या पूछने की बात है? यह तो सीधी सी बात है।

श्री उग्रसेन—

यह लंगड़ा तर्क है। इससे काम नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन लीजिये ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने जैसा कहा कि गेंदा सिंह जी बात पर फिर आना चाहता हूं कि गुड़ के लिये आज जैसी स्थिति है उस स्थिति में इतना गन्ना है कि जितना गुड़ पारसाल बना था उतना बन सकेगा । जैसा मैंने बताया कि एक एरिया तो ऐसा है जहां साढ़े ३७ करोड़ मन गन्ना है उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं । वे गुड़ बनायेंगे ही, लेकिन उसके सिवा जो रिजर्व्ड एरिया है उसमें हम २ बटा ३ ही ले रहे हैं, १ बटा ३ उस में भी बनेगा । तो गुड़ और खांडसारी के लिये कोई परेशानी की बात नहीं है ।

एक बात जो सदस्यों का सबसे ज्यादा परेशान करने वाली रही है वह ब्लैक मार्केटिंग की है । हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्लैक मार्केटिंग क्या कभी कानून से टूटा करते करते हैं ? मुझे एक बात याद है । पिछली लड़ाई जब थी तब हमारे दून स्कूल के हैडमास्टर आये और उन्होंने कहा यहां बड़ी परेशानी है, तुम लोग इसको यहां क्यों नहीं रोकते ? लेकिन जब वह इंग्लैन्ड गये तो उन्होंने देखा कि वहां कूपन से चीजें मिलती थीं । एक लड़की अपने कूपनों को बचा लिया करती थी और धीरे धीरे बचाकर उसके पास काफी कूपन्स हुये । उसकी शादी हुई, उसके एक बच्चा हुआ काफी कूपन्स उसके पास थे । उन कूपनों से उसने एक पैराम्बुलेटर ले ली और उस पर अपने बच्चे को ले कर चली । तो लोगों ने कहा कि यह कैसे ले सकती हैं ? इसने कूपन्स कैसे बचा लिये ? वह जब पिकैडिली सरकस की तरफ एक आदमी आये, दो आय, इस तरह से धीरे-धीरे करके १०, ११ हजार आदमी उसके पीछे पीछे हो गये जैसे कोई मुरदे की लाश जा रही है उसके पीछे पीछे लोग चलते हैं । उसके साथ साथ चलने लगे ।आखिर में बड़ी परेशनी हो गई और परेशान होकर के उसने बच्चे को तो गोदी में लिया और गाड़ी किसी दुकान में रखी और चली आयी । तो कुछ सोशल प्रेशर होता है जिससे कि हम इसको रोक सकते हैं । माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि बड़े भारी हम रेप्रेजेन्ट करते हैं ये तमाम देश के सब लोगों को और और लोगों से भी दवा करते हैं । तो क्या हम लोग यह नहीं कर सकते हैं ? आप सब इस बात का जिम्मा नहीं लेते । ब्लैक मार्केट क्या किसी कानून से टूट सकता है ? एक आदरणीय सदस्य ने यह कहा कि मैं आपको दिखा सकता हूं चोर बाजार से तीन बोरे शकर लाकर । आप यहां सदन में यह कह दें और इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी न हो, तमाम रोकने की जिम्मेदारी हमारी हो, सोसाइटी कुछ करे नहीं, तो इस तरह यह कभी रुकने वाला नहीं है । अगर आप ब्लैक मार्केट रोकना चाहते हैं तो एक ही तरकीब है कि हम सोसाइटी में ऐसा ऐटमास्फेयर पैदा करें कि ब्लैक मार्केट चले नहीं और उसके पैदा करने में उग्रसेन जी को भी मदद करनी पड़ेगी । यहां चिल्लाने से काम नहीं चलेगा ।

श्री उग्रसेन—

बहुत से हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का उसमें चालान करना पड़ेगा, यही मजबूरी है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अगर इस चीज को आप इतनी लाइटली लेते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है । मैं माननीय गेंदा सिंह जी से एक प्रार्थना इसलिये करना चाहता हूं कि वह चीजों को जरा सीरियसली लिया करते हैं । चीजों को बहुत लाइटली इस तरह से टालने से काम नहीं चला करता है । आपने यह भी कहा कि हम कानून को तोड़कर गुड़ को बाहर ले जाने वाले हैं । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जरा सोचें । आखिर आप क्या चाहते हैं कि यहां की जो इंडस्ट्री यह है वह बिलकुल ही खत्म हो जाय ? अगर यह आप करते रहें कि किसी तरह गुड़ का भाव बहुत बढ़ा दें, फिर चीनी का भाव उसके साथ साथ बढ़ा दें और गन्ने का भी बढ़ाते जायं, गन्ना बिके चार रुपया

मन और चीनी बिके २ सौ या ढाई सौ रुपये मन, यह अगर आप करने लगे तो उसका नतीजा क्या होगा ? अगले साल न तो कोई चीनी खायेगा और न कोई यह काम करने वाला रहेगा । इसलिये इसका एक सन्तुलन रखना चाहिये और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां आपने प्रदेश के काश्तकारों के हित में हम यह चाहते हैं कि हमारे यहां मिले भी चलें, शक्कर भी बनती रहे वहां हमारा कोई इरादा गुड़ और खांडसारी की इंडस्ट्री को खत्म करने का नहीं है। हम उसको भी उतनी ही मदद करना चाहते हैं जितनी अब तक करते आये हैं । इस वक्त बात सिर्फ इतनी सी है कि यह एक टेम्पोरेरी फेज है और दो रुपये मन का रेट करने के बाद आप इस बात का विश्वास रखें कि आप चाहें न चाहें अगले साल इतना गन्ना पैदा होने वाला है कि न तो आपको दो तिहाई की रुकावट करने की जरूरत पड़ेगी और न ही कोई और बात करनी पड़ेगी। गन्ना ही गन्ना इस प्रदेश में पैदा होगा । और जैसी कि एक माननीय मित्र के मन में शंका पैदा हुई, कहीं वाकई ऐसा न हो कि गन्ने की खेती इतनी बढ़ जाय कि धान और गेंहूं पैदा करना बन्द हो जाय । तो यह भी नहीं होन चाहिये । एक सन्तुलन आपको रखना पड़ेगा । उस सन्तुलन को लाने का हमारा इरादा है और जैसा मैंने कहा गुड़ के लिये तो हमने यहां तक कर दिया कि जिसने कभी मिल में गन्ना नहीं दिया हो रिजर्व एरिया में वह आज भी नहीं बेगा । अगर आपने नहीं दिया है पारसाल तो आज भी आप मत दीजिये ।

श्री नवलकिशोर—

११ घंटे की बात के ऊपर जरा बता दीजिये ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपके यहां एक शिफ्ट की बात थी कि आठ घंटे क्रशर चलते थे । यह तय कर दिया था उनकी कैपैसिटी के हिसाब से । उसके बाद जितने रिप्रेजेन्टेटिव्स थे खांडसारी के उन्होंने एक दरख्वास्त की कि कभी-कभी ऐसा होता है कि मशीन टूट जाती है तो यह आठ घंटे का हम कैसे पूरा करें, इसके लिये ऐसा कर दीजिये कि दो घंटे और इस टूट के ऐडजस्टमेंट के लिये दे दीजिये । तो दस घंटे कर दिया गया । फिर बाद में यह कहा कि दो घंटे जरा ठीक नहीं है एक घंटे और बढ़ा दीजिये । तो हमने एक घंटा और बढ़ा दिया । तो अब आप कहने लगे कि यह आठ घंटे से ११ घंटे कैसे कर दिया ? यह आपकी ही मांग थी, उन्हीं के रिप्रेजेन्टेटिव्ज से बाकायदा समझौता हुआ । फिर उन्होंने दो दो घंटे की और मांग की, फिर एक घंटे की और की, वह हमने दे दी या तो अब आप यह कहने लगे कि यह क्या कर दिया ? (व्यवधान) बेसिस्स उसकी यह है कि जितनी सहूलियत हमसे होती है हम उतनी सहूलियत देने के लिये हमेशा तैयार रहते हैं । लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि हम खांडसारी वालों के खिलाफ नहीं हैं । पारसाल जितने खांडसारी के यूनिट चले थे वह इस साल भी चलेंगे । जो जो सहूलियत वह मांगते थे वह हमने दी ।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

अभी तक उनको लाइसेन्स पूरा नहीं दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैं आपसे बतलाऊं कि जो दरख्वास्तें हमारे पास हैं वह वे दरख्वास्तें हैं जो पिछले साल नहीं नहीं मानी गई थीं और जिनको लाइसेन्स पिछले साल नहीं दिये गये थे ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, उठने के पहले आप मन्त्री जी से वक्तव्य की तारीख बतलाने को कह दें जो उनको मौर्य साहब की गिरफ्तारी के संबंध में देना है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बतला दिया जायगा ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस ब्लैक मारकेटिंग को रोकने के लिये ऐसा वातावरण बनायें और ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जो ब्लैक मारकेटिंग करे उसको समाज के अन्दर रहना मुश्किल हो जाय, चाहे वह खरीदने वाला हो और चाहे बेचनेवाला हो । उसके लिये सोसाइटी में कोई जगह नहीं होनी चाहिये ऐसी स्थिति में अगर सब लोग मिलकर पैदा कर दें तो ब्लैक मारकेटिंग रुक जायगी ।

श्री उग्रसेन—

ऐसा वातावरण तो प्रताप सिंह कैरों पंजाब में और बख्शी गुलाम मोहम्मद काश्मीर में पैदा कर रहें हैं ।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी सदस्यों को इस भ्रम के दूर करेंगे कि आज किसान के घर में जो गुड़ है और जिस पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है और जिसके दाम सस्ते हो गये हैं तो क्या यह प्रतिबन्ध की नीति कायम रहेगी या नहीं रहेगी या किसान के घर से जब गुड़ निकल जायगा तो यह प्रतिबन्ध खतम कर दिया जायगा ? इसको आप स्पष्ट कर दें ताकि सदन के सदस्यों का भ्रम दूर हो जाय ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक बात साफ है और वह यह है कि हमारी नीति यह है कि काश्तकार का हित हो । यहां पर शुगर की इंडस्ट्री जो रखी गई उसके पीछे यही भावना थी कि काश्तकारों को गन्ने का दाम सही रूप में मिले और काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा दाम मिलें । वह कैश क्राम है । अगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो जैसा यहां पर चीनी का मारकेट था उसमें गन्ने की हालत पनप नहीं सकती थी । हमारे यहां बाहर के लोग चीनी को १३, १४ रुपये पर भेजने के लिये तैयार थ । यह हमारी नीति थी, काश्तकार का हित सोचा जाय । यह हमारी नीति नहीं थी कि काश्तकारों के अहित में कोई बात सोची जाय । जैसा मैंने कहा एक कंट्रोल में दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं । कंट्रोल की जो पालिसी उसमें सन्तुलन रखना पड़ेगा । इस सन्तुलन में यह है यक गुड़ के भाव एकदम बढ़ भी न सकें और गुड़ के भाव कम भी न हो सकें और ऐसी स्थिति रहे कि २३ और २५ के बीच गुड़ के भाव रहे । अगर कहीं ज्यादा गुड़ हो गया तो वह भी बीच में देखा जायगा ।

श्री उग्रसेन—

अगर परमिट दिया जायगा तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी तो हम स्टेट को देते हैं । जहां गुड़ जाता है वहीं उसको भेजते हैं ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के कैसे परमिट होंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात साफ है कि जिनको गुड़ जाता है उनको हम इजाजत देते हैं । उसका क्या तरीका है वह खुद जानते हैं । मेरा गुड़ से सम्बन्ध नहीं है । इसका सम्बन्ध दूसरे लोगों से है । मैं अपनी बात कहूं कि हमारे प्रदेश में हमारी नीति गन्ने के संबंध में काश्तकारों के हित के लिये है । हम आगे भी देखेंगे कि इससे हमारे किसानों की स्थिति सुधरे और मैंने जो एक कमेटी एनाउन्स की है वह लांग रेंज पालिसी तय करेंगी .....

श्री उग्रसेन—

वह सरकारी कमेटी होगी या सदन की ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह कमेटी सरकारी होगी ।

श्री उग्रसेन—

क्या कोई बेटा बेटी की शादी है जो सरकारी कमेटी होगी ? उसे सदन की कमेटी होनी चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

दो मिनट आप इनकी बात सुन लें । (व्यवधान)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसमें सदन के सदस्य भी रहेंगे । तो वह कमेटी देखेगी कि हमारे उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिये चीनी, गन्ना, खंडसारी और गुड़ इन सबका नियंत्रण किस प्रकार हो और इसके साथ ही क्या हमारे प्रदेश में और चीनी मिलें चाहिये, क्या मिलों की कैपेसिटी बढ़ाना जरूरी है, क्या उनको कोआपरेटिव से चलाना चाहिये, इन तमाम बातो पर वह विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी ।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनके लिये मैं उनका आभारी हूं और उस पर विचार करने के उपरान्त जो बातें मानने लायक होंगीं उन पर अमल किया जायगा ।

श्री बी० पी० मौर्य, एम० पी० की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री मौर्य के संबंध में वक्तव्य २० तारीख को होगा ।

गन्ने के मूल्य, गुड़ तथा खांडसारी पर प्रतिबन्ध, चीनी वितरण तथा रिजर्व एरिया के किसानों के ऊपर दो-तिहाई गन्ना मिल में देने वाले प्रतिबन्ध के विषय पर चर्चा (क्रमागत)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

गुड़ पर जो नियंत्रण है और जैसा मुमताज साहब ने बतलाया कि १४ लाख टन पैदा होता है और १० हजार टन बाहर जाता है, क्या इस बात को देखते हुये बाहर के प्रदेशों में गुड़ के भाव बेतहाशा बढ़ रहें हैं, सरकार उसका एक्सपोर्ट खोलने पर विचार करेगी ताकि वहां भाव नीचे आयें ?

विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

यह मसला सरकार के सामने है और इस पर हम सीरियसली विचार कर रहें हैं । हम इस कोशिश में हैं कि हमारा गुड़ बाहर जाय और यहां के आदमियों की हैसियत बढ़े । लेकिन यह एक कंटीनुअस प्रोसेस है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और सोमवार को साढ़े बस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, १६ दिसम्बर, १९६३ के १० १/२ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१४ दिसम्बर, १९६३।

विधान सभा

पी० एस० यू० पी०— ए० पी० १७६ एस० ए० १९६४—८६०।